Friday, 05 August, 1966

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र]

Fifteenth Session

Preservation
Fumigated On 30.12.83
Parliament Library

[खंड 57 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LVII contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 10—शुक्रवार, 5 अगस्त, 1966/14 श्रावण, 1888 (शक)

No. 10—Friday, August 5, 1966/Sravana 14, 1888 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
270. नेपा मिल के अखबारी काग़ज का मूल्य	Price of NEPA Newsprint ..	1—3
271. पाकिस्तान द्वारा जब्त किये गये भारतीय माल की वापसी	Return of Indian Cargo confiscated by Pakistan ..	3—9
272. रूस से आयातित ट्रैक्टर	Imported Tractors from U.S.S.R.	9—12
273. अत्यावश्यक वस्तुओं पर नियन्त्रण के बारे में पुनर्विलोकन	Review of Control on Essential Commodities	12—15
274. रेलगाड़ियों का देर से चलना	Late running of Trains ..	16—18
275. मशीनी औजारों का निर्माण	Manufacture of Machine Tools	18—19
276. रेलवे दुर्घटनाएं	Railway Accidents	20—23
अ० सू० प्र० संख्या		
S. N. Q. No.		
4. भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Bhilai Steel Plant Employees	23—30
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
277. कच्चा लोहा उद्योग समूह	Pig Iron Complex ..	31
278. इस्पात नियन्त्रक के कार्यालय के बारे में प्रतिवेदन	Report on Steel Controller's Office ..	31—32
279. स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters ..	32
280. चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्यात	Exports during the Fourth Plan ..	32—33

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
281. पटसन के दाम	Price of Jute	33
282. रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Railway Staff	33—34
283. रेलगाड़ियों का बिजली तथा डीजल से चलाया जाना	Electrification and Dieselisation of Railways	34
284. कुछ उद्योगों के लिये लाइसेंस प्रणाली हटाना	De-licensing of Industries ..	35
285. कोयला खान मालिकों को वित्तीय सहायता	Financial help to Coal Mine Owners ..	35
286. देसी कच्चा माल	Indigenous Raw Materials	35—36
287. विदेश निर्यात व्यापार में भारत का भाग	India's share in Foreign Export Trade ..	36
288. मेसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी	M/s A.H. Wheeler & Co.	36
289. विदेशी सहयोग से अलौह धातुओं का सर्वेक्षण	Survey of Non-Ferrous Metals with Foreign Collaboration ..	37
290. ट्रकों का निर्माण	Production of Trucks ..	37—38
291. हावड़ा स्टेशन पर संसद् सदस्यों के साथ कथित दुर्व्यवहार	Manhandling of M.Ps. at Howrah Station ..	38—39
292. मशीनी औजार संस्था, बंगलौर	Machine Tool Institute, Bangalore	39
293. दक्षिण पूर्व रेलवे में बिजली की व्यवस्था करना	Electrification of S.E. Railway ..	39—40
294. अलौह धातुओं का आयात	Import of Non-ferrous Metals ..	40—42
295. फिशप्लेटों और बोल्टों का उखाड़ा जाना	Removal of Fishplates and Bolts ..	42
296. रेलवे में चावल के तस्कर व्यापारी	Rice smugglers on Railways ..	42
297. विशाखापत्तनम में भारी प्लेट और जहाज निर्माण कारखाना	Heavy Plate and Vessel Factory at Visakhapatnam ..	42—43
298. नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान, करांची	National Bank of Pakistan, Karachi ..	43—44
299. अखिल भारतीय रेलवे लाइसेंस प्राप्त कुली संघ	All India Railway Licensed Porters' Union..	44

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1364. न्यास (ट्रस्ट) तथा निवृत्ति लाभ निधियां	Trust and Retirement Benefit Funds	..	44
1365. कालीकट में अपर्याप्त वैगन	Insufficiency of Goods Wagons at Calicut	..	45
1366. मैंगनीज के पट्टे की दरें	Manganese Lease Rates	..	45—46
1367. फिल्मों का निर्यात	Export of Films	..	46
1368. केरल में काजू उद्योग	Cashew Industry in Kerala	..	46
1369. कोचीन तथा बम्बई के बीच रोज चलने वाली सीधी गाड़ी	Daily Direct Train Between Cochin and Bombay	..	47
1370. केरल में मूलतः प्रतिरक्षा उद्योग	Defence based Industries in Kerala		47
1371. केरल में नारियल जटा के लिये रंगाईघर	Dye House for Coir in Kerala	..	47—48
1372. दक्षिण रेलवे में डीजल इंजन	Diesel Locomotives on Southern Railway	..	48
1373. उत्प्रेरित (एक्टीवेटेड) कार्बन	Activated Carbon		48
1374. तीसरी श्रेणी में स्थानों का आरक्षण	III Class Reservation	..	49
1375. वाडी जंक्शन स्टेशन पर सत्याग्रह	Satyagrah at Wadi Junction Station		49—50
1376. अयस्क खनन उद्योग की कठिनाइयां	Difficulties of Ore Mining Industry	..	50
1377. पूर्वोत्तर रेलवे पर नये स्टेशन	New Stations on N.E. Railway	..	50
1378. बिहार में खतरे की जंजीर खींचने की घटनाएं	Chain Pulling in Bihar	..	51
1379. पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार	Trade with East European Countries		51
1380. सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries	..	52
1381. डे रिटर्न टिकट	Day Return Tickets	..	52—53
1382. साइकिलों का निर्यात	Export of Bicycles	..	53
1383. निर्यातक	Exporters	..	53—54

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1384. सुलभ मुद्रा क्षेत्र से आयात लाइसेंस	Import Licences from Soft Currency Area ..	54
1385. चामराजनगर सत्यमंगलम रेलवे लाइन	Chamarajnagar-Satyamangalam Railway Line ..	54
1386. मेसर्स राम कृष्ण कुलवन्त राय को आयात लाइसेंस दिया जाना	Issue of Import Licence to M/s Ram Krishna Kulwant Rai ..	54—55
1387. दिल्ली में पटेल नगर में रेलवे क्रासिंग पर ऊपरी पुल	Over-bridge at Railway Crossing at Patel-nagar, Delhi ..	55
1388. मूल्य सूचकांक	Price Index Numbers ..	55
1389. भाप से चलने वाले इंजनों के स्थान पर डीजल से चलने वाले इंजन लगाना	Conversion of Steam Locomotives to Diesel Locomotives ..	56
1390. यूरोपीय साझा बाजार के देशों के साथ व्यापार	Trade with E.C.M. Countries	57—58
1391. सूती कपड़े का निर्यात	Export of Cotton Cloth	58
1392. लैटिन अमरीका के देशों को निर्यात	Exports to Latin American Countries	59—60
1393. टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T.V. Sets	60
1394. विदेशी ऋण का माल के रूप में भुगतान	Payment of Foreign Loans in the form of goods ..	60
1395. रेलवे सेवा आयोगों द्वारा पटना में परीक्षाओं का आयोजन	Holding of Examination by Railway Service Commissions at Patna ..	61
1396. दक्षिण पूर्व रेलवे के देउलटी स्टेशन पर घटना	Incident at Deulti Station on the S.E. Railway ..	61—62
1397. उत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel on the Northern Railway ..	62
1398. नारियल के तेल तथा गोला-गरी (कोप्रा) का निर्यात	Export of Coconut Oil and Copra ..	62—63
1399. कृषि ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Agricultural Tractors ..	63
1400. तिरुवैरम्बूर में हैवी बायलर प्लांट	Heavy Boiler Plant, Tiruverambur ..	63

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

1401. रेलवे नैमित्तिक (कैजुअल) श्रमिक	Railway Casual Labour	64
1402. पोकरन-जैसलमेर रेलवे लाइन	Pokaran-Jaisalmer Line	64—65
1403. कारों और स्कूटरों में चोर बाजारी	Black marketing in Cars and Scooters	65
1404. जयशंकर काटन टैक्सटाइल मिल्स, बारसी (शोलापुर)	Jayshankar Cotton Textile Mills, Barsi (Sholapur) ..	65
1405. भारी मशीन निर्माण कारखाना, रांची	Heavy Machine Building Plant, Ranchi ..	66
1408. म्योर मिल, कानपुर	Muir Mills, Kanpur ..	67
1409. साफ्ट कोक का निर्माण	Manufacture of Soft Coke ..	67—68
1410. पोन्नेरी के निकट लारी और रेलगाड़ी की टक्कर	Lorry-Train accident near Ponneri ..	68
1411. कलकत्ता में तार (केबल) की चोरी	Cable Thefts in Calcutta ..	68
1412. दक्षिण मध्य रेलवे जोन	South Central Railway Zone	69
1413. क्यूबा और उत्तरी वियतनाम से व्यापार	Trade with Cuba and North Vietnam ..	69
1414. औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings ..	69—70
1415. बेलाडिल्ला इस्पात कारखाना	Bailadilla Steel Plant ..	70
1416. दिल्ली और गाजियाबाद के बीच रेलगाड़ियां	Trains between Delhi and Ghaziabad ..	70—71
1417. दक्षिण रेलवे में रेल सड़क प्रतिस्पर्धा	Rail Road Competition on Southern Railway	71
1418. राज्य व्यापार निगम का विस्तार	Expansion of State Trading Corporation ..	71—72
1419. नेपाल में कपड़ा मिल	Textile Mill in Nepal ..	72—73
1420. बरौनी स्टेशन पर मालगाड़ी में चोरी	Thefts in Goods Train at Barauni Station ..	73
1421. फाफामऊ के निकट मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Goods Train near Phaphamau	73—74

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

1422. पूर्वोत्तर रेलवे के मथुरा-हाथरस सेक्शन पर सोनाई रेलवे स्टेशन	Sonai Railway Station on Mathura-Hathras Section on N.E. Railway ..	74
1423. बलिया में दुर्घटना	Accident at Balia	74—75
1425. हिंडौन रेलवे स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर एक व्यक्ति की मृत्यु	Death of a Man at Hindaun Railway Station (W. Railway) ..	75
1426. राज्य व्यापार निगम द्वारा जूतों की बिक्री	Sale of Shoes by S.T.C.	75—76
1427. रेलवे पुलिस और एक पुलिस दल भिड़न्त	Clash between Railway Police and a Police Party ..	76
1428. कोयम्बटूर में दूध का पाउडर बनाने का कारखाना	Milk Powder Plant at Coimbatore	76—77
1429. हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल के कर्मचारी	Employees of H.E.L. Bhopal	77
1430. काशी स्टेशन पर श्रमिकों की मृत्यु	Death of Workers at Kashi Station ..	77—78
1931. छोटे पैमाने के उद्योगों में प्रशिक्षण	Training in Small Scale Industries	78
1432. क्यूबा के साथ व्यापार	Trade with Cuba	78—79
1433. फालतू सामान	Surplus Stores ..	79
1434. इंजीनियरी के सामान का निर्यात	Export of Engineering Goods	79—80
1435. अफ्रीकी देशों को नमक का निर्यात	Exports of Salt to African Countries ..	80—81
1436. बोकारो में कुशल कर्मचारियों की कमी	Scarcity of Skilled Persons in Bokaro	81
1437. खारी झील क्षेत्र (साल्ट लेक एरिया) को रेलवे सम्बन्धी सुविधाएं	Railway Facilities to Salt Lake Area ..	81—82
1438. चौथी पंच वर्षीय योजना के लिये धन का आवंटन	Allocation for the Fourth Plan	82
1439. परादीप पत्तन तक रेलवे लाइन	Rail Link to Paradeep Port ..	82—83

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1440. दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन	Delhi Main Railway Station	83
1441. लौह अयस्क की खोज	Exploration of Iron Ore	83—84
1442. उत्तर प्रदेश में पटसन मिल	Jute Mill in U.P.	84
1443. रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel on Railways ..	84—85
1444. पंजाब मेल का देर से चलना	Late Running of Punjab Mail ..	85—86
1445. ट्रैक्टरों का निर्माण	Tractor Production	86
1446. राजस्थान में चमड़े और खाल का कारखाना	Hides and Skins Plant, Rajasthan	86—87
1447. थोक मूल्य सूचकांक	Wholesale Price Index ..	87
1448. पाकिस्तान द्वारा कच्चे पटसन का बेचा जाना	Sale of Raw Jute by Pakistan	87—88
1449. केन्द्रीय रज्जु मार्ग व्यवस्था	Central Ropeway System	88—89
1450. अवमूल्यन का पटसन के माल के निर्यात पर प्रभाव	Effect of Devaluation on Export of Jute Goods ..	89
1451. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	National Mineral Development Corporation	89—90
1452. श्रीलंका में कपड़ा व्यापार	Textile Trade in Ceylon	90
1453. ट्रैक्टर कारखाना	Tractor Factory ..	90—91
1454. अफगानिस्तान में स्थापित उद्योग	Industries set up in Afghanistan	91
1455. पेरिस और सिडनी में हथकरघा पण्यशाला (एम्पोरियम)	Handloom Emporia in Paris and Sydney..	91
1456. मद्रास में एल्यूमिनियम कारखाना	Aluminium Plant in Madras	92
1457. खनिजों पर रायल्टी	Royalty on Minerals	92
1458. आयात में उदारता	Liberalisation of Imports ..	92—93
1460. जापान को लौह-अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan	93
1461. सीमेंट का वितरण	Cement Distribution ..	93—94
1462. बिजली के भारी सामान का निर्माण	Manufacture of Heavy Electrical Equipment ..	94—95

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1463. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	Khadi Gramodyog Board ..	95
1464. नेफा के लिये जस्ता चढ़ी नालीदार लोहे की चादरों का नियंत्रण	Allotment of C. Z. I. sheets to NEFA ..	96
1465. नेफा के लिये सीमेंट का नियतन	Allotment of Cement to NEFA	96
1466. कपड़ा मिल	Textile Mills	96—97
1467. छोटी कारों का निर्माण	Manufacture of Small Cars	97
1468. सिल्चर जाने वाली यात्री गाड़ी की घटना	Silchar bound Passenger Train Incident ..	98
1469. रेलवे गार्ड	Railway Guards ..	98
1470. मिलिंग संयंत्र	Milling Plant	98—99
1471. नरसिंहपुर जिले में औद्योगिक बस्ती	Industrial Estate in Narsinghpur District ..	99
1472. पिपरिया में औद्योगिक बस्ती	Industrial Estate in Piparia	99—100
1473. इटारसी रेलवे क्रासिंग (चौराहे) पर ऊपरी पुल	Over Bridge at Itarsi Level Crossing	100
1474. कोयला खान उद्योग पर अवमूल्यन का प्रभाव	Effect of Devaluation in Coal Mining Industry ..	100—101
1475. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	National Mineral Development Corporation	101
1476. दवाइयों का क्रय विक्रय	Purchase and Sale of Medicines ..	101—102
1477. रेलवे में मुस्लिम कर्मचारी	Muslim Railway Employees	102
1478. खुले वैगनों में केरल को चावल भेजा जाना	Despatch of Rice to Kerala in Open Wagons ..	102—103
1479. खनन उद्योगों के लिये प्रोत्साहन	Incentives for Mining Industries	103
1480. मेरठ और इलाहाबाद के बीच एक्सप्रेस गाड़ी	Express Train from Meerut to Allahabad ..	103—104
1481. दुर्घटना स्थलों का निरीक्षण	Inspection at the Sites of Accidents	104
1482. दिल्ली मेन स्टेशन तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर 'लीव रिजर्व' कर्मचारी	Leave Reserve Staff at Delhi Main and New Delhi Stations ..	104—105

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1483. दिल्ली और नई दिल्ली के स्टेशनों पर माल रखने का स्थान	Storage Accommodation at Delhi and New Delhi Stations ..	105
1484. दिल्ली स्टेशन से भेजे गये फल और सब्जियां	Fruits and Vegetables Booked from Delhi Station ..	105—106
1485. आनन्द नगर रेलवे स्टेशन	Anand Nagar Railway Station ..	106
1486. रेलवे स्टेशनों का नाम रखा जाना	Naming of Railway Stations ..	106
1487. लखनऊ तथा गोरखपुर के बीच सीधी रेल गाड़ी	Direct Train between Lucknow and Gorakhpur ..	106—107
1488. पीपीगंज स्टेशन पर गोदाम	Godown at Peppeganj Station ..	107
1489. आनन्द नगर रेलवे स्टेशन	Anand Nagar Railway Station ..	107
1490. यात्रियों का भारी संख्या में पुरी जाना	Influx of Pilgrims to Puri	108
1491. हावड़ा आमता लाइट रेलवे	Howrah-Amta Light Railway ..	108
1492. ट्रैक्टरों का निर्माण	Production of Tractors ..	108—109
1493. कुंजरू समिति की सिफारिशें	Kunzru Committee's Recommendations ..	109
1494. रेलवे में सहायक मुख्य खजान्ची का पद	Post of Assistant Chief Cashier on the Railways ..	109—110
1495. तिरुचिरापल्ली में अधिक वैगनों की मांग	Demand for more Wagons in Tiruchchirapalli	110
1496. हौसपेट में इस्पात का उत्पादन	Production of Steel at Hospet	111
1497. सौराष्ट्र में वैगनों की कमी	Shortage of Wagons in Saurashtra ..	111—112
1498. कुमांऊ डिवीजन में धातुओं की खोज	Discovery of Metals in Kumaon Division ..	112
1499. शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड	Sholapur Spinning and Weaving Mills Ltd..	112—113
1500. दक्षिण वियतनाम को निर्यात	Export to South Vietnam ..	113
1501. काफी बोर्ड	Coffee Board ..	114
1502. बिहार में टसर उद्योग	Tusser Industry in Bihar ..	114

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
1503. आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में उत्पादन	Import Substitution ..	114—115
1504. रेशम की वस्तुओं का निर्यात	Export of Silk Goods ..	115
1505. भद्रावती आयरन वर्कस्	Bhadravathi Iron Works ..	115—116
1506. रेलवे सिविल तथा मेकेनिकल इंजीनियरों की सेवाओं की मांग	Loan of Services of Railway Civil and Mechanical Engineers	116
1507. रेलवे की इंजीनियरी पदालि में भर्ती	Recruitment in Engineering Cadre of Railways ..	116—117
1508. राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारी	Gazetted and non-Gazetted Officers ..	117—118
1509. उत्तर रेलवे में कर्मचारियों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था पर व्यय	Expenditure on Staff Amenities on the Northern Railway ..	118
1510. उत्तर रेलवे में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Class III and IV Staff on Northern Railway ..	118—119
1511. रुपये में भुगतान करने वाले देशों को निर्यात	Exports to Rupee payment countries ..	119—120
1512. प्रतिबन्ध रहित मुद्रा क्षेत्रों को निर्यात	Exports to Free Currency Areas ..	120
1513. निर्यात	Exports ..	120—121
1514. मशीनी औजारों का निर्यात	Export of Machine Tools	121
1515. मध्य रेलवे में रेलवे क्रासिंगों पर ऊपरी पुल	Over-bridge on Railway Crossings on Central Railway ..	121—122
1516. लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन में पद	Posts in the Iron and Steel Control Organisation	122
1517. लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन में पदोन्नति	Promotions in I & S Control Organisation ..	122—123
1518. लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन के कर्मचारी	Employees of Iron and Steel Control Organisation ..	123
1519. लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय की कार्य पद्धति	Procedure of Work in Iron and Steel Controllers' Office ..	123—124

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
1520. लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में फालतू कर्मचारी	Surplus Employees in Iron and Steel Controller's Office ..	124—125
1521. टैलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T. V. Sets	125
1522. उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक का कांगड़ा घाटी सेक्शन का दौरा	Northern Railway's G. M's. visit to Kangra Valley Section ..	126
1523. मद्रास और मैसूर में रेलवे लाइनें	Railway Lines in Madras and Mysore ..	126—127
1524. मध्य प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Industries in Madhya Pradesh ..	127
1525. आंदुल स्टेशन पर रेलगाड़ियों पर हमला	Attack on Railway Train at Andul Station ..	127—128
1526. मध्य प्रदेश में सीमेंट कारखाने	Cement Factories in Madhya Pradesh	128
1527. उड़ीसा के लिये औद्योगिक लाइसेंस	Industrial Licences for Orissa	129
1528. ऊनी उद्योग	Woollen Industry	129
1529. मूल्य स्थिर रखने का आश्वासन	Assurance for Maintaining Prices ..	129—130
1530. रेलवे में स्वचालित संकेत व्यवस्था	Automatic Signalling on Railways	130
1531. खुले वैगनों में सीमेंट का भेजा जाना	Despatch of Cement in Open Wagons ..	130—131
1532. पूर्वोत्तर रेलवे में हेड सिगनेलर तथा तार निरीक्षक	Head Signallers and Telegraph Inspectors on N. E. Railway ..	131
1533. पूर्वोत्तर रेलवे के तार निरीक्षक तथा हेड सिगनेलर	Telegraph Inspectors and Head Signallers on the N. E. Railway ..	131—132
1534. पूर्वोत्तर रेलवे में टेलीग्राफ इंसपेक्टर के पद पर पदोन्नति	Promotion of Telegraph Inspectors on the North Eastern Railway ..	132
1535. सिगनलरों के पद का ऊंचा किया जाना (अपग्रेडिंग)	Upgrading of Signallers ..	132—133

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1536.	समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Samastipur Railway Station ..	133
1537.	निर्यात	Exports ..	133
1538.	भारत यूगोस्लाविया के संयुक्त औद्योगिक उद्यम	Indo-Yugoslavia Joint Industrial Ventures ..	134
1539.	रूस से ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from U. S. S. R. ..	134
1540.	आयात लाइसेंस	Import Licences ..	134—135
1541.	निर्यात संवर्धन योजनाएं	Export Promotion Schemes	135
1542.	इस्पात की मांग	Demand for Steel ..	135—136
1543.	रेलवे में नये सुरक्षा यंत्रों का लगाया जाना	New Safety Device on Railways	136
1544.	चाय, पटसन, कपड़े, खाल, चमड़े तथा हल्के इंजीनियरी माल का निर्यात	Exports of Tea, Jute, Textiles, Hides, Skin and light Engineering Goods ..	136—137
1545.	चाय का निर्यात	Export of Tea ..	137
1546.	पंजाब में हस्तशिल्प उद्योग	Handicrafts Industry in Punjab	137
1547.	सांख्यकीय प्रतिवेदनों का द्विभाषीय (डिगलाट) प्रकाशन	Statistical Reports in Diglot Form	138
1548.	फतहपुर कुसुमखोर गोवर्धनी रेल सम्पर्क	Fatehpur Kusumkhor-Govardhani Rail Link..	138
1550.	कोयले से गैस और तेल	Gas and Oil from Coal ..	138—139
1552.	मध्य प्रदेश में उद्योग	Industries in M.P. ..	139
1553.	लघु उद्योग	Small Scale Industries	139
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance— ..	
	जम्मू तथा काश्मीर सरकार के एक प्रकाशन में आपत्तिजनक बातें	Objectionable references in a publication of Government of Jammu and Kashmir ..	140—143
	विशेषाधिकार भंग होने का प्रश्न	Question of Breach of Privilege ..	144—145
	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege ..	145, 147—148

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	145—147, 148
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha ..	148—149
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	
पचपनवां प्रतिवेदन	Fifty-fifth Report	149
नियम 355 के अन्तर्गत प्रश्न—	Question under Rule 355— ..	
लोक लेखा समिति के समक्ष खाद्य मंत्री का साक्ष्य	Evidence of Food Minister before P.A.C. ..	149—150
सभा का कार्य	Business of the House ..	150—152
चाय जिले से उत्प्रवासी श्रमिक (निरसन) विधेयक-पुरःस्थापित	Tea Districts Emigrant Labour (Repeal) Bill-Introduced ..	152
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक	Advocate (Amendment) Bill ..	152—158
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ..	152—158
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन	Shri C. R. Pattabhi Raman ..	152—154
श्री नारायण दाण्डेकर	Shri N. Dandeker ..	154—155
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey	155
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee ..	155—156
श्री कु० कृ० वर्मा	Shri K. K. Verma	156
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	156
श्री बड़े	Shri Bade ..	157
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya ..	157
श्री शिंकरे	Shri Shinkre ..	157—158
श्री कृ० ल० मोरे	Shri K. L. More	158
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma ..	158
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolution—	
इक्यानवेवां प्रतिवेदन	Ninety-First Report ..	158—159

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
भारत संयुक्त राज्य अमरीका प्रतिष्ठान (फाउंडेशन) के बारे में संकल्प-अस्वीकृत	Resolution Re. Indo-U.S. Foundation Negatived ..	159—170
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee ..	159-161, 169-170
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	Shri Sidheswar Prasad ..	161—162
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy ..	162—164, 168
श्री खाडिलकर	Shri Khadilkar ..	164—165
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh ..	165
श्रीमती रेणुका राय	Shrimati Renuka Ray ..	165—166
श्री व० ब० गांधी	Shri V. B. Gandhi ..	166
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma ..	166—167
श्री रामसेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav	167
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla ..	167—169, 170
विदेशी सरकारों आदि द्वारा हथकरघा कपड़ों की मान्यता और समर्थन के बारे में संकल्प	Resolution Re. Recognition and Support to Handloom Fabrics by Foreign Governments, etc. ..	170—171
श्री श्यामलाल सर्राफ	Shri Sham Lal Saraf ..	170—171
छोटी कार के निर्माण के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Manufacture of Small Cars .	171—173
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी	Shri H. C. Linga Reddy ..	171—172
श्री जोकीम आल्वा	Shri Joachim Alva	172
श्री संजीवैया	Shri D. Sanjivayya ..	172—173

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 5 अगस्त 1966/14 श्रावण, 1888 (शक)
Friday, August 5, 1966/Sravana 14, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नेपा मिल के अखबारी कागज का मूल्य

*270 **श्री वासुदेवन नायर**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपा मिल के अखबारी कागज का मूल्य बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस समय मूल्य में जितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि नेपा मिल के अखबारी कागज का वर्तमान मूल्य आयात किये गये अखबारी कागज के मूल्य से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो देश में तैयार हुए अखबारी कागज का मूल्य बढ़ाने का क्या औचित्य है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री वासुदेवन नायर : क्या अवमूल्यन के बाद तथा आयातित अखबारी कागज की कीमत बढ़ जाने के बाद समाचार पत्रों ने नेपा अखबारी कागज की मांग बढ़ा दी है तथा बहुत से समाचार पत्रों को नेपा अखबारी कागज का अपना कोटा लेने में कठिनाई हो रही है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : नेपा अखबारी कागज की मांग में केवल इसी कारण से कोई कमी नहीं हुई कि देश में एक यही अखबारी कागज का कारखाना है।

श्री वासुदेवन नायर : मेरा प्रश्न यह था.........

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या दूसरे प्रकार के अखबारी कागज की कीमत बढ़ जाने के कारण नेपा अखबारी कागज की मांग बढ़ गई है तथा क्या सभी लोगों को अपना कोटा नहीं मिल रहा है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : स्वाभावता हम उतना ही दे सकते हैं जितना कि हम उत्पादन कर रहे हैं।

श्री वासुदेवन नायर : आयातित अखबारी कागज की कीमत बढ़ जाने से क्या मंत्रालय के सम्मुख उत्पादन बढ़ाने तथा नेपा अखबारी कागज की किस्म सुधारने का कोई सुझाव है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जहां तक किस्म का सम्बन्ध है, यह मान लिया गया है कि नेपा अखबारी कागज आयातित कागज से घटिया किस्म का है। यह केवल कच्चे माल में भिन्नता होने के कारण है। जो कच्चा माल, शीतोष्ण-कटिबन्ध में मिलता है, वह यहां नहीं मिलता। जहां तक विस्तार-कार्यक्रम का सम्बन्ध है.........

श्री वासुदेवन नायर : क्या किस्म को सुधारना या उन्नत करना असम्भव है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : नहीं, किस्म को जहां तक सम्भव है सुधारा गया है। जहां तक विस्तार-कार्यक्रम का सम्बन्ध है, आजकल 100 टन प्रतिदिन तथा 36,000 टन प्रति वर्ष का उत्पादन है तथा विस्तार-कार्यक्रम में 75,000 टन प्रतिवर्ष के उत्पादन की व्यवस्था है।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि नेपा कारखाने के लिए आवश्यक कच्चा माल 'सेलाई' (Selai) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहा है तथा इसीलिए सरकार सेलाई (Selai) के स्थान पर बांस प्रयोग करने का विचार कर रही है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : सेलाई (Selai) तथा बांस दोनों का प्रयोग हो रहा है। कच्चे सामान की वर्तमान उपलब्धि का अनुमान लगाया गया था तथा यह मालूम हुआ कि अभी कुछ समय तक यह चल सकता है। मध्य प्रदेश सरकार का कृषि विभाग भी नई वनस्पति उगाने की दिशा में कदम उठा रहा है।

श्री कपूर सिंह : क्या हमारी किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला में नेपा अखबारी कागज को और अधिक चिकना तथा सफेद बनाने के लिए किसी ऐसी सम्भव विधि, जिस पर कम धन व्यय हो, का पता लगाने और उसको लागू करने की किसी परियोजना पर विचार हो रहा है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : अभी यह नहीं है। किन्तु जहां तक इस देश में कच्चे सामान के सुलभ होने का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, हम सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना पर विचार कर रहे हैं। हम उसका अध्ययन कर रहे हैं।

श्री शिकरे : इस आधार पर कि नेपा अखबारी कागज का उत्पादन देश की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है तथा हमको अत्यधिक विदेशी मुद्रा देकर बहुत सारा कागज विदेशों से आयात करना पड़ता है; तथा इस दृष्टि से भी कि हमारे अधिकांश तथाकथित राष्ट्रीय समाचार पत्रों में तीन चौथाई विज्ञापन होते हैं और एक चौथाई समाचार होते हैं, क्या सरकार समाचार पत्रों में विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ताकि नेपा कारखाने के उत्पादन तथा इसके कुछ ही आयात से आवश्यकतायें पूरी हो सकें ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : उद्योग मंत्रालय का सम्बन्ध केवल अखबारी कागज की सप्लाई से ही है। हमारा समाचार पत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा जब्त किये गये भारतीय माल की वापसी

+

*271 **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री रा० बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री काजरोलकर :
श्री कपूर सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री बासप्पा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री बृजराज सिंह :
श्री रामपुरे :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री राम हरख यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दिगे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम सेवक यादव
श्री मधु लिमये
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सोनावने :
श्री यु० द० सिंह

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा जब्त किये गये भारतीय माल को वापस करवाने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

वाणिज्य मंत्री(श्री मनुभाई शाह) : (क) पिछले वर्ष हुए युद्ध विराम के समय से ही सरकार जब्त माल को पारस्परिक आधार पर छोड़ने के लिए पाकिस्तान से समझौता करने के निरन्तर प्रयत्न कर

रही है। समस्त माल के पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए नवम्बर, 1965 में पाकिस्तान को विशिष्ट प्रस्ताव दिये गये थे और मार्च, 1966 में उन्हें दुहराया गया। इसके प्रति पाकिस्तान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। गत मार्च में रावलपिंडी में मन्त्रि स्तर पर हुई वार्ताओं में पाकिस्तान ने इस मामले पर विचार विमर्श करने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की। सहायता देने वाले देशों की प्रेरणा के परिणाम-स्वरूप पाकिस्तान ने जनवरी, 1966 में ताशकन्द समझौते का अनुसरण करते हुए, भारत को भेजे गये सहायता-प्राप्त माल को सहायक देशों के पक्ष में छोड़ने का निर्णय किया।

(ख) वर्तमान स्थिति यह है कि पाकिस्तान ने सहायता प्राप्त माल की कुछ खेपों को छोड़ दिया है किन्तु उसके द्वारा जब्त अन्य माल को छोड़ने के लिए उसने कोई कदम नहीं उठाये हैं।

श्री नि० रं० लास्कर : जब पाकिस्तान का भारत के साथ सभी अवशिष्ट विवादों को हल करने का इरादा नहीं है, तो हमारी सरकार पिछले संघर्ष के दर्मियान रोके गये माल को छोड़ने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है ?

श्री मनुभाई शाह : क्योंकि हम ताशकन्द घोषणा का शाब्दिक एवं भावनात्मक — दोनों रूपों में अनुसरण कर रहे हैं, अतः तत्सम्बन्धी सभी बातों को राष्ट्रीय नीति के रूप में मान्य होना चाहिए।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या हमारी सरकार को इस माल के, इकतरफा छोड़ देने से कोई फायदा हो रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : लाभ स्पष्ट है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान द्वारा अवरुद्ध किया गया माल दो प्रकार का था। एक तो सैनिक सामान तथा दूसरा हमारे उपभोग का सामान था। प्रथम तथा दूसरे प्रकार के माल की क्या कीमत है ? पाकिस्तान द्वारा रोके गये सारे माल की क्या कीमत है ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य ने माल को दो श्रेणियों में बांट दिया है, लेकिन सामान तीन प्रकार का था। इसमें किसी प्रकार का सैनिक सामान नहीं है। प्रथम श्रेणी का भारतीय अवरुद्ध माल वह है जो पूर्वी पाकिस्तान की नदियों से होकर ले जाया जा रहा था। दूसरी प्रकार का पाकिस्तान द्वारा रोका गया भारतीय माल वह है जो तटस्थ और पाकिस्तानी जहाजों द्वारा, पाकिस्तानी बन्दरगाहों पर रोका गया था। तीसरी श्रेणी में वह सहायता का माल आता है जो बहुत से विदेशी देशों ने सहायता के रूप में पाकिस्तान के मार्ग से भारत को भेजा था। इन तीनों में से तृतीय श्रेणी में आने वाले माल को छोड़ने के बारे में समझौता हो गया है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस आधार पर कि पाकिस्तान द्वारा सामान जब्त करने से अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन होता है तथा यह देखते हुए कि हमारे द्वारा ताशकन्द समझौते के शाब्दिक तथा भावनात्मक इकतरफा पालन होने के कोई परिणाम नहीं निकले, सरकार इस माल को छुड़ाने के लिए क्या उपाय सोच रही है और यदि हां तो सरकार इन निर्णयों को कब तक अन्तिम रूप देने जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : हम निष्क्रिय नहीं रहे। हमने अपने 17 दिसम्बर, 1965 को संयुक्त-राष्ट्र संघ के महासचिव को लिखे गये पत्र में संयुक्तराष्ट्र संघ का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित किया है। महासचिव को लिखा गया यह पत्र सुरक्षा परिषद के दस्तावेज के रूप में सुरक्षा परिषद के सदस्यों में परिचालित किया गया था। हम पाकिस्तान सम्बन्धी सभी प्रश्नों को कूटनीतिक तथा द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा प्रकाश में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो कार्यवाही हम कर रहे हैं वह हम सभा में कई बार बता चुके हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या भारत द्वारा रोके गये पाकिस्तानी माल को छोड़ने का निर्णय करते हुए सरकार इस बात पर भी ध्यान देगी कि यदि पाकिस्तान सरकार हमारे माल को छोड़ने का निर्णय करना चाहती है तो भारत सरकार को वह सारा माल नहीं मिल सकेगा, क्योंकि उसमें से अधिकांश माल उदाहरणतः चाय, नालीदार लोहे की चादरें तथा सिगरेट—इसी दर्मियान पाकिस्तानियों द्वारा बेच दिया गया है ? इस मामले को सरकार कैसे हल करने जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : अन्तर्राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति का एक नियम है। जिस माल को इस्तेमाल कर लिया गया हो उसकी क्षतिपूर्ति दी जाती है। माल जो प्रयोग में आने लायक है उस पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री कपूर सिंह : यदि निकट भविष्य में कभी ऐसा संघर्ष हुआ तो इस प्रकार माल जब्त करने के विरुद्ध कोई सुरक्षा रखी जायगी ?

श्री मनुभाई शाह : यह बड़ा काल्पनिक प्रश्न है।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या सरकार के विचार से पाकिस्तान सरकार को सद्बुद्धि आयगी और वे हमारा सारा माल छोड़ देंगे ? यदि नहीं, तो माल को वापस लेने के लिए सरकार का विचार क्या उचित कार्यवाही करने का है ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय महिला सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रथम भाग में जो विचार व्यक्त किए हैं, हमारे भी बहुत कुछ वैसे ही विचार हैं।

श्री बासप्पा : जो माल छोड़ा जा चुका है उसका क्या मूल्य आंका गया है तथा जो अभी नहीं छोड़ा गया उसका क्या मूल्य है ?

श्री मनुभाई शाह : मैं कुछ आंकड़े दूँगा क्योंकि ये बहुत ही सामान्य से अनुमान हैं। प्रथम श्रेणी में आने वाले माल का मूल्य जिसका मैंने जिक्र किया है 8.41 करोड़ रुपये है, दूसरी श्रेणी के माल का मूल्य 8.31 करोड़ रुपये है तथा तृतीय श्रेणी में आने वाले माल का मूल्य $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये है।

श्री हरि विष्णु कामत : यह समझते हुए कि यह विषय उस ताशकन्द समझौते का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे पाकिस्तान सरकार एक कागज के टुकड़े से कुछ ही अधिक समझती है, क्या

प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में अपनी रूस यात्रा के दर्मियान रूस के प्रधान मंत्री से बातचीत की तथा सोवियत सरकार से पाकिस्तान सरकार पर अपना प्रभाव डालने का अनुरोध किया ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहे ? अथवा मंत्री महोदय ने स्वयं रूस सरकार से इस पर बातचीत की ?

श्री मनुभाई शाह : जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में इस पर स्पष्ट प्रकाश डाला गया था। जो कुछ उसमें है वही स्थिति है ।

श्री हरि विष्णु कामत : विज्ञप्ति में जितना कुछ कहा जाता है उससे कहीं अधिक उसमें छिपा रहता है । अधिकांश विज्ञप्तियों में यही कुछ होता है । हम इसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं और आप भी जानते हैं । सरकार भी यह जानती है । मैं समझता हूँ वह प्रयत्न कर रहे हैं·········

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत का कहना है कि प्रकाशित होने की अपेक्षा छिपाया अधिक जाता है ।

श्री मनुभाई शाह : जो कुछ विज्ञप्ति में है वह स्पष्ट है । उससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस पर प्रधान मंत्री ने स्वयं औपचारिक बातचीत की थी ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि उन्हें अधिक कुछ नहीं कहना है ।

श्री हरि विष्णु कामत : विज्ञप्ति के बारे में ? मेरे विचार में आपको सभा की सहायता करनी चाहिए ।

श्री कपूर सिंह : श्री कामत का यह भी कहना है कि आपको भी इस विषय की जानकारी है; अतः आप ही हमारी सहायता करें ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे माननीय मित्र मेरी सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री लीलाधर कटकी ।

श्री हरि विष्णु कामत : इससे पूर्व क्या आप सभा की सहायता करेंगे ? वह कहते हैं कि उन्हें अधिक कुछ नहीं कहना है । किस सम्बन्ध में ? क्या विज्ञप्ति के सम्बन्ध में ?

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ विज्ञप्ति में कहा गया है उस सम्बन्ध में । उन्हें इससे आगे कोई जानकारी नहीं है·········(व्यवधान) । श्री लीलाधर कटकी ।

श्री हरि विष्णु कामत : हमने विज्ञप्ति पढ़ी है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : प्रश्न यह था कि क्या प्रधान मंत्री ने या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री ने सोवियत रूस के अधिकारियों के साथ अपनी रूस यात्रा के दर्मियान इस सम्बन्ध में बातचीत की ? उस प्रश्न का जवाब आना चाहिए ।

श्री मनुभाई शाह : जहां तक दो प्रधान मंत्रियों के बीच वार्ता का सम्बन्ध है·········

श्री हरि विष्णु कामत : आपका भी ।

श्री मनुभाई शाह : दरअसल वार्ता घण्टों होती रही तथा मुझे या किसी और को भी कोई आन्तरिक विवरण न मिल सका.........(व्यवधान)। यदि आप मेरी बातचीत के बारे में पूछें तो मैं कुछ कह सकता हूँ। मैंने इस सम्बन्ध में बातचीत की तथा ताशकन्द घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए रूस में पूरी सद्भावना है।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूँ ? आपको हमारी रक्षा करनी है। यहां एक मंत्री महोदय हैं जो हमारी ही नहीं अपितु आपकी आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। वह कहते हैं कि ताशकन्द घोषणा मानी गई। ऐसा नहीं हुआ। ताशकन्द घोषणा के अन्तर्गत यह नहीं आता। यह केवल अनुवर्ती कार्यवाही है.........

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि उनसे पूछा गया था कि सोवियत रूस के मंत्री और उनके बीच क्या बातचीत हुई, उन्होंने वह बता दिया।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने प्रश्न से बचने की आदत बना ली है। वह अब टालमटोल कर रहे हैं।

श्री लीलाधर कटकी : क्या मंत्री महोदय पूर्वी पाकिस्तान में रोके गये माल की विशेषतः आसाम से आने वाली चाय और पटसन तथा आसाम को जाने वाली दूसरी बड़ी वस्तुओं के अलग-अलग विवरण देंगे ?

श्री मनुभाई शाह : वही मैं बता चुका हूँ। प्रथम श्रेणी में जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया, 8.41 करोड़ रुपये है। उस पर बातचीत चल रही है।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय के उत्तर से यह जान पड़ता है कि उन्हें हमारी प्रधान मंत्री तथा श्री कोसिगिन के बीच में हुई वार्ता का कुछ पता नहीं है। यह ताशकन्द समझौते के कारण है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या सोवियत संघ को माल छुड़ाने के बारे में अपने प्रभाव का प्रयोग करने के लिए लिखा गया है ?

श्री मनुभाई शाह : ऐसे प्रश्न पर हम तीसरी सरकार के हस्तक्षेप का अनुरोध नहीं करते। किन्तु सिद्धान्तः माल विनिमय के अतिरिक्त, ताशकन्द समझौते के दूसरे पहलू भी हैं, जिन पर हम सोवियत रूस का ही नहीं अपितु दूसरे मित्र देशों का भी ध्यान आकर्षित करते आ रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस सम्बन्ध में उनको कोई पत्र लिखा गया है ?

श्री मनुभाई शाह : जी, नहीं।

श्री बड़े : रूस के मंत्री से बातचीत करते हुए क्या उन्होंने इस समस्या की भी चर्चा की थी और क्या रूस के मंत्री ने उन्हें बताया था कि वे माल को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान से आग्रह करेंगे।

श्री मनुभाई शाह : ऐसे मामलों में "हां" अथवा "नहीं" उत्तर नहीं मिलता है।

हमने उनसे इस सम्बन्ध में उल्लेख किया और उन्होंने सहानुभूति प्रकट की और कहा कि ताशकन्द समझौते का पालन किया जाना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह "हां" अथवा "नहीं" का प्रश्न नहीं है । यह भी नहीं है कि माल तुरन्त छोड़ दिया जाये । प्रश्न यह था कि क्या वे प्रयत्न करेंगे अथवा नहीं ?

श्री हेम बरुआ : क्या मंत्री को इन बातों का उल्लेख करने के लिये ही विदेश जाना चाहिए और वहां से बिना किसी उत्तर के लौट आना चाहिए ? विदेशी मुद्रा को इस प्रकार खर्च नहीं किया जाना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरे भी तो कोई निश्चित उत्तर नहीं देते हैं कि वे क्या करेंगे । वे तो केवल उम्मीद दिलाते हैं कि वे प्रयत्न करेंगे ।

श्री हेम बरुआ : ये तो उम्मीद भी नहीं दिलाते ।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने तो इतना भी नहीं कहा ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को कोई ऐसा अधिकृत समाचार मिला है कि पाकिस्तान ने सारे अवरुद्ध माल तथा हमारे सभी जहाजों पर दूसरा रंग करा दिया है और वह उनका प्रयोग अन्य नामों से कर रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : यह सच है । हमें जानकारी मिली है कि कुछ माल पर दोबारा रंग किया जा रहा है और पाकिस्तान द्वारा उनको प्रयोग में लाया जा रहा है ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the cost of the cargo released by us after the Tashkent Declaration ?

Shri Manubhai Shah : We have released cargo worth Rs. 7½ crores.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : They have actually used our cargo after repainting which is improper. The Hon. Minister has just stated that we wanted to negotiate with Pakistan at ministerial level, but Pakistan was not ready for that. May I know whether the Hon. Minister has ever taken up this matter with them ? If not, what are the reasons for not taking up this matter with them ?

Shri Manubhai Shah : We have taken up this matter with them a number of times. This was taken up in Rawalpindi. This was also taken up when I met Shri Farrooq in London. Whenever we get a chance, we takeup this matter and place the result before you.

Shri Yashpal Singh : The Government has not explained that what Shri Wilson and Shri Johnson can do, when our cargo was impounded. Let Government tell us whether they have agreed to adhere to the Tashkent Declaration even if Pakistan honour it or not ? If Pakistan does not want any interference, then what are the measures Government wants to adopt ?

श्री मनुभाई शाह : केवल माल का ही आदान-प्रदान नहीं करना है इसके अलावा और भी कई मामले हैं । मैं सोवियत संघ इस मामले पर चर्चा करने के लिए नहीं गया था । मैं अवमूल्यन से सम्बन्धित एक अन्य प्रयोजन के लिए गया था । इन सभी बातों को निपटा लिया गया है । मेरा दौरा इस प्रयोजन के लिए नहीं था । परन्तु मैंने इसका उल्लेख प्रसंगवश किया था और उन्होंने

सहानुभूति प्रकट की। मैंने इस बारे में पहले ही बता दिया है। लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए केवल प्रार्थना ही की जा सकती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जितना माल कब्जे में ले लिया गया था वह जहाजों में था और माल के साथ जहाजों को भी कब्जे में ले लिया गया था। क्या पाकिस्तान कब्जे में लिए गये भारतीय माल को छोड़ने से इनकार कर रहा है अथवा उन्होंने किसी जहाज को छोड़ने से भी इनकार कर दिया है ?

श्री मनुभाई शाह : जहाज और माल दो अलग-अलग बातें हैं और मैं सभा को पहले भी बता चुका हूं कि हमने तीन जहाजों का आदान-प्रदान किया है। जहाजों को कब्जे में नहीं लिया गया था। केवल माल को ही कब्जे में लिया गया था।

श्री त्यागी : क्या इस उत्तर से मैं यह समझूं कि हमने पाकिस्तान का माल छोड़ दिया है तथा माल छोड़ने से पहले अथवा बाद में पाकिस्तान के साथ बातचीत हुई। मैं जानना चाहता हूं कि तथाकथित ताशकन्द समझौते के अन्तर्गत माल छोड़ने के बारे में उन्होंने क्या उत्तर दिया था ? क्या उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया था और उनके द्वारा इनकार किये जाने के बावजूद हमने एक पक्षीय रूप से माल छोड़ा था अथवा हमने उनका माल किसी शर्त पर छोड़ा था ?

श्री मनुभाई शाह : जो बात मैंने सभा को कई बार बताई है वह यह है : सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए दोनों सरकारों द्वारा कार्यवाही लगभग एक पक्षीय रूप से की गई है। सहायता वाले माल के बारे में द्विपक्षीय रूप से कार्यवाही की गई है। पाकिस्तान को सहायता देने वाले देश, जिनका माल भारत में जब्त किया गया था, तथा वे विदेशी सरकारें, जिनका माल भारत के लिए था और पाकिस्तान द्वारा जब्त किया गया था, माल छुड़ाने में उतनी ही दिलचस्पी रखती थी। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है। दोनों पक्षों में बातचीत हुई और दोनों सरकारें माल छोड़ने के लिए सहमत हो गईं। यह माल छोड़ा जा रहा है।

रूस से आयातित ट्रैक्टर

+

***272. श्री दी० चं० शर्मा :**	**श्री रिशांग किशिंग :**
श्री प्र० चं० बरुआ :	**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री नम्बियार :	**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :	

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस से आयातित ट्रैक्टरों की बहुत मांग है क्योंकि वे भारत में बने ट्रैक्टरों की तुलना में सस्ते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि व्यापारी इन ट्रैक्टरों का वितरण करने में गड़बड़ी करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) जी, हां ।

(ख) 1965 में सोवियत रूस से 1935 ट्रैक्टरों के आयात करने की व्यवस्था की गई थी । 1966 में 1305 ट्रैक्टरों के आयात करने की व्यवस्था पहले से ही पूरी की जा चुकी है और सोवियत रूस से लगभग 700 और ट्रैक्टरों के आयात के लिए प्रगति की जा रही है ।

(ग) और (घ). आयात अभिकर्ताओं का काम करने वाली चार फर्में हैं और उन्हें राज्य व्यापार निगम द्वारा विशेष निदेश दिए गए हैं कि वे क्रयादेशों को पंजीकृत करने के लिए रजिस्टर रखें और ट्रैक्टरों का सम्भरण "पहले आये पहले पाये" के आधार पर करें । कुछ किसानों से उनकी मांगें न पूरी होने की शिकायतें आई थीं । जब कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनकी जांच की जाती है और राज्य व्यापार निगम द्वारा उन्हें दूर करने के उपाय किए जाते हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में अपेक्षित ट्रैक्टरों की संख्या का अनुमान लगाया है और क्या सरकार ने अपने देश से अथवा रूस अथवा अन्य देशों से आयात करके इन ट्रैक्टरों को उपलब्ध कराने के कोई प्रबन्ध किये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : हमने अपनी आवश्यकताओं का व्यापक रूप से सर्वेक्षण किया है और जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है इन आवश्यकताओं को दो भागों में बांटा गया है : हम देश में कितने ट्रैक्टरों का निर्माण कर सकते हैं और शेष आयात किये जाने वाले ट्रैक्टर कितने हैं जिनका आयात न केवल रूस से ही परन्तु उन सभी देशों से, जिनके साथ हमारे अच्छे व्यापारिक सम्बन्ध हैं, किया जा सकता है । चौथी योजना के अन्त तक हम ट्रैक्टरों में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेंगे ।

श्री दी० चं० शर्मा : राज्य व्यापार निगम अथवा वाणिज्य मंत्रालय अथवा स्वयं इस मंत्रालय अथवा उपमंत्रियों द्वारा उन व्यापारियों की क्या देख रेख की जा रही है जिनको वितरण करने के लिए ट्रैक्टर अलाट किये जाते हैं । क्या यह सच नहीं है कि देख रेख इतनी ढीली है कि ट्रैक्टर चोर-बाजार में बिक रहे हैं और मंत्री महोदय को इस स्थिति का पता ही नहीं है ?

श्री मनुभाई शाह : मुझे इस बात का पता है कि कुछ ट्रैक्टर चोर-बाजार में बिकते हैं और माननीय सदस्य का आरोप सही है । परन्तु अधिकतम ट्रैक्टरों का जो विभिन्न देशों से प्राप्त होते हैं, वितरण खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की हिदायतों के अनुसार राज्य व्यापार निगम द्वारा "जो पहले आय ले जाय" के आधार पर किया जाता है । आशा है देश में ट्रैक्टरों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने हेतु अधिक ट्रैक्टरों का आयात किया जायगा ।

Shri Onkar Lal Berwa : The prices of imported tractors have gone up after devaluation. May I know whether tractors will be given to the farmers on the old rates or on the new increased rates ?

Shri Manubhai Shah : The fact is that the demand for tractors has increased and we cannot meet it. Since we have to pay 57·5 percent more than before and therefore the prices of the imported ones would increase to that extent but in case of indigenous tractors, there is no scope for such an increase. We are negotiating with the tractor factories. They can increase the prices only to that extent to which import content is used by them.

Shri Onkar Lal Berwa : If they increase prices, will you please make these tractors available to the farmers on the old rates after allowing subsidy to that extent?

Shri Manubhai Shah : At present we do not intend to allow any subsidy.

श्री प्र० चं० बरुआ : रूस से आयात किये गये ट्रैक्टरों की बहुत मांग है। अभी मंत्री महोदय इस बारे में कुछ आंकड़ों का उल्लेख कर रहे थे, जिनको मैं समझ नहीं सका हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि 1965 में रूस से कितने ट्रैक्टर मंगाये गये थे ? क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान रूस से कितने मंगाये गये थे और उचित मरम्मत तथा फालतू पुर्जों के अभाव के कारण उनमें से कितने बेकार पड़े हुए हैं ? रूस सरकार से और ट्रैक्टर मंगाने से पहले क्या सरकार सेवाई और फालतू पुर्जों के लिए अधिक अच्छी सुविधायें देने जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : यह सब आंकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य रूस से आयात किये गये ट्रैक्टरों की संख्या जानना चाहते हैं तो वह इसके लिए एक अलग प्रश्न की सूचना दें।

मेरी जानकारी के अनुसार राज्य व्यापार निगम के पास अथवा डिपुओं में एक ट्रैक्टर भी बेकार नहीं पड़ा है। इसके विपरीत उनकी काफी मांग है। उनका वितरण करने से पूर्व जो इस समय मांग है वह उपलब्ध ट्रैक्टरों की संख्या से दुगनी है।

श्री प्र० चं० बरुआ : वे खेतों में बेकार पड़े हुए हैं।

श्री कंडप्पन : क्या उनकी सेवाई आदि के लिए कोई सुविधायें दी गई हैं ?

Shri Kashi Ram Gupta : Is the Hon. Minister aware of this fact that the prices of imported tractors particularly of Jetter tractors imported from Yugoslavia have gone up from Rs. 2,500 to Rs. 5,500 each ? The Hon. Minister has just stated that they do not intend to allow any subsidy, may I know whether he thinks that a farmer can afford to purchase a tractor at such a high rate of Rs. 5,500 and carry on his work economically ; and if not, what measures he proposes to adopt to bring down the prices ?

Shri Manubhai Shah : First thing is this that the demand is so great..........

Shri Kashi Ram Gupta : This is not the question. The question is........

Shri Manubhai Shah : First listen to me. It will cover both these things.

The prices of fully-imported tractors will have to be increased by 57.7 percent. Even then the demand is so great that we cannot meet it.

The second thing is this that we are going to invite the authorities of the factory about which the Hon. Member has mentioned. We will find out the extent of import content used in the tractors being manufactured by them as they are indigenous tractors. They have no right to raise their price by 57.7 percent. We will find out the import content and then fix the price.

Shri Kashi Ram Gupta : Will he get the money refunded which have already been paid ?

Shri Manubhai Shah : They will have to refund it if they have raised the price wrongly.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री रघुनाथ सिंह : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । कुछ और अनुपूरक प्रश्न पूछने दिये जायें ।

श्री त्यागी : केवल तीन ही अनुपूरक पूछने दिये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न पर आ गया हूं ।

अत्यावश्यक वस्तुओं पर नियन्त्रण के बारे में पुर्नविलोकन

+
*273. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्रीमती रेणुका राय :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक वस्तुओं विशेषकर खाद्य तेलों पर नियंत्रण के बारे में कोई पुर्नविलोकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6672/66**]

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से खाद्य तेलों और भेषज और औषधियों की उपलब्धता और कीमतों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री की अपनी जानकारी क्या है, और क्या वह इस बात को मानते हैं कि वस्तुएं बहुत कम मिलती हैं और कठिनाई से मिलती हैं और यदि हां, तो अगले कुछ महीनों में किस सुधार की आशा की जा सकती है ?

श्री मनुभाई शाह : मुझे काफी सुधार की आशा है क्योंकि ऐसे समाचार हैं कि खरीफ की फसल अच्छी है । तिलहन का उत्पादन सामान्य होने की संभावना है और इसका प्रभाव बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में अनुभव किया जा रहा है । परन्तु यह सच है कि तेलों की कीमतें न केवल अवमूल्यन के बाद ही बढ़ी हैं अपितु इसके पहले भी बढ़ी हुई थीं । हमने सूरजमुखी का तेल रूस से और सोयाबीन का तेल अमरीका और कुछ और तेल पश्चिम यूरोप के देशों से आयात किये हैं । जहां तक औषधियों का सम्बन्ध है, हमने औषधियों के मूल्यों पर दृढ़ नियन्त्रण लागू कर दिया

है। सभी औषध विक्रेताओं को कह दिया गया है कि वे 1963 में निर्धारित किये गये मूल्य ही वसूल करें न कि वर्तमान मूल्य। खुदरा और थोक दोनों कीमतें डिब्बों पर छापी जायेंगी।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सरकार का कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत उपभोग की अत्यावश्यक वस्तुओं की सूची तैयार की जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि कम से कम इन अत्यावश्यक वस्तुओं के उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और वे साधारण नागरिक को उपलब्ध कराई जाती हैं ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां, हम इसी तरीके पर कार्य कर रहे हैं कि अत्यावश्यक वस्तुओं का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में किया जाये और उन्हें लोगों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाये। खाद्यान्न, दालें और अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में स्थिति काफी संतोषजनक है। मिट्टी का तेल, भेषज और औषधियों के बारे में भी यही स्थिति है। चीनी नियन्त्रित मूल्यों पर बिक रही है। कपड़े की लोकप्रिय किस्मों पर पहले ही नियन्त्रण है और उनका वितरण नियन्त्रित मूल्यों पर किया जाता है। परन्तु यही सब कुछ नहीं है। हम इसकी जांच कर हैं कि उत्पादन को किस तरह बढ़ाया जा सकता है और नियन्त्रित मूल्यों पर उसका संतोषजनक वितरण किस तरीके से किया जा सकता है।

श्रीमती रेणुका राय : माननीय मंत्री के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि सरकार अपनी सफलता के लिए पूर्ण रूप से नई फसल पर निर्भर कर रही है।

श्री मनुभाई शाह : जहां तक तेल का सम्बन्ध है।

श्रीमती रेणुका राय : और खाद्यान्न भी। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न नीति सम्बन्धी समिति अब भी खाद्यान्न की वसूली और वितरण के मामले का पुनर्विलोकन कर रही है। यह समिति अपना प्रतिवेदन कब देगी और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कीमतें निरन्तर बढ़ रही हैं, सरकार इस सम्बन्ध में कब निर्णय करने जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : आशा है कि गाडगिल समिति शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन दे देगी। जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है उनके सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि मंत्री को अलग से प्रश्न पूछा जाना चाहिए।

श्री कंडप्पन : यह तथ्य है कि खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है। इस सम्बन्ध में क्या गुजरात राज्य को, जो कि एक बहुतायत वाला राज्य है अन्य राज्यों को तेल ले जाने पर पाबन्दी लगाने की अनुमति देना उचित है? भविष्य में इस वस्तु के निर्यात की संभावना को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन देकर इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाये हैं?

श्री मनुभाई शाह : एक प्रश्न में कई प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल एक का ही उत्तर दें।

श्री मनुभाई शाह : गुजरात सरकार द्वारा तेल के लाने ले जाने पर पाबन्दी लगाने के सम्बन्ध में जहां तक अत्यावश्यक खाद्य वस्तुओं का सम्बन्ध है, पिछले दो वर्षों में सामान्य नीति यह रही है कि सूखे द्वारा उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति का सामना करने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को चना, दालें, गेहूं, चावल और खाद्य तेलों के लाने ले जाने पर पाबन्दी लगाने का अधिकार दे दिया गया है ।

श्री कंडप्पन : क्या यह सच है कि वनस्पति घी बनाने के लिए केवल मूँगफली के तेल को ही उपयुक्त समझा जाता है । क्या इस प्रयोजन के लिए आयातित तेल प्रयोग नहीं किया जा रहा है ।

श्री मनुभाई शाह : नहीं ; नहीं ; केवल वनास्पति घी के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है ।

श्री कंडप्पन : पहले मूँगफली तथा उसके तेल का निर्यात विदेशों को होता था । परन्तु देश में इनकी कमी के कारण ऐसा नहीं हो रहा है । इसलिए गुजरात सरकार ने जो पाबन्दी लगाई है उसको हटा लेना चाहिए क्योंकि इससे किसानों का इसके उत्पादन का उत्साह कम होता है । हम तेल के लाने जाने पर जो रोक है उसको क्यों नहीं हटा देते ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

श्री मनुभाई शाह : विशेष रूप से अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए स्थानीय मांग में वृद्धि हो जाने के कारण हमें ऐसा करना पड़ा ।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या यह सच है कि तिलहन की कमी के कारण देश भर में तेल वालों की सहकारी समितियों की मिलें काफी समय से बन्द पड़ी हैं ; यदि हां, तो इन समितियों को पर्याप्त कच्चा माल देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : देश भर में सभी सहकारी समितियां ऐसे ही मूँगफली और मूँगफली के उपलब्ध बीज खरीद रही हैं जैसे कि अन्य कोई व्यक्ति । हमें इसकी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब तक इन अत्यावश्यक वस्तुओं और विशेष रूप से खाद्य तेलों और मिट्टी के तेल का वास्तविक थोक स्टाक गैर-सरकारी व्यापारियों के हाथ में रहेगा और सरकार का अपना वास्तविक नियन्त्रण नहीं रहेगा, क्या मंत्री महोदय यह समझते हैं कि ये नियन्त्रण आदेश बेईमान व्यापारियों की कार्यवाहियों को रोकने के लिए काफी होंगे ।

श्री मनुभाई शाह : अत्यावश्यक वस्तुयें अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं । तेल और स्टाक के अर्जन के सम्बन्ध में, तीन राज्य सरकारों ने स्टाक अर्जित किया है और वे उचित मूल्य वाली दुकानों द्वारा तेल का वितरण कर रही हैं । स्थानीय प्रश्न पर चर्चा करना स्थानीय सरकार का काम है । यदि माननीय सदस्य मुझे किसी विशिष्ट क्षेत्र में कमी के बारे में बतायें तो मैं उस मामले की जांच कर सकता हूँ ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : हाल ही में किसानों ने कम भूमि में मूंगफली की खेती आरम्भ कर दी है और भारत सरकार के विपणन सलाहकार द्वारा किये गये अध्ययनों के आधार पर मौसम के बाद मूंगफली के मूल्य में 700 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार क्या करना चाहती है ?

श्री मनुभाई शाह : मैं इन धारणाओं से सहमत नहीं हूँ। मूंगफली की खेती की भूमि घटने की बजाय बढ़ रही है, मूंगफली का उत्पादन भी बढ़ रहा है; केवल गतवर्ष ही सूखे के कारण इसमें कमी हुई।

श्री नारायण दाण्डेकर : गैर-कृषि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य नियन्त्रण और उनके उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : उत्पादन और मूल्य में संतुलन बनाये रखने के लिए हम उत्पादकों को उचित मूल्य देना चाहते हैं। निर्मित वस्तुओं के सम्बन्ध में हम उद्योग की ऐसी हालत नहीं बना देना चाहते जिससे उनको अपने उत्पादन पर सामान्य मुनाफा भी, जो उन्हें मिलना चाहिए, न मिले। सूती वस्त्र नियन्त्रण, औषध नियन्त्रण, साइकिल टायर और ट्यूब नियन्त्रण का यही आधार है; हम भविष्य के नियन्त्रणों में उपभोक्ता के हित का सबसे अधिक ख्याल रखेंगे, परन्तु उद्योग के हित की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

श्रीमती विमला देशमुख : सूरजमुखी और सोयाबिन के तेलों की कितनी-कितनी मात्रा आयात की गई है और उसका वितरण किस तरीके से किया जायगा और प्रति किलो मूल्य कितना कम होगा ?

श्री मनुभाई शाह : 150,000 टन सोयाबीन का तेल आयात किया गया है और सारे का सारा वनस्पति उद्योग को दे दिया गया है। रूस से आयात किये जाने वाले सूरजमुखी के तेल में से 10,000 टन वनस्पति उद्योग को दिया जायेगा और 2,000 टन खुदरा व्यापारियों को।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Have Government conducted an investigation to find out the extent to which the prices are effected by the shortage and also the extent to which they are raised by the traders ? Have Government tried to differentiate between the two? Are Commodities available in the market at the rates announced by A. I. R.? Are the names of the arrested traders announced over A. I. R.

Shri Manubhai Shah : Stringent action is being taken against those indulging in malpractices. Such persons are being arrested and prosecuted. Stores and fair price shops are being opened. We have issued a new ordinance which is going to be given the form of an act. We are trying to increase production. Price Control and Distribution Control are being introduced at suitable places.

रेलगाड़ियों का देर से चलना

+
*274. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देर से चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए गाड़ियों का देर से पहुँचना बन्द हो, इस कार्य के लिए और उन्हें समय पर चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जुलाई, 1965 से जून, 1966 तक की अवधि में सभी रेलों में सवारी ले जाने वाली गाड़ियों के संचलन का विश्लेषण करने से पता चला है कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उपर्युक्त अवधि में गाड़ियों के समय-पालन की स्थिति प्राय: ज्यों की त्यों रही है—इस स्थिति में बड़ी लाइन पर मामूली सुधार हुआ है जबकि मीटर लाइन पर कुछ गिरावट आयी है ।

(ख) जिन कारणों से गाड़ियों के समय-पालन पर बुरा प्रभाव पड़ा है वे मुख्यतः इस प्रकार हैं : भीषण अनावृष्टि की स्थिति, बाढ़ और टूट-फूट, सीमा-सम्बन्धी झगड़ों के कारण नागरिक उपद्रव तथा बन्द, खाद्य-सम्बन्धी आन्दोलन आदि, खतरे की जंजीर खींचने की अधिक घटनाएं, गाड़ियों का आपाती संचालन, संचार व्यवस्था में खराबी, सिगनल तथा अन्तर्पाश उपस्करों की चोरी और दुर्घटनाएं ।

(ग) समय-पालन सम्बन्धी आन्दोलन चलाने और सवारी ले जाने वाली गाड़ियों के संचालन पर सभी स्तरों पर कड़ी निगाह रखने की व्यवस्था की गई है ।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या सरकार को पता है कि अपेक्षाकृत दक्षिण खंड में रेलगाड़ियां अधिक देर से चलती हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : यह सच है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा विशेष रूप से मैसूर-महाराष्ट्र सीमा पर दंगों के कारण········**(अन्तर्बाधाएं)** ।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या सरकार यह नहीं समझती कि यदि नये इंजिन और डीजल से चलने वाले इंजिन लगा दिये जायें तो गाड़ियों के आने-जाने में होने वाले विलम्ब को रोका जा सकता है और गाड़ियों को सही समय पर चलाया जा सकता है ?

डा० राम सुभग सिंह : स्थिति के अनुसार जहां भी आवश्यकता होती है नये इंजिन लगाये जाते हैं ।

Shri M. L. Dwivedi : Perhaps the Hon. Minister wants to conceal that the Railway staff do not record the late running of trains correctly and he does not get the report, otherwise our experience is that there is considerable late running of trains. May I know whether a survey will be made to find out that the true information regarding the late-running of trains can be had from the public and not from the reports of the employees, if so, when ?

Dr. Ram Subhag Singh : We would like to be benefitted from the experience of the public. The Hon. Member had given some information, we have taken note of that and I admit that.

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि गाड़ियों के देर से चलने को रोकने के लिये, समय सारिणी समिति सामान्यत: गाड़ी के चलने के लिए जितना समय चाहिए उससे अधिक आबंटित करती है और यदि हां, तो स्थानीय गाड़ियों के लिए विशेष रूप से क्या व्यवस्था की गई है ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि आप जानते हैं, समय-सारिणी समिति समायोजन करती है और हाल में जो समायोजन किया गया है उसके अनुसार अधिकांश डाक गाड़ियां अपेक्षाकृत कम समय में चलने लगी हैं ।

Shri Rameshwaranand : The fast running trains like Kashmir Mail are running hours late and this fact has been brought to the notice of the Government several times. The Hon. Minister gives evasive replies and I had even gone on hunger strike for this. Illiterate persons are being put in the Control Department. Unless competent persons are posted to the Control Department, late-running of trains cannot be avoided. May I know whether there will be any check on the Control Department ?

Dr. Ram Subhag Singh : Sir, I am sorry, Swamiji had to give a threat of hunger strike. But on receiving the information of his hunger strike, the same Control Officers went there and accepted all the suggestions of Swamiji and in this way Swamiji was persuaded to not to go on hunger strike........

Shri Bhagwat Jha Azad : Did he not go on hunger strike ?

Dr. Ram Subhag Singh : No. In future efforts will be made to further expedite the fast running of trains.

श्री ओझा : क्या मंत्री महोदय को पता है कि बम्बई में केन्द्रीय रेलवे की उपनगरीय गाड़ियां नियमित रूप से अनियमित तरीके से चल रही हैं और प्रशासन में निश्चय ही गिरावट आ गई है जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को वहां काफी असुविधा होती है ।

डा० राम सुभग सिंह : जी हां, यह सही है, परन्तु हम स्थिति सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Yashpal Singh : The condition of the passengers in the trains is the same as that of the third divisioners in the services. The situation cannot be improved unless the Hon. Minister makes a provision to deduct the amount from the pay of the employees responsible for the late-running of trains. This can only be set right if the penalty is realised either from the salary of the Minister or from that of the employee.

Dr. Ram Subhag Singh : It is a reasonable thing, but you should not speak on behalf of them again.

Shri Ram Sewak Yadav : Is the Hon. Minister aware that the trains on the Branch lines are running more late as compared to those on the main lines and sometimes it appears that distance can be covered by cycle in the same time, if so, what special measures are being contemplated ?

Dr. Ram Subhag Singh : There is difficulty on the Branch lines, but the speed of the trains on the N. E. Railway have been comparatively increased.

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या मंत्री महोदय के विचाराधीन कुछ ऐसे निश्चित उपाय हैं कि यदि कोई गाड़ियां देर से चलती हैं तो भाड़े का कुछ भाग यात्रियों को वापस किया जाना चाहिए ?

डा० राम सुभग सिंह : यह एक जानकारी है ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी मिली है कि पूर्व रेलवे पर चावल के तस्कर व्यापारियों की कार्रवाइयों के कारण गाड़ियां अधिक देर से चलने लगी हैं, और क्या वह संतुष्ट हैं कि चावल की तस्करी करने वालों को उनकी कार्रवाइयों के लिए मुख्य रूप से रेलवे का उपयोग करने से रोकने में राज्य सरकार पूरा सहयोग दे रही है, और क्या वह संतुष्ट हैं कि इसको रोकने के लिए, विशेष रूप से पूर्वी रेलवे में रेलवे प्रशासन द्वारा सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : हम स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि जब भी कठिनाई होती है गाड़ियों के चलने में देर हो जाती है, और वहां पर यह तस्कर व्यापार की कठिनाई है । मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि जो कुछ भी आवश्यक है किया जा रहा है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो गाड़ियों के चलने में देर होना सम्भव नहीं है । परन्तु हम प्रत्येक सम्भव चीज करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Do the Hon. Minister propose to reduce the timings of the stoppages to some extent in view of the fact that despite the long stoppages which have been provided to cover the late-running, the trains are running late?

Dr. Ram Subhag Singh : This will be considered at the time of the preparation of the next time table.

मशीनी औजारों का निर्माण

\+

*275. **श्री लीलाधर कटकी**
श्री नि० रं० लास्कर
श्री रा० बरुआ

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मशीनी औजार निर्माताओं को इस उद्योग के लिए विदेशी सहायता तथा तकनीकी जानकारी पर निर्भर रहने को कम से कम करने के लिए कोई प्रोत्साहन दिया है;

(ख) निर्माताओं के मस्तिष्क में इस "स्वदेशी भावना" को उत्पन्न करने में सरकार कहां तक सफल रही है; और

(ग) इस उद्योग को आत्म निर्भर बनाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) विदेशी सहायता तथा ज्ञान पर निर्भर रहने की आवश्यकता को कम करने पर बल दिया गया है तथा नये प्रस्तावों की जांच करने में इसी सिद्धान्त को प्रमुख रूप से ध्यान में रखा जाता है । उत्पादकों की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया संतोषजनक रही है ।

(ग) यह एक लम्बी अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया है तथा देशी तकनीकी डिजाइन के विकास पर निर्भर करती है। आशा की जाती है कि सेंट्रल मशीन टूल्स इंस्टीट्यूट, बंगलौर तथा सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर जैसी अनुसंधान करने वाली संस्थाओं की स्थापना हो जाने तथा उद्योग के अपने प्रयत्नों के द्वारा देश निकट भविष्य में ही मशीनी औजार उद्योग के मामले में आत्म निर्भर तथा स्वावलम्बी हो जायगा।

श्री लीलाधर कटकी : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि उन मामलों में भी जिनमें कि स्वदेशी तकनीकी जानकारी बढ़ती है और देश में ही उपलब्ध है, सरकार तकनीकी जानकारों और तकनीकी सहायता को विदेशों से लेने के लिए लाइसेंस देती है और यदि हां, तो क्यों ?

श्री संजीवैया : यदि तकनीकी जानकारी इन दो संस्थानों, अर्थात्, केन्द्रीय मशीनी औजार संस्थान, बंगलौर तथा केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसन्धान संस्थान, दुर्गापुर के पास उपलब्ध है तो हम किसी विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं देते, परन्तु मान लीजिए, कि तकनीकी ज्ञान किसी गैर-सरकारी फर्म के पास उपलब्ध है और वह फर्म तकनीकी जानकारी नहीं देना चाहती, तो उस मामले में हमें सहयोग की अनुमति देनी पड़ती है।

श्री लीलाधर कटकी : क्या सरकार ने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को, उनके द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीकी जानकारी में सुधार करने के लिए आवश्यक सुविधायें देने के लिए कदम उठाये हैं ?

श्री संजीवैया : जी हां।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या सरकार को पता है कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां इस उद्योग का कोई विकास नहीं किया गया है; यदि हां, तो क्या इन राज्यों में और विशेष रूप से आसाम में इस उद्योग को सहायता देने और इसको बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

श्री संजीवैया : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि कुछ ऐसे राज्य हैं और विशेष रूप से आसाम में जहां कि इस उद्योग का विकास नहीं किया गया है। इस प्रादेशिक संतुलन को दूर करने के लिए निश्चय ही कदम उठायेंगे।

श्री श्याम लाल सर्राफ : देश को तकनीकी डिजाइन, ड्राइंग आदि के मामले में आत्म निर्भर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री संजीवैया : अनुसन्धान, रूपांकण, आदि रूपों का विकास और मानकीकरण, मशीनी औजार और तत्वों आदि के कार्य का अध्ययन इन दो संस्थानों के उद्देश्य हैं। इस सम्बन्ध में बहुत-सी बातें की जा रही हैं।

रेलवे दुर्घटनाएं

*276. श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रामसेवक यादव :
श्री गुलशन :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री बसुमतारी :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बसवन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० श्रीनिवासन :
श्री वारियर :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :
श्रीमती रामदुलारी सिंहा :
डा० महादेव प्रसाद :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री बासप्पा :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री बृजवासी लाल :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री मे० क० कुमारन :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री लखमू भवानी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) 1964–65, 1965–66 और 1966–67 में अब तक जोन-वार कितनी रेलवे दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) उनमें से कितनी और कितने प्रतिशत दुर्घटनाएं मानवी गलती के कारण हुईं अथवा कितनी दुर्घटनाएं तोड़फोड़ के कारण हुईं या कितनी दुर्घटनाएं उपकरण/मशीनरी खराब हो जाने के कारण हुईं;

(ग) इन अवधियों में जन तथा सम्पत्ति की पृथक्-पृथक् कितनी हानि हुई ; और

(घ) दुर्घटनाओं को घटाने के लिये रेलवे दुर्घटना जांच आयोग की सिफारिशें कहां तक लागू की गयी हैं और वर्षवार प्रगति कितनी हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–6673/66**]

(ग) रेल दुर्घटनाओं के कारण 1964–65, 1965–66 और 1966–67 (अप्रैल, 66 से जून, 66 तक) क्रमश: 240,123 और 233 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

अनुमान है कि रेल-सम्पत्ति को 1964–65 में लगभग 71,00,100 रु० की, 1965–66 में 84,85,600 रु० की और 1966–67 में (अप्रैल, 66 से जून, 66 तक) 38,33,700 रु० की हानि हुई।

(घ) रेल-दुर्घटना समिति–1962 की अधिकांश सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं। शेष सिफारिशों को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए जोरदार कार्रवाई की जा रही है।

चूंकि बहुत सी सिफारिशें दीर्घकालीन हैं, जिन पर लगातार अमल करने की जरूरत है, इसलिए साल-ब-साल उन पर अमल करने के सम्बन्ध में वर्गीकरण करने की कोशिश नहीं की गयी है क्योंकि इस प्रकार का वर्गीकरण भ्रामक होगा।

श्री प्र० चं० बरुआ: क्या तोड़फोड़ की कार्यवाहियों द्वारा विशेष रूप से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर रेलवे दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कोई विशेष उपाय किये हैं; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

डा० राम सुभग सिंह: जी हां। जब लमडिंग-डीपू में विस्फोट हुआ था तो उस दुर्घटना के एक दिन बाद एक विशेष उपाय किया गया था और वह उपाय स्थिति को काबू में रखने के सम्बन्ध में उपयुक्त सिद्ध हुआ है क्योंकि उसके उपरान्त उस उपाय की क्रियान्विति द्वारा कई मामलों का पता लगाया जा चुका है जिनसे कि और अधिक बड़े विस्फोट हो सकते थे।

श्री प्र० चं० बरुआ: क्या यह सच है कि इस वर्ष जून में रेलवे मंत्री द्वारा बुलाये गये रेलवे अधिकारियों के सम्मेलन ने कहा है कि दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या का एक कारण रेलवे कर्मचारियों की अनवधानता है जिससे कि जन और धन की हानि होती है। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

डा० राम सुभग सिंह: हमने इन सब समस्याओं पर चर्चा की है। दुर्घटनाओं के कई कारण हैं। कुछ मामलों में रेलवे कर्मचारियों का दोष होता है। इस प्रश्न पर भी चर्चा की गई थी।

श्री कृष्णपाल सिंह: चूंकि रेलवे कर्मचारियों की गलती के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या बहुत बड़ी है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका कारण पर्यवेक्षण की कमी है?

डा० राम सुभग सिंह: अब भी रेल द्वारा यात्रा अपेक्षाकृत सुरक्षित है। किसी भी प्रकार

के परिवहन से इसकी तुलना की जा सकती है । जैसा कि मैंने पहले बताया यह सच है कि अप्रैल से जून के बीच कुछ दुखद दुर्घटनाएं और विस्फोट हुए हैं । फिर भी, मैं समझता हूं कि पिछले वर्षों के आंकड़ों की तुलना में आज के आंकड़े कम हैं । टैक्नालोजी में सुधार के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की गलती से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या कम हो गई है ।

Shri Daljit Singh : Can accidents be partly attributed to the fact that the workers of the opposition parties unions do not attend to their duties personally but get that done by others ?

Dr. Ram Subhag Singh : It may be. We shall look into it.

श्रीमती सावित्री निगम : दुर्घटना समिति की बहुत ही स्पष्ट सिफारिश के होते हुए भी कि यथा शीघ्र पुराने ढंग के उपकरणों का परिवर्तन किया जाना चाहिये और बिना चौकीदार वाले फाटकों पर चौकीदार रखे जाने चाहिये, केन्द्रीय रेलवे पर बांदा और कानपुर के बीच केवल पुराने ढंग के उपकरणों का ही उपयोग किया जा रहा है, यहां तक कि 80 मील का फासिला 8 या 9 घंटों में तय किया जा रहा है और रोजाना ही गाड़ी को मरम्मत के लिये ठहराया जाता है । यदि माननीय मंत्री को इसका पता है तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : हम इसकी ओर ध्यान देंगे ।

Shri Ram Sewak Yadav : From the statement it is clear that the number of accidents due to equipment, staff failure, and subotage is decreasing. I want to know whether the loss of life or property sustained in those accidents is comparatively higher or lower as compared to those in the years given in the statement.

Dr. Ram Subhag Singh : Figures for this has also been given. If you want for one year they can be given, the figures given are for three months.

श्री स० चं० सामन्त : विवरण में दिया गया है कि एक बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थीं । क्या कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण देने के लिये किन्हीं उपायों पर विचार किया गया है ?

डा० रामसुभग सिंह : जी, हां । रेलवे दुर्घटना समिति की सिफारिशों को हम तेजी से क्रियान्वित कर रहे हैं । इसके अनुसरण में सभी रेलों में सुरक्षा श्रेणियां खोली गई हैं और काफी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

Shri Onkar Lal Berwa : The dependents of those killed in Railway accidents are hushed up by giving only Rs. 200-400 as compensation, but they are not provided with the means of livelihood. May I know whether insurance, similar to that followed by air-lines, will be introduced in Railway with a view to providing subsistence to them ?

Dr. Ram Subhag Singh : We have received such a suggestion from a citizen and it is under consideration. But it is not correct to say that we give them only Rs. 200/-, because we give up to Rs. 500/- as ex-gratia payment.

Shri Bhagwat Jha Azad : From the statement it appears that 58 percent accidents are due to staff failure. What efforts have been made to rectify it ?

Dr. Ram Subhag Singh : For the purpose of removing it the Railway Accidents Committee have formulated most of its recommendations and according to that their suggestions will be implemented.

Retrenchment of Bhilai Steel Plant Employees

\+
4. **Shri Bade** :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Y. D. Singh :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Madhu Limaye :
Shri Sezhiyan :
Shri N. Sreekantan :
Shri Tridib Kumar Chaudhuri :
Shri Nambiar :
Shri Umanath :
Shri Dinen Bhattacharya :
Shri Priya Gupta :
Shri Imbichibava :
Shri Pottekkat :
Shri Manoharan :
Shri H. P. Chatterjee :
Shri Badhrudduj :
Shri Mohammed Koya :
Shri A. K. Gopalan :
Shri S. Kandappan :
Shri Sivasankaran :
Shri Indrajit Gupta :
Dr. Ranen Sen :
Shri P. K. Deo :
Shri Vasudevan Nair :
Shrimati Vimla Devi :
Shri M. K. Kumaran :
Shri Buta Singh :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Ramabadran :

Will the Minister of **Iron and Steel** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Bhilai Steel Plant are being retrenched on large scale ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether the rail manufacturing plant at Bhilai is closed ?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, नहीं। फिर भी यह सच है कि पिछले महीने भिलाई इस्पात कारखाने के प्राधिकारियों ने निर्माण-कार्य में लगे हुये उन 19 इंजीनियरों को, जिनके इकरारनामे दिसम्बर, 1965 में समाप्त हो गये थे, नोटिस दिये थे क्योंकि भिलाई कारखाने का विस्तार-कार्य लगभग पूरा हो रहा था।

(ग) जी, नहीं।

Shri Bade : The Bhilai Steel Plant was running properly. But now a lot of money is being wasted there due to mismanagement and an auditorium is to be constructed in place of Nehru Culture House. It was to be inaugurated by the Prime Minister but she did not do so which is something good. It is understood that a sum of Rs. 12 lakhs is going to be spent over and above the estimated expenditure of Rs. 250,000. Besides furniture worth Rs. 40,000 has been taken from Delhi on transportation of which Rs. 4,000 has been spent. On the other

hand 4,000 workers, 123 supervisors and 19 engineers have been retrenched. May I know whether Government intends to employ them again by reducing this wastage?

Shri P. C. Sethi: Mr. speaker, the question bofore us at present is about retrenchment. The engineers who were working on the construction were not permanent employees as they were taken on contract basis. On completion of the construction work, retrenchment notices were issued. I would, however, like to point out that most of the people who were otherwise to be retrenched, have been absorbed and efforts are being made to give jobs to some other people also. In all 96 engineers and 6,000 workers have been given jobs in the main Bhilai Steel Plant.

Shri Bade: Part 'C' of my question as to whether the rail manufacturing plant at Bhilai is closed, has not been answered. Is it also a fact that the production in the rail manufacturing plant has increased so much that a stock is lying there unutilised and the Indian Railways have refused to take that stock because the rail being manufactured there is soft, whereas Shri Ahuja, an official there, who is getting Rs. 2,000 per month, has been sent to the Arab countries to find out markets for these rails and foreign exchange amounting to Rs. 50,000 has been sanctioned for this purpose? The position of the plant at present is this that there is only one shift instead of three shifts previously.

Shri P. C. Sethi: So far as the production capacity of the rail manufacturing plant is concerned, it was 3,65,000 tons this year. But since the demand for rails has decreased, efforts are, therefore, being made to find out foreign markets in the Middle East and African countries for their export.

Shri Bade: They have refused to import them because our rails are soft.

Shri P. C. Sethi: So far as their quality is concerned, there is no difference. But since the demand has decreased, efforts are, therefore, being made to export them. Some officials have been sent to the Middle East and African countries to find out as to which country these can be exported.

An Hon. Member: A sum of Rs. 50,000 has been sanctioned for this purpose.

Shri Bade: Part 'C' of my question has not been answered........

Mr. Speaker: It has already been answered. Let us proceed further.

Shri P. C. Sethi: If any body goes abroad, necessary foreign exchange will have to be provided for him.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know the number of those employees who have been absorbed in the Bhilai Steel Plant and also the number of those who have been provided employment at other places? There they cannot do work because the climate of these places do not suit them as per a medical report by a doctor and as such they have come back but they have not so far been absorbed. May I know the reasons therefor? May I also know the arrangement to be made by Government to re-employ those agriculturists whose land had been acquired for the Bhilai Steel Plant and to whom employment was promised?

Shri P. C. Sethi: About 6200 workers have been given jobs in the main steel works. Besides effort has been made to find jobs for 727 people at other places and they have also been

given jobs. Another 83 people are going to be given jobs. So far as those people are concerned, whose land had been acquired and who were doing construction work, orders have been issued for their absorption in the main steel work.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I wanted to know whether efforts will be made to absorb those people in the Bhilai Steel Plant, who were given jobs in certain border areas but the climate there was not suitable to them and they have to come back in view of a medical report ?

Mr. Speaker : There were some people who were sent at other places but according to a medical report they cannot work there, they have to come back, whether these people will be given jobs here in Bhilai Steel Plant in view of the medical report ?

Shri P. C. Sethi : If it would be possible to absorb them there efforts will definitely be made to see that they get jobs there.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether land was provided to those whose land had been acquired for this Plant ?

Mr. Speaker : It is a separate question. Shri Madhu Limaye.

Shri Madhu Limaye : In order to see that the money spent on engineers, technicians, skilled and trained personnel and scientists do not go waste because of retrenchment, whether Government will form a pool so that people may be drawn from that pool for the exigencies of the public sector construction work ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : Our construction work is going on at a number of places and we try to absorb them wherever their services are required, but there is, however, some limit. Efforts are, however, being made to find jobs for these 19 engineers also. It takes time. They have been served with three months' notices. There is no such thing that they should get employment so soon. It takes time—we are, however, making efforts to that end.

Mr. Speaker : He wants to know whether there is any proposal to form a pool.

Shri T. N. Singh : There is no such industrial pool. There is, however, a pool of scientific personnel, they can get themselves registered there.

Shri Madhu Limaye : This is no reply. I wanted to know whether they propose to form such a pool..........

Mr. Speaker : He said that there was a pool of scientific personnel but there was no pool of any other category of personnel.

श्री सेझियान : मंत्री महोदय ने बताया कि कुछ व्यक्तियों की छटनी करनी पड़ी है। नियुक्ति-आदेश के अनुसार उन्हें यह बताया गया था कि उन्हें एक ठेके के अन्तर्गत रखा जा रहा है जिसका फिर नवीकरण कर दिया जायेगा और इसे स्थायी बना दिया जायेगा और उन्हें भारत भर में कहीं भी कार्य करने दिया जायेगा। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि 14 जुलाई को

छंटनी का यह नोटिस कैसे जारी किया गया और 15 जुलाई से उनकी छंटनी कैसे कर दी गयी ? क्या उन्हें विशेषकर उन अधिकारियों को, किन्हीं अन्य पदों पर लगाने के लिए कोई समय दिया गया था जो पिछले दस अथवा पन्द्रह वर्षों से कार्य कर रहे थे ?

श्री प्र० चं० सेठी : निर्माण-कार्य में लगे इन लोगों को एक ठेके के आधार पर रखा गया था ।

श्री सेझियान : क्या उन्हें पहले इस बात का कोई संकेत दिया गया था कि उनकी छंटनी कर दी जायेगी ? उनकी अचानक छंटनी नहीं की जा सकती ।

श्री प्र० चं० सेठी : उन्हें तीन महीने का वेतन दिया गया है ।

श्री सेझियान : हम वेतन के बारे में नहीं जानना चाहते हैं । क्या छंटनी किये गये इन 19 व्यक्तियों को कोई संकेत दिया गया था कि उनकी सेवायें अपेक्षित नहीं होंगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : जैसे ही निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा तो उनकी सेवायें अपेक्षित नहीं होंगी । इंजीनियरों के साथ जो हमारा ठेका था वह 31 दिसम्बर, 1965 को समाप्त हो रहा था और उन्हें इस बात का पता था ।

श्री सेझियान : मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन्हें बताया गया था कि अमुक तारीख के पश्चात उनकी सेवायें अपेक्षित नहीं होंगी ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें कोई संकेत दिया गया था अथवा नहीं ।

श्री त्रि० ना० सिंह : यह सामान्य रूप से विदित था कि ठेके की अवधि समाप्त होने के पश्चात उनकी सेवायें अपेक्षित नहीं होंगी । कुछ लोग मुझे भी मिले थे कि उन्हें नौकरी से न हटाया जाय क्योंकि वे जानते थे कि उस अवधि के पश्चात उन्हें नौकरी से हटा दिया जायेगा । उन सभी को पता था कि उनकी सेवायें केवल निर्माण कार्य की अवधि तक के लिए अपेक्षित हैं । चाहे कुछ भी हो, हमने उनमें से यथासम्भव अधिकाधिक लोगों को अन्य कार्य पर लगने का प्रयत्न किया है । इस बीच हम उन लोगों के लिए काम ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं । अब भी गुंजाईश है और ऐसे अवसर आ सकते हैं जब उन्हें और काम मिल जाय । इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जा सकता ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : क्या पिछले वर्ष इन लोगों ने भिलाई इस्पात कारखाने के अधिकारियों से अनुरोध किया था कि इनके आवेदन पत्र बोकारो इस्पात कारखाने में भेजे जायँ और उनको बताया गया था कि उनकी सेवायें खतम नहीं की जायेंगी तथा उन्हें वहां लगे रहने दिया जायगा और यदि हां, तो क्या सरकार ने, जो कई इस्पात मिलों की देख रेख कर रही है और जिसको अन्ततोगत्वा इन लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, अचानक अपने वचन का उल्लंघन नहीं किया है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : जहां तक मुझे पता है मुझे एक पत्र दिखाया गया था जिसमें दिये गये उक्त आश्वासन का दावा किया गया था। ऐसा कोई अनिवार्य अथवा निश्चित आश्वासन नहीं दिया गया है कि उन्हें कोई नौकरी दी जायेगी।

जहां तक उन्हें बोकारो इस्पात कारखाने में काम दिलाने का सम्बन्ध है, बोकारो के प्रबन्धक निदेशक को भिलाई में आने तथा वहां से यथासम्भव अधिकाधिक लोगों को चुनने के लिये कहा गया था।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : मेरा प्रश्न था : क्या उनके आवेदन-पत्र वहां भिजवाये गये थे क्योंकि बोकारो के प्रबन्ध निदेशक को केवल उन लोगों से साक्षात्कार करना था जिन्होंने आवेदन-पत्र भेजे थे। मेरी शिकायत यह है कि उनके आवेदन-पत्र इस आधार पर नहीं भिजवाये गये थे कि उनकी छंटनी नहीं की जायेगी और यह उन्हें लिखकर बताया गया था। चूंकि उनके आवेदन-पत्र नहीं भिजवाये गये थे इसलिए उनसे साक्षात्कार नहीं किया गया था।

श्री त्रि० ना० सिंह : लिखित रूप में ऐसा कुछ नहीं है। यदि माननीय मंत्री कोई प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं तो मैं इसकी छानबीन कर सकता हूं। जहां तक बोकारो में काम दिलाने की बात है, प्रबन्ध निदेशक को भिलाई में आने तथा यथासम्भव अधिकाधिक लोगों को चुनने के लिए कहा गया था और वह आये भी थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन इंजीनियरों की छंटनी उनकी किसी गलती के कारण नहीं की गई परन्तु इसलिए की गई क्योंकि निर्माण-कार्य पूरा हो गया था और चूंकि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अन्तर्गत तीनों इस्पात कारखानों के इंजीनियरों का एक पूल बना हुआ है, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन अनुभवी तथा योग्य इंजीनियरों को बोकारो में, जहां निर्माण-कार्य के लिए कई इंजीनियरों की आवश्यकता होगी, कार्य पर लगाने के लिए सिफारिश करने में सरकार अथवा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को क्या कठिनाई है?

श्री त्रि० ना० सिंह : हम बोकारो कारखाने में इतना विभागीय कार्य नहीं कर रहे हैं......

श्री सेझियान : क्यों ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे भिलाई में भी ठेके पर ही कार्य कर रहे थे न कि विभागीय रूप से।

श्री त्रि० ना० सिंह : चूंकि वहां पर निर्माण-कार्य विभागीय रूप से नहीं किया जाता, इस लिये हमें बोकारो में इतने इंजीनियरों की आवश्यकता नहीं है। कार्य विभाग द्वारा नहीं परन्तु अन्य लोगों द्वारा किया जा रहा है।

श्री अ० क० गोपालन : क्या बोकारो से कोई दल भिलाई में आया था और यदि हां तो क्या उसने इन 19 इंजीनियरों से साक्षात्कार किया था और इनको कोई नौकरी देने की पेशकश की थी ? यदि नहीं तो क्या सरकार यह सुनिश्चित् करेगी कि ऐसा किया जाये ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं प्रश्न के इस भाग का उत्तर नहीं दे सकता हूं कि क्या इन 19 इंजीनियरों का इंटरव्यू लिया गया था अथवा नहीं । इस बारे में कहने से पूर्व मुझे सही स्थिति का पता लगाना होगा ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : जब सरकार के नियन्त्रणाधीन इतनी बड़ी बड़ी इस्पात मिलें हैं तो सरकार इंजीनियरों तथा प्रशिक्षित लोगों का एक पूल क्यों नहीं बना लेती है जिससे फिर इन लोगों को कार्य पर लगाया जा सके ? इस मामले में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : पूल बनाने की बात पर विचार किया जा सकता है परन्तु जैसाकि मुझे स्थिति का पता है, इस निर्माण-कार्य को सरकारी क्षेत्र निर्माण-कार्य के रूप में करने में मुझे बहुत हिचकिचाहट है क्योंकि देश भर में इस कार्य की मात्रा घटती बढ़ती रहती है । गैर-सरकारी क्षेत्र में तो कार्य के अनुसार कर्मचारी रखे और निकाले जा सकते हैं, परन्तु सरकारी क्षेत्र में ऐसा करना बहुत कठिन होता है । यह एक ऐसा पहलू है जिस पर मैं गम्भीरता से विचार कर रहा हूं कि क्या इस मामले में हमें अपनी जिम्मेदारी बढ़ानी चाहिए अथवा नहीं ।

श्री कन्डप्पन : कुछ महीने पहले एक ऐसे ही अवसर पर, जब नीवेली लिगनाइट कारपोरेशन में छंटनी के बारे में पूछा गया था, मंत्री महोदय ने इस सभा में कहा था कि सरकार फालतू इंजीनियरों तथा अन्य कर्मचारियों को समाविष्ट करने के लिए एक पूल बनाने की बात पर विचार कर रही है जिससे सरकारी क्षेत्र में निर्माण-कार्य के लिए अपेक्षित इंजीनियरों को इस पूल में से लिया जा सके । परन्तु छः महीने व्यतीत होने के पश्चात भी मंत्री महोदय हमें वही उत्तर दे रहे हैं । क्या सरकार सभा को इस प्रकार भ्रम में डाल सकती है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है । उस समय मैं मंत्री ही नहीं था । फिर भी मैं इस मामले की छानबीन कराऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : वह इस बात की छानबीन करेंगे कि क्या ऐसा पहले कहा गया था ।

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं निश्चय ही इस मामले की छानबीन करूंगा ।

श्री कन्डप्पन : मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें इस मामले की छानबीन करने के लिए कहा है ।

श्री उमानाथ : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि उन्हें बोकारो में कार्य पर नहीं लगाया जायेगा क्योंकि वहां पर अधिकतम कार्य ठेके पर करवाया जा रहा है । चाहे यह कार्य ठेके पर ही कराया जा रहा है, तब भी परियोजना-अधिकारियों को सिविल इंजीनियर रखने ही पड़ेंगे । भिलाई में लगभग 10 करोड़ रुपये के निर्माण-कार्य की देख रेख करने हेतु लगभग 200 इंजीनियर रखे गये थे । चूंकि बोकारो में लगभग 50 करोड़ रुपये के कार्य का ठेका दिया जा रहा है, इसलिए उन्हें तो काफी इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ेगी । चूंकि वे सिविल इंजीनियर हैं, इसलिए क्या मंत्री महोदय ने इस प्रश्न पर विचार किया है अथवा करेंगे और इन 19 इंजीनियरों को बोकारो में काम पर लगाने का प्रस्ताव करेंगे ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इस प्रयोजन के लिए हमारे पास पहले ही पर्याप्त इंजीनियर हैं । जैसा कि माननीय सदस्य को पता है हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के पास कुछ इंजीनियर हैं । कार्य की मात्रा के बढ़ने के साथ साथ उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है । परन्तु आज उन्हीं इंजीनियरों से काम चला रहे हैं जो उनके पास हैं और उनको और अधिक इंजीनियरों की आवश्यकता नहीं है । यह है, जो मुझे बताया गया है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि इन इंजीनियरों के अतिरिक्त एक बड़ी संख्या में प्रवीण तथा अप्रवीण कर्मचारियों की भिलाई इस्पात परियोजना से छंटनी हो रही है, जबकि दूसरी ओर भिलाई इस्पात परियोजना में नये लोगों को भर्ती किया जा रहा है ? मैं नहीं समझता कि इन छंटनी किये गये व्यक्तियों को मौका क्यों नहीं मिल रहा है जिसके कारण भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों में लगातार आन्दोलन चल रहा है ।

श्री त्रि० ना० सिंह : हर कारखाने में लोगों की नियुक्ति या बाहर चला जाना लगातार हो रहा है । मैं नहीं कह सकता कि कौन-सी श्रेणियों के लोग निकाले गये तथा कौन-सी श्रेणियों में लोग रखे गये । जब तक मेरे पास विवरण नहीं होगा मैं उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैंने कहा कि बहुत सारे प्रवीण, अर्द्ध प्रवीण तथा अप्रवीण कर्मचारियों को निकाला जा रहा है ।

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं इसकी जांच करूँगा ।

Shri Ram Sewak Yadav : I would like to know what was the basis for retrenchment of 19 Engineers or Supervisors or the other efficient and skilled personnel? Have they been retrenched arbitrarily or according to their tenure of service? If not why have they been retrenched arbitrarily. Is it a fact that old employees have been retrenched and the new entrants have been retained?

Shri T. N. Singh : Hundreds of people are employed in this. Their Contract terminated now. The Committee was constituted after that. The Committee went into that afterwards the General Manager looked in and after that the Chairman of Steel Company saw it in Ranchi. The decision was taken after all of them had seen it.

Shri Ram Sewak Yadav : This was not my question. I did not want this information. I wanted to know whether they have been retrenched on the basis of their tenure of service? Is it a fact that old employees have been retrenched and the new ones have been retained.

अध्यक्ष महोदय : क्या सेवा काल की अवधि पर भी इस सम्बन्ध में विचार किया जाता है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैंने इन लोगों के बारे में कहा था कि इनका ठेका या संविदा

समाप्त हो गया था । हमको विचार करना होता है कि कम से कम कार्य कराने के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है । पुराने कर्मचारियों को पहिले छांटने का प्रश्न ही नहीं था ।

Shri Ram Sewak Yadav: It is why there is partiality.

कुछ माननीय सदस्य : क्यों नहीं !

श्री त्रि० ना० सिंह : वह समस्या भी हमारे सामने थी । बहुत सारे लोग ठेके पर रख दिये गये थे तथा उनका ठेका समाप्त हो गया । इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए तथा यह देखने के लिए कि कार्य को देखते हुए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, एक समिति नियुक्त की गई थी । यह प्रक्रिया निर्धारित की गई थी ।

Mr. Speaker: Shri Tyagi is right in saying that there has been so much discussion on this topic. I have received so many call attention notices on this. I disapproved them on ground that short notice question was coming. Therefore, so much time has been given to this.

Shri Tyagi: My request is that some proportion should be laid down as to how much time should be allowed for such a question.

Mr. Speaker: It was why I was explaining that I had disapproved the call attention notices because the short notice question was coming. This the reason for my allowing much time for this.

श्री प्र० के० देव : बोकारो निर्माण कार्यक्रम से सम्बन्धित नीति से हटने का क्या कारण था जिसके फलस्वरूप काम विभाग द्वारा किये जाने की अपेक्षा ठेकेदारों को दिया गया ? क्या यह चुनाव का पूर्व वर्ष होने के कारण हुआ ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह एक पुराना निर्णय है । मैंने भी इस मामले पर विचार किया । यहां कुछ अनुभवों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह उपयुक्त न होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र ऐसी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले जिनमें काम की डांवाडोल स्थिति हो ।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान आकर्षण सूचना—श्री काशी राम गुप्त । साधारणतया किसी अल्प सूचना प्रश्न को 10 मिनट से अधिक नहीं लेना चाहिए ।

श्री हरि विष्णु कामत : साधारणतया

अध्यक्ष महोदय : वही मैंने कहा ।

श्री सेझियान : इतना समय लेने पर भी मंत्री महोदय ने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कच्चा लोहा उद्योग समूह

*277. **श्रीमती रेणुका राय :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शीघ्र ही एक कच्चा लोहा उद्योग समूह स्थापित किया जायगा; और

(ख) यदि हां, तो कहां और उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख). कच्चा लोहा उद्योग समूह स्थापित करने के बारे में निर्णय लोहा और इस्पात सम्बन्धी चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम रूप से तय हो जाने पर ही किया जायगा ।

इस्पात नियन्त्रक के कार्यालय के बारे में प्रतिवेदन

*278 **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बागड़ी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री गुलशन :
श्री राजदेव सिंह
श्री रिशांग किशिंग :
डा० राम मनोहर लोहिया :
डा० श्रीनिवासन :
श्री बासप्पा :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री सिंहासन सिंह :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाडिलकर समिति ने इस्पात नियन्त्रक के कार्यालय के गठन के बारे में अपना प्रति-वेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) :(क) और (ख). जी, हां । समिति ने अपनी रिपोर्ट का प्रथम भाग प्रस्तुत कर दिया है जो देशीय इस्पात के उत्पादन, वितरण और मूल्य के बारे में है । सिफारिशों का सारांश रिपोर्ट के VI अध्याय में दिया गया है जिसे संसद के पिछले अधिवेशन में सभा-पटल पर रख दिया गया था ।

(ग) सरकार समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है ।

स्कूटरों का निर्माण

*279 **डा० राम मनोहर लोहिया:** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री राम सेवक यादव : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री किशन पटनायक : **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री मधु लिमये: **श्री प्रं० रं० चक्रवर्ती :**
श्री वारियर: **श्री मं० रं० कृष्ण :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय: **श्री राजदेव सिंह :**
श्री रामचन्द्र उलाका: **श्री सिंहासन सिंह :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मोटर गाड़ियों की, विशेष रूप से स्कूटरों की, बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1966-67 में अब तक स्कूटरों के निर्माण के लिए कितने नये लाइसेंस दिये गये; और

(ग) इन लाइसेंसों से आरम्भ किये गये कारखानों में निर्माण कब तक आरम्भ किया जायगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) यात्री कारों और स्कूटरों की मांग उनके वर्तमान उत्पादन से अधिक है ।

(ख) 1966-67 में स्कूटर बनाने के लिए अभी तक कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किये गये हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्यात

*280 **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री वारियर : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्यात से होने वाली आय के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर और इस लक्ष्य की किस प्रकार पूर्ति करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). चौथी योजना अवधि के पांच वर्षों के लिए 5100 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य तथा विस्तृत व्यौरा यथावत् बना हुआ है। अवमूल्यन के बाद की अवधि में सरकार जो उपाय कर रही है, उन सबके स्थिर तथा प्रभावी होने में कुछ महीने और लगेंगे। इसलिए अगले वर्ष के शुरू में योजना आयोग तथा सरकार का विस्तृत रूप से वस्तुवार तथा गन्तव्य स्थानानुसार निर्यात के लक्ष्यों की समीक्षा करने का विचार है, ताकि चौथी योजना के बाकी चार वर्षों में निर्यात के वास्तविक अनुमानों को देश के सामने रखा जा सके।

पटसन के दाम

*281 **डा० राम मनोहर लोहिया :** **श्री राम सेवक यादव :**
श्री किशन पटनायक : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री मधु लिमये :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे पटसन के दाम में प्रति क्विंटल लगभग 14 रुपये की वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत पाकिस्तान और थाईलैंड से भारी मात्रा में कच्चे पटसन का आयात करता है; और

(घ) भारत कब तक कच्चे पटसन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). कृषि-मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार ने 1966-67 के मौसम में जूट का उत्पादन बढ़ाने के लिये जूट का न्यूनतम स्थैर्य मूल्य 80. 38 रु० प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 93.77 रु० प्रति क्विंटल कर दिया है।

(ग) जी, हां, भारत में बारम्बार हुई कम फसलों को देखते हुये।

(घ) चौथी योजना अवधि की समाप्ति तक।

रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*282 **श्री कोल्ला वेंकैया :** **श्री रामेश्वरानन्द :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में जारी किये गये स्थानान्तरण आदेशों में परिवर्तन किये जाने की आव-

श्यकता के सन्दर्भ में रेलवे कर्मचारियों के सामयिक स्थानान्तरण के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम-निकला है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इस पर कब तक विचार कर लिया जायगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क), (ख) और (ग). आवधिक स्थानान्तरण के प्रश्न की जांच की जा रही है और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय किये जाने की सम्भावना है ।

रेल गाड़ियों का बिजली तथा डीजल से चलाया जाना

*283 **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलगाड़ियों को बिजली तथा डीजल से चलाने के लिये सरकार ने कोई 25 वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) क्या उन्होंने मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिये भी ऐसा ही एक कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। लेकिन रेलवे की दीर्घकालीन योजना का उद्देश्य यह है कि रेलवे के अधिकाधिक खण्डों में डीजल और बिजली से रेलगाड़ियां चलाने की व्यवस्था का उत्तरोत्तर विस्तार किया जाय। इस उद्देश्य से देश में डीजल और बिजली रेल इंजन तैयार करने की क्षमता स्थापित की गई है। जिन खण्डों पर डीजल या बिजली से रेलगाड़ियां चलाई जानी हैं उनका चुनाव केवल पंचवर्षीय आधार पर किया जाता है और ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसके लिये कितना साधन उपलब्ध होने की सम्भावना है। इससे पहले यातायात के रुख के साथ-साथ इस बात का भी ब्यौरेवार अध्ययन किया जाता है कि भाप के बदले डीजल या बिजली से रेलगाड़ी चलाने से क्या-क्या लाभ होंगे।

(ख) जी नहीं। समूची अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये राष्ट्रीय योजना तैयार करने के साथ-साथ पंचवर्षीय योजना के आधार पर निश्चित कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

कुछ उद्योग के लिए लाइसेंस प्रणाली हटाना

*284 **श्री उटिया :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री मधु लिमये : **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कुछ उद्योगों के लिये लाइसेंस प्रणाली हटा दिये जाने की घोषणा होने के बाद पहले से स्थापित क्षमता अथवा लगाई जाने वाली क्षमता में तेजी से विस्तार होने की सूचना सरकार को मिली है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के लाइसेंस सम्बन्धी उपबन्धों से कुछ उद्योगों को मुक्त करने के निर्णय की घोषणा कुछ उद्योगों के बारे में 13 मई, 1966 को तथा दो अन्य उद्योगों के बारे में 20 जुलाई, 1966 को की गई थी। इस उप आय के फलस्वरूप इन उद्योगों में से किसी उद्योग की क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है यह अभी नहीं कहा जा सकता।

Financial help to Coal Mine Owners

* 285 **Shri Kindar Lal :** **Shri Ramachandra Ulaka :**
Shri Vishwa Nath Pandey : **Shri Dhuleshwar Meena :**

Will the Minister of **Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1134 on the 15th April, 1966 and state :

(a) whether the proposal to give financial help to the coal mine owners for developing their mines has since been finally considered ; and

(b) If so, the result thereof ?

Minister of Mines and Metals (Shri S. K. Dey) : (a) and (b). The proposal for giving financial assistance to coal mine owners for development of coal mines has not been finalised.

देसी कच्चा माल

* 286. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **संभरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का कोई मूल्यांकन किया गया है कि अब तक आयात किये जाने वाले

कच्चे माल तथा पुर्जों के स्थान पर काम आने वाले देसी कच्चे माल तथा पुर्जों के प्रयोग के संबंध में किये गये प्रयत्न कहां तक कारगर सिद्ध हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मूल्यांकन का क्या परिणाम निकला है ?

संभरण, तकनीकी विकास और सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामय्या) : (क) और (ख). जी हां। आयात माल और पुर्जों के स्थान पर काम आने वाले देसी माल और पुर्जों के प्रयोग के सम्बन्ध में किये गये प्रयत्नों के सम्भाविक परिणामों का मोटे तौर पर मूल्यांकन किया गया। अनुमान किया जाता है कि वर्तमान उत्पादन के स्तरों के आधार पर, विदेशी मुद्रा में लगभग 35 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की बचत होगी।

विदेश निर्यात व्यापार में भारत का भाग

* 287. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश निर्यात व्यापार में भारत का भाग जो 1951 में 2 प्रतिशत था 1965 में घटकर एक प्रतिशत से कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०**–6674/66]

M/s. A. H. Wheeler & Co.

* 288 : **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2401 on the 18th March, 1966 and state :

(a) whether the agreement with M/s. A. H. Wheeler & Co. for selling books on all the Railway stations on the Indian Railways has been made on a permanent basis and is being renewed under pressure; and

(b) The reasons for not terminating this contract ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) No, Sir.

(b) The service of the contractor has so far been satisfactory.

विदेशी सहयोग से अलौह धातुओं का सर्वेक्षण

* 289 **डा० म० मो० दास :** **श्री श्याम लाल सर्राफ :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तांबा, जस्ता तथा सीसा जैसे अलौह धातुओं के अयस्कों के खनिज भण्डारों का पता लगाने के लिये एक व्यापक सर्वेक्षण करने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या ऐसे सर्वेक्षण के लिये धन तथा तकनीकी व्यक्तियों के रूप में विदेशी सहायता मिली है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में किस देश ने सहायता दी है; और

(घ) यदि इस बारे में कोई करार किया गया है, तो उसकी शर्त क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) से (ग). भारत सरकार ने कुछ चुने हुए खनिजयुक्त क्षेत्रों में भारतीय भौतिकी विभाग द्वारा तांबा, सिक्का जस्ता आदि अलौह धातुओं की खोज, अनुसंधान करने तथा सिद्ध करने के लिये किये जाने वाले काम को क्षिप्र बनाने का निर्णय किया है । भारतीय भौतिकी विभाग द्वारा किये गये अनुसंधान को सशक्त करने के लिये यू० एस० एड से आशाजनक क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने का प्रबन्ध किया जा रहा है । इन हवाई सर्वेक्षणों के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अमरीकी सरकार राजी हो गई है । तथा एक समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं । हवाई सर्वेक्षण की बातचीत रूस से की जा रही है । ऐसे सर्वेक्षणों में आरम्भिक सहायता प्राप्त करने के लिये पूर्वी जर्मनी से भी बातचीत की जा रही है ।

(घ) यू० एस० एड से जहां तक किये जाने वाले सर्वेक्षणों का सम्बन्ध है वह अमरीका की एक इंजीनियरिंग फर्म द्वारा किये जायेंगे जो कि हवाई सर्वेक्षण तथा औपरांतिक भू भौतिकी कार्य तथा हीरक व्यघन दोनों के लिये उत्तरदायी होगी । इस ऋण पर पहले दस वर्ष 1 प्रतिशत का सूद होगा तथा इसके पश्चात् ढाई प्रतिशत, और इसे 40 वर्ष में लगभग 61 बराबर प्रभागों में अदा करना होगा जिससे पहला प्रभाग ऋण की राशि प्राप्ति होने के दस वर्ष बाद देय होगा।

ट्रकों का निर्माण

* 290. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **उद्योग** मंत्री 4 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 380 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक हल्की मोटर गाड़ियों के समान ही ट्रक-निर्माण की क्षमता को बढ़ाने के बारे में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) क्या वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों की निर्माण क्षमता बढ़ाने के प्रश्न को चौथी पंच-वर्षीय योजना में लेने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) और (ख). चौथी योजना में हल्की व्यापारिक गाड़ियों समेत व्यापारिक गाड़ियों की मांग तथा उत्पादन के लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। चौथी योजना के लक्ष्य निश्चित हो जाने के बाद ही इन गाड़ियों के लिए अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

हावड़ा स्टेशन पर संसद् सदस्यों के साथ कथित दुर्व्यवहार

* 291. **श्री यशपाल सिंह:**
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री स० मो० बनर्जी:
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री कृष्णपाल सिंह:
श्री सुबोध हंसदा:
श्री स० चं० सामन्त:
श्री म० ला० द्विवेदी:
श्री भागवत झा आजाद:
श्री द० ब० राजू:
डा० श्रीनिवासन:
श्री काजरोलकर:
श्री कपूर सिंह:
श्री बूटा सिंह:
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती:
श्री विश्वनाथ पाण्डेय:
श्री दलजीत सिंह:
श्रीमती रेणुका बड़कटकी:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने 31 मई, 1966 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित उस समाचार को देखा है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि रेलगाड़ी में हावड़ा से रूरकेला तक यात्रा कर रहे संसद् सदस्यों के एक दल की रक्षा करने में अधिकारी वर्ग असफल रहा;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). जी हां।

(ग) प्रशासनिक अफसरों की जांच समिति के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:–

(1) 25.5.1966 को 323 अप एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा हावड़ा से राउरकेला तक की यात्रा करने के लिए संसद् सदस्यों के लिए 'प्रथम श्रेणी' की एक विशेष बोगी की व्यवस्था की गयी थी। संसद् सदस्यों के आराम और खाने-पीने की ज़रूरतों की देखभाल के लिए भी व्यवस्था की गयी थी। इस प्रकार संसद् सदस्यों की देखभाल करने में रेलवे अधिकारियों की ओर से कोई चूक नहीं हुई थी।

(2) जांच के दौरान ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि उस डिब्बे पर, जिनमें संसद् सदस्य बैठे थे, ईंट-पत्थर फेंके गये। लेकिन यह सिद्ध हुआ कि भीड़ का एक भाग संसद् सदस्यों के डिब्बे की खिड़कियों को मुक्के और छतरियों से पीटता रहा जिससे डिब्बे की खिड़कियों के कुछ शीशे टूट गये।

(3) जांच में कोई ऐसा सबूत नहीं पेश किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उस डिब्बे को, जिसमें संसद् सदस्य बैठे थे, जलाने की कोशिश की गयी।

(4) जांच में दर्ज की गयी गवाही से पता चला कि हावड़ा स्टेशन पर मौजूद रेलवे अधिकारियों ने उपद्रव करने वाले यात्रियों द्वारा धमकी दिये जाने तथा अपमानित किये जाने पर भी अपने कर्तव्य का पालन करने का भरसक प्रयत्न किया।

(5) उपद्रव को देखते हुए 323 अप एक्सप्रेस गाड़ी में, जिसमें संसद् सदस्य यात्रा कर रहे थे, सरकारी रेलवे पुलिस के दो सशस्त्र व्यक्ति तैनात कर दिये गये।

मशीनी औजार संस्था, बंगलौर

* 292. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मशीनी औजार संस्था, बंगलौर में कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस संस्था में काम करने के लिये कोई विदेशी विशेषज्ञ आ चुका है?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में बिजली की व्यवस्था करना

* 293. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री म० ला० द्विवेदी**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा–खड़गपुर सेक्शन में बिजली लगाने के प्रारम्भिक कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) विभिन्न स्टेशनों को नया रूप देने के कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है;

(ग) क्या इस सेक्शन पर कोई नया हाल्ट स्टेशन बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कितने और कहां कहां ; और

(ङ) हाल्ट स्टेशन बनाने के बारे में कितने आवेदन पत्र मिले हैं, और उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) सभी प्रारम्भिक काम पूरे किये जा चुके हैं। बिजली गाड़ी चलाने के काम के विभिन्न मदों के लिए ठेके दे दिये गये हैं, जिनकी प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रही है ।

(ख) आशा की जाती है कि सभी स्टेशनों के यार्डों के ढांचों में परिवर्तन करने का काम अप्रैल, 1966 तक पूरा हो जायेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

(ङ) हावड़ा–खड़गपुर खंड पर नीचे लिखे हाल्ट और फ्लैग स्टेशन खोलने के लिए तीन आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनका व्यौरा इस प्रकार है :—

(i) भोगपुर और पांशकुड़ा स्टेशनों के बीच एक ट्रेन हाल्ट।

(ii) बागनान और देउलटि स्टेशनों के बीच घोरघाट में एक ट्रेन हाल्ट।

(iii) हावड़ा और रामराजतला स्टेशनों के बीच दासनगर में एक फ्लैग स्टेशन ।

इन प्रस्तावों पर विचार किया गया लेकिन पर्याप्त औचित्य न होने के कारण इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सका। यातायात की सम्भावनाओं में सुधार होने पर इन प्रस्तावों पर फिर से विचार किया जायगा।

अलौह धातुओं का आयात

*294. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलौह धातुओं के आयात के लिये कितनी निर्बाध विदेशी मुद्रा दी गई है;

(ख) क्या अब इसका आयात पुनः उसी पैमाने पर होने लगा है जिस पैमाने पर सितम्बर, 1965 से पहले होता था;

(ग) क्या औद्योगिक संस्थानों के पास जमा स्टाक को प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिये दिया जाना बन्द कर दिया गया है; और

(घ) अलौह धातुओं के स्थान पर अल्यूमिनियम का प्रयोग करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) महा निदेशक तकनीकी विकास तथा विकास आयुक्त लघु अनुमाप उद्योगों द्वारा जिन उद्योगों की अलौह धातुओं की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं उनको निम्न प्रकार से मुक्त विदेशी मुद्रा का आवण्टन किया गया है :—

(1) अप्रैल 1965 से मार्च 1966 तक	390 लाख रुपये
(2) अप्रैल 1966 से जुलाई 1966 तक	300 लाख रुपये

इस वर्ष में जो राशि दी गई है वह अग्रिम आवण्टन के रूप में हैं। इस वर्ष 1966-67 में आवण्टन का अन्तिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। सरकारी क्षेत्र परियोजनाओं तथा दूसरे उद्योगों द्वारा अलौह धातुओं के लिए मुक्त विदेशी मुद्रा के आंकड़े सुलभ नहीं हैं।

(ख) आशा है कि अलौह धातुओं के आयात पहले की भांति फिर होने लग जायंगे।

(ग) हां, महोदय।

(घ) एक विवरण सदन के सामने रखा जाता है।

विवरण

1—बिजली उद्योग में तांबा के स्थान पर एल्यूमिनियम प्रयोग करने में प्रगति :—

(1) सब उच्च उतति तथा निम्न उतति ऊपर लगायी जाने वाली तारे एल्यूमिनियम की बनाई जा रही हैं और इनमें कोई तांबा प्रयोग नहीं हो रहा है।

(2) सब भूगर्भ तारे तथा बी० आई० आर० और पी० बी० सी० सारें 7/.044 तथा इसमें ऊपर के माप की एल्यूमिनियम वाहकों की बनाई जा रही हैं। कई मोटर निर्माताओं ने डाईकास्ट एल्यूमिनियम रोटर का प्रयोग तांबे की पत्तीवाले रोटरों के स्थान पर करना शुरू कर दिया है। तथापि यह छोटी हद तक मोटरों में ही सीमित है।

2—कुप्यायन तथा टिन प्लेटें बनाने में जस्ता तथा टीन के स्थान पर एल्यूमिनियम के प्रयोग में प्रगति :—

(1) खाद्य पदार्थ, फलों के रस, सब्जियों, बच्चों के खाद्य पदार्थ तथा इसी प्रकार की चीजों के पैकेट बनाने के लिए काली प्रलक्षित स्तारें दोहरे पैकिंग के लिए आद्रताहीन कागज तथा पोलिथीन के थैलों के स्थान पर उपयुक्त वस्तुएं हैं। इस विषय में तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा दिया गया प्रस्ताव स्वास्थ्य मंत्रालय के विचाराधीन है।

(2) राऊर केला का इस्पात प्लांट अपने विस्तार कार्यक्रम में जिंक की चादरों के स्थान पर एल्यूमिनियम वाली चादरों का वाणिज्य उत्पादन करने के विषय में सोच रहा है। इसी प्रकार, खण्डों में एल्यूमिनाइज़ि की गई चद्दरें या इस्पात की चादरों को प्लास्टिक चढ़ाने का काम दूसरे इस्पात प्लांटों द्वारा शुरू करने की आवश्यकता।

(3) घरेलू बर्तनों के लिए जस्ता वण्टन नहीं किया जाता।

Removal of Fishplates and Bolts

*295. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Tula Ram :
Shri Vishwa Nath Pandey
Shri P. R. Chakraverti :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three young men were arrested while removing fishplates and bolts from the Railway Lines near Kolara village in Gorakhpur (N. E. Rly.) on the night of the 31st May, 1966; and

(b) If so, the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, Sir, but the incident occurred on 30-5-1966.

(b) A case under sections 126 IRA/379 IPC was registered by the Govt. Railway Police, Mau Junction. The case is under Police investigation.

रेलवे में चावल के तस्कर व्यापारी

*296. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान रेलवे के विभिन्न सेक्शनों में चावल के तस्कर व्यापारियों द्वारा खतरे की जंजीर खींचे जाने की बार-बार की गई रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है जिसके परिणामस्वरूप रेलगाड़ियां छः या सात घंटे देर से पहुंच रही हैं ;

(ख) क्या चावल के ये तस्कर व्यापारी बहुधा बिना टिकट यात्रा करते हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। पूर्व, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व रेलों पर ऐसे कुछ मामले हुए हैं। अधिक से अधिक 55 मिनट तक गाड़ी रुके रहने की रिपोर्ट मिली है।

(ख) जी नहीं। चावल के कुछ तस्कर टिकट खरीद कर यात्रा करते हैं।

(ग) रेलवे सुरक्षा दल, सरकारी रेलवे पुलिस, टिकट परीक्षकों और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा जांच के काम को तेज कर दिया गया है।

विशाखापत्तनम में भारी प्लेट और जहाज निर्माण कारखाना

* 297. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री 1 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3161 के उत्तर के सम्बन्ध

में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से विशाखापत्तनम में भारी प्लेट और जहाज बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) क्या अन्य सहयोगियों के साथ कुछ अन्य पत्तनों पर ऐसे कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां,

(ख) रसायन तथा उर्वरक उद्योगों एवं पेट्रोल साफ करने वाले कारखानों के लिए जिस उपकरण की आवश्यकता होती है उसके निर्माण के लिए एक इसी प्रकार की परियोजना स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है ।

नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान, कराची

* 298. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान कराची को 1 करोड़ 34 लाख रुपये का ऋण दिये जाने के मामले में उस बैंक की ओर से सरकार ने जमानत दी है ;

(ख) ऋण कब मंजूर किया गया था, किस काम के लिए मंजूर किया गया था तथा ऐसी पार्टी के लिए असाधारण जमानत देने के क्या कारण हैं जिस पर सरकार का कोई राजनीतिक क्षेत्राधिकार अथवा कानूनी नियन्त्रण नहीं है ;

(ग) क्या नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान ने वह रकम लौटा दी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस रकम के वापस मिलने की क्या सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तथा (ख). भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों के बीच 21 मार्च, 1960 को हस्ताक्षर किये गये एक संलेख के अनुसार प्रत्येक देश द्वारा लगभग 3-1/2 वर्षों में 1365 लाख रु० मूल्य के विशिष्ट माल का आदान-प्रदान करना स्वीकार किया गया था। निर्यात/आयात का भुगतान नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया, नयी दिल्ली में खोले गये विशेष रुपये खाते से किया जाना था । संलेख में किसी भी देश की ओर से 50 लाख रु० मूल्य तक के अधिकतया आदान-प्रदान करने की सीमा रखी गयी थी किन्तु इस समझौते के अन्तर्गत माल के निर्विघ्न आदान-प्रदान के हित में इसे अस्थगित रखना पड़ा । उन भारतीय पार्टियों को, जिन्होंने पाकिस्तान को माल का निर्यात किया,स्टेट बैंक

आफ इंडिया द्वारा किया गया भुगतान नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान को दिया गया स्थायी ओवरड्राफ्ट माना गया जोकि स्टेट बैंक आफ इंडिया के हक में सरकार द्वारा दी गयी गारंटी के आधार पर दिया गया था। पाकिस्तान से आयात किये गये माल के द्वारा इस ओवरड्राफ्ट को चुकता किया जाना था। ओवरड्राफ्ट की रकम इस समय 126·49 लाख रु० है।

(ग) तथा (घ). स्टेट बैंक आफ इंडिया के पास नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान की जो शेष जमा रकम है उसमें से ओवरड्राफ्ट की 60 प्रतिशत रकम का समंजन किया जा रहा है और शेष 40 प्रतिशत रकम के आधार पर शत्रु-सम्पत्ति परिरक्षक द्वारा, जिसने कि नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान की लेनदारियों और देनदारियों को अपने अधिकार में ले लिया है, सरकार को अनुपात से भुगतान किया जायगा।

All India Railway Licensed Porters' Union

*299. **Shri Kishen Pattnayak :**
Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a letter along with a memorandum containing the resolutions passed at a Conference of the All-India Railway Licensed Porters' Union was received by his Ministry;

(b) if so, the main demands or suggestions made in the resolutions; and

(c) Government's reaction thereto ?

Minister of State for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A statement is placed on the table of the Sabha. [**Placed in the Library. See No. L. T.—6675/66**]

न्यास (ट्रस्ट) तथा निवृत्ति लाभ निधियां

1364. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मण्डलों के संगठित संघों ने मांग की है कि उद्योगपतियों को न्यास तथा निवृत्ति लाभ निधियों में सामान्य शेयरों में धन विनियोजित करने की अनुमति दी जाये ताकि इससे ये दो लाभ हों–विनियोजन बढ़े और इससे लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को आय अधिक हो ; और

(ख) क्या इस पर विचार कर लिया गया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

कालीकट में अपर्याप्त वैगन

1365. **श्री मे० क० कुमारन :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालाबार चेम्बर आफ कामर्स से इस आशय का अभ्यावेदन मिला है कि केरल में कालीकट में वैगनों की कमी है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कालीकट-केरल का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्र है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) कालीकट से फुटकर तथा पूरे माल-डिब्बों में माल की निकासी नियमित रूप से की की जा रही है। अन्य स्थानों की तुलना में वहां लदान अधिक चालू (current) है।

मैंगनीज के पट्टे की दरें

1366. **श्री राम हरख यादव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज के पट्टे की दरें बदलने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या सरकार ने मैंगनीज अयस्क समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं, तथा उनके क्या परिणाम होंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) मैंगनीज के पट्टों की रायल्टी की दरों को बदलने का अलग से कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी चूंकि प्रमुख खनिजों के पट्टों पर रायल्टी की वर्तमान दरें 1962 के अन्त में नियत की गयी थीं अतः राज्य सरकारों, खनिज उद्योग और अन्य सम्बद्ध संगठनों की सलाह से खनिज एवं धातु मंत्रालय द्वारा इन दरों की सामान्य समीक्षा की जा रही है।

(ख) सिफारिशें सामान्यतः स्वीकार कर ली गयी हैं और उन पर विस्तार से विचार हो रहा है।

(ग) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 6676/66]

फिल्मों का निर्यात

1367. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भारतीय फिल्मों के विशेष रूप से तामिल फिल्मों के, निर्यात की बहुत अधिक गुंजाइश है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका उपयोग करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय चल चित्र निगम ने दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में स्थिति का अध्ययन करने के लिए अपने दो निदेशकों को नियुक्त करने तथा सिंगापुर में तमिल फिल्मों के प्रदर्शन अधिकर्ताओं को नियुक्त करने के अतिरिक्त इस क्षेत्र में भारतीय फिल्मों के लिए उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए बैंकाक में एक कार्यालय खोलने का सुझाव दिया है।

केरल में काजू उद्योग

1368 **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के काजू उद्योग को अफ्रीकी देशों से, जहां पर इस उद्योग का अधिक वैज्ञानिक आधार पर विकास किया जा रहा है, चुनौती का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो केरल में इस उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि वह इस नई चुनौती का सामना कर सके ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) जी, नहीं। फिर भी सूचना मिली है कि मोजम्बिक में काजू साफ करने के सुधरे हुए तरीकों को वैज्ञानिक आधार पर अपनाये जाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस प्रकार के प्रयोगों के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोचीन तथा बम्बई के बीच रोज चलने वाली सीधी गाड़ी

1369. **श्री मे० क० कुमारन :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन तथा बम्बई के बीच उत्तरोत्तर बढ़ रहे भारी यातायात की दृष्टि से एक रोज चलाने वाली सीधी कोचीन बम्बई एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) बम्बई और कोच्चिन के बीच मौजूदा सीधा यातायात इन दो स्टेशनों के बीच चलने वाले वर्तमान सीधे डिब्बों द्वारा सन्तोषजनक ढंग से ढोया जा रहा है, सिवाय गर्मी के मौसम में जब छुट्टियों के कारण भीड़ को सम्हालने के लिए बंबई और कोच्चिन हार्बर टर्मिनस के बीच विशेष गाड़ियां चलायी जाती हैं । इसलिए अभी बम्बई और कोच्चिन हार्बर टर्मिनस के बीच नियमित रूप से एक सीधी गाड़ी चलाने का औचित्य नहीं है ।

केरल में मुख्यतः प्रतिरक्षा उद्योग

1370. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मूलतः प्रतिरक्षा उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां। तो ये प्रस्तावित उद्योग कौन-कौन से होंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

केरल में नारियल जटा के लिये रंगाईघर

1371. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नारियल जटा के लिये एक आधुनिक रंगाईघर स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या मशीनें ले ली गई हैं; और

(ग) वे कब से चलनी आरम्भ हो जायेंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग). कायर रंगने के लिए केरल में एक आधुनिक रंगाईघर स्थापित करने की योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। कलावूर स्थिति अपने केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान में कायर बोर्ड, अब रंगाई के कुछ परीक्षण कर रहा है ताकि प्रस्तावित आधुनिक रंगाईघर में अपनाये जाने के लिए कायर रंगने का एक सर्वोत्तम संभव तरीका मानकीकृत किया जा सके। इन परीक्षणों के परिणाम प्राप्त हो जाने के बाद कार्यान्वयन के लिए योजना को हाथ में लिया जायेगा।

दक्षिण रेलवे में डीजल-इंजन

1372. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में डीजल-इंजन लगाये जाने के सम्बन्ध में दक्षिण रेलवे की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर, 1966 से किन-किन रेलगाड़ियों में डीजल-इंजन लगाये जायेंगे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। दक्षिण रेलवे में मद्रास और विजयवाड़ा के बीच सदर्न एक्सप्रेस, मद्रास और वाल्टेर के बीच हावड़ा–मद्रास डाक तथा मद्रास और बेंगलूरु के बीच वृन्दावन एक्सप्रेस गाड़ियां अप्रैल, 1966 से डीजल से चलाई जा रही हैं। इस रेलवे में फिलहाल और किसी एक्सप्रेस गाड़ी को डीजल से चलाने का विचार नहीं है।

उत्प्रेरित (एक्टीवेटेड) कार्बन

1373. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल कर्पर से उत्प्रेरित कार्बन बनाने के लिये केरल में एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां पर स्थापित किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तीसरी श्रेणी में स्थानों का आरक्षण

1374. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्टेशन पर प्रयोग के तौर पर लागू की गई तीसरी श्रेणी में स्थानों के आरक्षण सम्बन्धी सरल योजना का, उसकी सफलता अथवा असफलता का पता लगाने के लिये पुर्नविलोकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कितने प्रतिशत सफल रही; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस योजना का कब पुन-र्विलोकन किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 'कार्य अध्ययन' पद्धति पर आधारित, आरक्षण और बुकिंग की एक परिष्कृत प्रणाली पिछली मई में नयी दिल्ली स्टेशन (न कि दिल्ली स्टेशन) पर शुरू की गयी थी। तब से अब तक इस प्रणाली के काम की तीन विस्तृत समीक्षाएं की जा चुकी हैं।

(ख) और (ग). इस योजना के परिणाम उत्साहवर्द्धक रहे हैं। इसके सभी प्रमुख उद्देश्य पूरे हो चुके हैं।

वाडी जंक्शन स्टेशन पर सत्याग्रह

1375. **श्री राम हरख यादव:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से व्यक्तियों को, जिसमें एक संसद् सदस्य तथा विधान सभा के कई सदस्य भी थे, मध्य रेलवे के गुलबर्गा रेलवे स्टेशन पर उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वे उसी रेलवे के वाडी जंक्शन स्टेशन पर 25 जून, 1966 को सत्याग्रह करने के हेतु बम्बई–मद्रास रेल-गाड़ी में चढ़ने के लिये रेलवे परिसर में प्रविष्ट हुए ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसमें जान और माल की कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). 24.6.1966 न कि 25.6.66 को लगभग 25 व्यक्तियों के एक जत्थे ने जिनमें संसद् के दो सदस्य तथा विधान सभा के चार सदस्य शामिल थे, मैसूर और महाराष्ट्र राज्यों के बीच सीमा विवाद के सिलसिले में सत्याग्रह करने के लिए वाडी जाने के इरादे से गुलबर्गा में 9 डाउन बम्बई–मद्रास डाकगाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की। राज्य पुलिस द्वारा 9 व्यक्ति पकड़े गये जिनमें दो संसद् सदस्य तथा चार विधायक शामिल थे। इसके बाद गिरफ्तार व्यक्तियों

पर गुलबर्गा के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में भारतीय रेल अधिनियम की धारा 122-ख के अधीन मुकदमा चलाया गया और सबको दोषी ठहराया गया और प्रत्येक को दस-दस रुपये जुर्माने का दण्ड दिया गया: और जुर्माना न देने पर एक दिन की साधारण कैद की सजा दी गयी।

(ग) जन-धन की कोई हानि नहीं हुई।

अयस्क खनन उद्योग की कठिनाइयां

1376. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जमशेदपुर के उनके पिछले दौरे के समय उन्हें अयस्क खनन उद्योग के विकास में होने वाली अनेक कठिनाइयों के सम्बन्ध में कोई स्मरण पत्र दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें मुख्य रूप से किन कठिनाइयों का उल्लेख था; और

(ग) इन कथित कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) नहीं, महोदय।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते।

पूर्वोत्तर रेलवे पर नये स्टेशन

1377. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर और समस्तीपुर स्टेशनों के बीच तथा दरभंगा और नरकटियागंज स्टेशनों के बीच पिछले पांच वर्षों में बनाये गये नये स्टेशनों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या रीगा और धांग स्टेशनों के बीच महानी अथवा चचौराहिया गांव के निकट एक स्टेशन बनाने के बारे में कोई अभ्यावेदन किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) सोनपुर–समस्तीपुर सेक्शन पर पिछले पांच वर्षों में कोई स्टेशन नहीं खोला गया। दरभंगा–नरकटियागंज सेक्शन पर पिछले पांच वर्षों में नाकरदेई, पचपौखरिया, टेक्टार और परसौनी स्टेशन खोले गये।

(ख) जी हां।

(ग) पर्याप्त औचित्य न होने के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका।

बिहार में खतरे की जंजीर खींचने की घटनाएं

1378. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के किन किन क्षेत्रों में जंजीर खींचने की घटनाएं बार-बार तथा अधिक संख्या में होती रहती हैं ; और

(ख) जंजीर खींचने की ऐसी घटनाओं की संख्या कम से कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). एक बयान नत्थी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०**–6677/66]

पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार

1379. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री मधु लिमये :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ सहित पूर्व यूरोप के देशों के साथ व्यापार पर अवमूल्यन के प्रभाव का अध्ययन किया है;

(ख) क्या आयातकों और निर्यातकों को उक्त देशों के मामले में कठिनाई हो रही है; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) . जी, हां। रूमानिया, पूर्वी जर्मनी तथा बलगारिया के अतिरिक्त पूर्वी यूरोपीय देशों की सरकारों से बातचीत करके भारतीय व्यापारियों की कठिनाइयां हल की गई हैं । रूमानियां पूर्वी जर्मनी तथा बलगारिया की सरकारों से बातचीत चल रही है । 6-6-66 से पूर्व की गई आयात/निर्यात संविदाओं की कीमत में 57.5 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति के सम्बन्ध में युगोस्लाविया, पोलैण्ड, हंगरी तथा चेकोस्लोवाकिया पहिले ही सहमत हो गये हैं । सोवियत रूस अपनी निर्यात संविदाओं में 57.5 प्रतिशत एवं आयात संविदाओं में 47.5 प्रतिशत वृद्धि करने के लिये सहमत हो गया है । सम्बद्ध सरकारें, इस वृद्धि को लागू करने के लिये अपने आयातकों एवं निर्यातकों को सलाह देने के लिए उचित कदम उठायेंगी । विश्वास है कि शीघ्र ही स्थिति सामान्य हो जायगी ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योग

1380. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री मधु लिमये :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों पर अवमूल्यन के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया है;

(ख) क्या आयात किये जाने वाले आवश्यक माल पर उनका व्यय काफी बढ़ जायगा;

(ग) क्या इन उद्योगों द्वारा आयात में कटौती की जायगी; और

(घ) इससे इन उद्योगों के उत्पादन तथा सुचारु रूप से काम करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । जहां तक उद्योग मंत्रालय के अधीन परियोजनाओं का सम्बन्ध है आवश्यक आयात पर खर्च में 86 करोड़ रु० की वृद्धि हो जायगी ।

(ग) सरकार का प्रयास सदैव यह रहता है कि संयंत्र और उपकरणों तथा कच्चे माल और पुर्जों के मामले में देश में उपलब्ध साधनों का अधिकाधिक प्रयोग करके आयात में जितनी कमी की जा सकती हो उसे कम किया जाय ।

(घ) अवमूल्यन के बाद आवश्यक कच्चे माल और उपकरणों के आयात में ढील देने के लिए किये गये उपायों के फलस्वरूप उत्पादन के बढ़ने की आशा है, स्थापित क्षमता और अधिक उपयोग किये जाने से परियोजनाओं की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो जानी चाहिए ।

डे रिटर्न टिकट

1381. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डे रिटर्न टिकट (दिन वापसी टिकट) जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब जारी किया जायेगा;

(ग) इसकी शर्तें क्या होंगी; और

(घ) इसे किन-किन राज्यों में तथा स्टेशनों पर जारी किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) से (घ). रेलवे द्वारा पहले से ही जारी रही दैनिक वापसी टिकटों का ब्यौरा संलग्न विवरण (उपबन्ध I) में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**—6677/66]

यह भी निर्णय किया गया है कि पूर्वी रेलवे में कुछ स्टेशनों के जोड़ों के बीच दैनिक वापसी टिकट जारी करने आरम्भ किये जायें, जिनका ब्यौरा उपबन्ध दो में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**—6677/66]

इस समय किसी अन्य स्थान पर ऐसे टिकट जारी करना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। परन्तु यदि परिस्थितियोंवश आवश्यक हुआ तो अन्य स्टेशनों के जोड़ों के बीच भी ये टिकट आरम्भ किये जायेंगे।

साइकिलों का निर्यात

1382. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 25 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2766 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि साइकिलों के टायर और ट्यूबों के पुनर्भरण (रिप्लेसमेंट) की योजना केवल उत्पादक-निर्माताओं तक ही क्यों सीमित रखी गई है और उसे सायकिलों के व्यापारी-निर्यातकों पर लागू क्यों नहीं किया गया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): टायर और ट्यूबों के पुनर्भरण की योजना को उत्पादक-निर्माताओं तक ही सीमित रखने का कारण यह है कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि योजना के अन्तर्गत डनलप रबड़ कम्पनी द्वारा बनाये गये टायर और ट्यूबों का निर्यात होने वाली साइकिलों में मूल-उपकरण के रूप में वस्तुतः इस्तेमाल हो तथा वे टायर और ट्यूब आन्तरिक बाजार में बिक्री के लिए न पहुंच जायें।

निर्यातक

1383. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: वर्ष 1965-66 में कितनी फर्मों ने अलग-अलग व्यापारी-निर्यातकों तथा निर्माता-निर्यातकों के रूप में पंजीबद्ध होने के लिए प्रार्थना-पत्र दिये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : 1965-66 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के अधीन लगभग 2600 व्यापारी निर्यातकों तथा 1450 निर्माता-निर्यातकों ने पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र भेजे। इसके अतिरिक्त, चाय बोर्ड, काफी बोर्ड, जूट आयुक्त तथा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय के महानिदेशालय ने पंजीकरण के लिए लगभग

800 व्यापारी-निर्यातकों एवं 1000 निर्माता-निर्यातकों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त किये हैं ।

सुलभ मुद्रा क्षेत्र से आयात लाइसेंस

1384. **श्री धर्मलिंगम :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत आयात सम्वन्धी लाइसेंस पहले सुलभ मुद्रा क्षेत्र से जारी किये जाते थे; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें अब सामान्य मुद्रा क्षेत्र से जारी करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). सुलभ एवं दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों में विभेद करने का कोई प्रश्न नहीं था परन्तु रुपया भुगतान वाले देशों को निर्यात पर भिन्न आधार से विचार किया गया था। अव-मूल्यन के पूर्व विद्यमान निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओं को 6 जून, 1966 से समाप्त कर दिया गया है ।

चामराजनगर-सत्यमंगलम रेलवे लाइन

1385. **श्री सिद्धय्या :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चामराजनगर-सत्यमंगलम रेलवे लाइन को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के बारे में उन्हें अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शामनाथ) : (क) चामराजनगर को सत्यमंगलम से मिलाने वाली मीटर गेज लाइन बनाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) चौथी योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । फिर भी चौथी योजना में धन तथा साधन के सीमित होने के कारण, इस रेलवे लाइन को योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करने के बारे में, जो कि वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं है, उच्च प्राथमिकता दिये जाने की आशा नहीं है ।

मेसर्स राम कृष्ण कुलवन्त राय को आयात लाइसेंस दिया जाना

1386. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स राम कृष्ण कुलवन्त राय को 1960 में, हिन्दुस्तान स्टील

लिमिटेड और उनके बीच के करार का सत्यापन किये बिना ही 1 करोड़ रुपये से अधिक लागत के आयात लाइसेंस दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो यह असावधानी किसके इशारे पर की गई और क्या सारे मामले की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार था और क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या जांच-रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जायेगी ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) :(क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ). लोक लेखा-समिति ने इस बारे में अपनी सिफारिशें अपनी पचासवीं रिपोर्ट में दी हैं और सरकार ने इन पर अपनी टिप्पणियां भी दे दी हैं। इन पर अब विचार किया जा रहा है।

Overbridge at Railway Crossing at Patel Nagar, Delhi

1387. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the dispute regarding the slope of the over-bridge to be constructed over the railway crossing in Patel Nagar, Delhi has been resolved;

(b) if so, whether it would be of 140 or 120 degrees; and

(c) when it is likely to be ready ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) (a) No.

(b) Not yet decided.

(c) It is too early to give any positive indication at this stage.

Price Index Numbers

1388. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the trend of price Index Numbers during May and June,1966; and

(b) the proportionate difference in the prices of edible and non-edible articles ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) and (b). A statement is attached. **[Placed in the Library. See No. L. T.–6679/66]**

भाप से चलने वाले इंजनों के स्थान पर डीजल से चलने वाले इंजन लगाना

1389. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में भाप से चलने वाले कितने इंजनों के स्थान पर डीजल से चलने वाले इंजन लगाये गये हैं ;

(ख) रेल गाड़ियों की रफ्तार में वृद्धि करने की दृष्टि से उन्हें कितनी लाइनों पर चलाया गया है ;

(ग) क्या उन्हें सभी लाइनों पर चलाने के सम्बन्ध में कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम है ; और

(घ) डीजल इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियों की रफ्तार कितनी होती है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) भाप रेल इंजनों के डीजल रेल इंजनों में बदले जाने की क्षमता नहीं है। लेकिन उपयुक्त डिजाइन वाले डीजल रेल इंजन तैयार किये/खरीदे जा रहे हैं। ये रेल इंजन मुख्यतः उन खंडों की माल गाड़ियों में इस्तेमाल किये जायेंगे जहां यातायात बहुत अधिक है । ये डीजल रेल इंजन अतिरिक्त यातायात सम्भालने के काम में लाये जाते हैं और जो भाप रेल इंजन अपनी उपयोगिता की अवधि समाप्त होने पर यथा समय लाइन से हटा दिये जाते हैं ; ये रेल इंजन कुछ हद तक उनके स्थान पर इस्तेमाल किये जाते हैं ।

(ख) और (ग). जिन खंडों पर मुख्य रूप से माल यातायात की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न चरणों वाले कार्यक्रम के आधार पर डीजल रेल इंजन चलाये गये हैं, उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**—6680/66]

गाड़ियों में विशेष रूप से उन खंडों पर जहां यातायात बहुत अधिक है, डिब्बों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में भी डीजल रेल इंजन चलाये जा रहे हैं। ऐसे मामलों में गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ायी जा सकी है। सभी लाइनों पर डीजल रेल इंजन चलाना न तो व्यावहारिक है और न ऐसा करने का विचार ही है ।

(घ) डीजल रेल इंजनों के द्वारा बड़ी लाइन पर सवारी गाड़ियां 100 कि०मी० प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से और माल गाड़ियां 75 कि०मी० प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलायी जा रही हैं । मीटर लाइन पर डीजल रेल इंजनों से चलायी जाने वाली माल गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार 50 कि०मी० प्रति घंटा है ।

यूरोपीय साझा बाजार के देशों के स

1390. **श्री लिंग रेड्डी :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 18 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 628 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय साझा बाजार के देशों के साथ व्यापार में भारत द्वारा और कितनी प्रगति की गई है ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कुल कितना व्यापार किया गया ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में कुल कितना व्यापार होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) भारत एवं समुदाय के मध्य द्विपक्षीय ठोस वार्ता की पहल करने के लिए, ब्रसेल्स स्थित हमारा आर्थिक मिशन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय से अनुरोध करने के लिए निरन्तर प्रयत्न करता रहा है ताकि समुदाय को भारत द्वारा निर्यात की गई बहुत सी वस्तुओं पर से टेरिफ या गैर टेरिफ सम्बन्धी सीमायें हटायी जा सकें । 4 मई, 1966 को मिशन ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय की मंत्रि-परिषद को एक यादनामा पेश किया जिसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय से निम्नलिखित बातों के लिए अनुरोध किया गया है:—

(1) समुदाय एवं भारत के मध्य व्यापार स्थिति एवं व्यापार समस्याओं की समीक्षा करना ;

(2) द्विपक्षीय स्तर पर उचित प्रत्यक्ष कार्यवाही करना ताकि उनके विचारार्थ व्यावहारिक समाधान ढूंढ़ने जा सकें ; और

(3) गाट में इन देशों के प्रतिनिधियों के लिए व्यादेश को बढ़ाना ताकि एक और समुदाय के मध्य तथा दूसरी ओर भारत और अन्य विकासोन्मुख देशों के मध्य व्यापार विनिमय के अधिकतम एवं द्रुत लाभ मिल सकें ।

पश्चिमी जर्मनी एवं फ्रांस के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं प्रतिवर्ष होती हैं और भारत जिन मदों के निर्यात में रुचि रखता है उन पर इन देशों में लगे हुए आयात प्रतिबन्धों को उदार कराने के प्रयत्न किये जाते हैं । भारत-फ्रांस व्यापार करार के अन्तर्गत स्थापित भारत-फ्रांस संयुक्त आयोग की बैठक 2 से 7 अप्रैल, 1966 तक नई दिल्ली में हुई तथा उसने भारत-फ्रांस के मध्य व्यापार के विस्तार एवं दोनों देशों के मध्य आर्थिक, तकनीकी और औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने के विभिन्न प्रश्नों पर विचार किया । इसके परिणामस्वरूप, 80 नम्बर से कम के बने हुए सूती हथकरघा वस्त्रों और उनसे बनी हुई पोशाकों पर लगे हुए परिमाण सम्बन्धी प्रतिबन्धों को फ्रांस ने हटा दिया है । फ्रांस में आयात की अन्य प्रतिबन्धित मदों के कोटों में वृद्धि की गई है

और पहली बार रबड़ की तली वाले किरमिच के जूते और सूखी बैटरियों के कोटे प्राप्त किये गये हैं। पश्चिमी जर्मनी के सम्बन्ध में, भारत की रुचि की मदों के लिये 1966 के कोटे पहले से ऊंचे स्तर पर तय किये गये।

(ख) तीसरी योजना की अवधि में समुदाय के छः देशों को भारत का निर्यात 287 करोड़ रुपये का हुआ और इन देशों से आयात, जिसमें अधिकांशतः पूंजीगत माल, मशीनें, उपकरण एवं औद्योगिक कच्चा माल है, 871 करोड़ रुपये का हुआ।

(ग) चौथी योजना की अवधि में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ व्यापार के परिमाण का अनुमान लगाना इस समय संभव नहीं है क्योंकि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा टेरिफ और गैर-टेरिफ सीमाओं को कम करने/समाप्त करने सम्बन्धी प्रश्नों पर कैनेडी राउण्ड वार्ता में, जो जेनेवा में चल रही है, विचार हो रहा है और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की शुरूआत के बारे में तय करना अब भी शेष है।

सूती कपड़े का निर्यात

1391. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सूती कपड़ा मिलों द्वारा तैयार किया गया कपड़ा कुछ मात्रा के निर्यात के अतिरिक्त देश की वर्तमान मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों को प्रति वर्ष कितना कपड़ा निर्यात किया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि धन के अभाव के कारण कुछ कपड़ा मिलें बन्द की· जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी सहायता के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) देश के किसी भी भाग से कमी की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) 1965-66 में 5,980 लाख वर्गमीटर मिल में बने कपड़े का निर्यात किया गया।

(ग) वित्तीय कठिनाई के कारण सूती वस्त्र की कुछ मिलें बन्द होने की सूचना मिली है।

(घ) मिलों के मामले में, जहां भी जरूरत समझी जाती है, उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन जांच-पड़ताल की जाती है और जांच-समिति की रिपोर्ट के आधार पर उचित मामलों में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकृत-नियंत्रक के माध्यम से केन्द्रीय सरकार मिलों को अपने हाथ में लेती है। अलाभकर मिलों को, जहां भी आवश्यक हो, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की गारंटी पर बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त कराने सम्बन्धी कदम भी उठाये जा रहे हैं।

लैटिन अमरीका के देशों को निर्यात

1392. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लैटिन अमरीका के देशों में भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इस काम में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह):(क) लैटिन अमेरिका को होने वाले हमारे निर्यात में मुख्यतः जूट की वस्तुएं हैं जोकि कुल निर्यात का लगभग 90 प्रतिशत है। अतः इस क्षेत्र के विभिन्न देशों में होने वाली कृषि फसलों के परिणाम के अनुसार निर्यात वर्ष प्रति वर्ष घटता-बढ़ता रहता है।

लैटिन अमेरिका के देशों को अपना निर्यात विकसित तथा विविध करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं:—

(1) भारत के एक व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल ने जून-जुलाई, 1964 में इस क्षेत्र के साथ व्यापार विकसित करने की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिए ब्राजील, अर्जेन्टाइना, चिली, पेरू, बोलिविया, कोलम्बिया और वेनीजुएला का दौरा किया था।

(2) चिली के साथ हुये व्यापार की अवधि एक और वर्ष के लिए बढ़ा दी गयी है।

(3) अर्जेन्टाइना के साथ एक व्यापार करार पर मार्च, 1966 में हस्ताक्षर किये गये। दोनों देशों के बीच होने वाला यह सबसे पहला व्यापार करार है।

(4) ब्राजील के साथ एक व्यापार करार के लिए बातचीत हो रही है और उसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है।

(5) भारतीय व्यापारियों के लिए स्पेनी भाषा में, जोकि ब्राजील को छोड़कर इस क्षेत्र के सभी देशों की सामान्य-भाषा है, एक अध्ययन पाठ्यक्रम चलाने का विदेशी व्यापार के भारतीय संस्थान का विचार है।

(6) क्षेत्र में भारतीय वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ किया जा रहा है और पेरू तथा वेनीजुएला में व्यापारिक संस्थान शीघ्र ही खोले जायेंगे।

(7) राज्य व्यापार निगम ने इस क्षेत्र के देशों के साथ कुछ वस्तु-विनिमय करार करने के लिए बातचीत की है।

(8) 1965 में पेरू में लगी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भारत ने भाग लिया ।

(ख) भारतीय निर्यात की अपरम्परागत वस्तुओं का निर्यात विकसित करने के लिए लैटिन अमेरिका के देशों में अच्छी सम्भावनाएं हैं । उपर्युक्त संवर्धन सम्बन्धी उपायों के परिणामस्वरूप आशा है कि धीरे-धीरे इन वस्तुओं का काफी निर्यात किया जा सकेगा ।

टेलीविजन सेटों का निर्माण

1393. **श्री दी० चं० शर्मा:** **श्री रिशांग किशिंग:**
श्री वासुदेवन नायर: **श्री हुकम चन्द कछवाय:**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय: **श्री बड़े:**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **डा० श्री निवासन :**

क्या **उद्योग** मंत्री 4 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 360 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में निर्मित टेलीविजन सेटों और विदेशी सहयोग से निर्मित टेलीविजन सेटों के प्रतिस्पर्धी दावों के बारे में निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या नीति अपनायी जायेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने निश्चय किया है कि व्यापारिक स्तर पर टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए किसी भी विदेशी सहयोग की आवश्यकता नहीं है ।

Payment of Foreign Loans in the form of goods

1394. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Umanath:

Will the Minister of **Commerce** be please d to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5587 on the 13th May, 1966 and state :

(a) whether the Secretariat of the United Nations Commission for Trade and Development has since studied the question of payment of foreign loans in the form of goods;

(b) if so, the result thereof; and

(c) if not, whether Government have made any effort in this direction with the cooperation of other developing countries ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) No, Sir.

(b) Deos not arise.

(c) Government of India are trying to create awareness in the lending countries of the need for expansion of imports into these countries including repayment in kind, from the developing world.

Holding of Examination by Railway Service Commissions at Patna

1395. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the action taken so far in regard to the setting up of a Centre at Patna for examinations conducted by the Railway Service Commissions; and

(b) when this Centre is likely to be established ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). Patna is already a centre for examinations conducted by the Railway Service Commission, Calcutta. Presumably, the Hon'ble Member is referring to Dinapur where a sub-office called 'Railway Service Commission, Allahabad/Calcutta Branch Office, Dinapur' has started functioning with effect from 1st July, 1966.

Incident at Deulti Station on the South Eastern Railway

1396. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Madhu Limaye :
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a violent crowd of passengers set on fire a First class compartment at Deulti Station of the South Eastern Railway on the 19th May, 1966 and also resorted to subversive activities at other nearby stations;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the total damage suffered by the Railway ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The incident took place at Deulti station on 19-5-66. Some passengers entered a First Class compartment of S.6 Down at Deulti Station, made a slight cut in two cushions and attempted to set fire to the coir inside. The fire was immediately put out by station staff before any damage could be caused by the crowd. The crowd also caused slight damage to two glass panes and door shutters of the Assistant Station Master's office and some signal glass reflectors.

(b) The ostensible cause was slight late running of some local trains due to the following reasons :

(i) Alarm chain pulling on the earlier Puri-Howrah Express.

(ii) Suspension of control of Kharagpur-Howrah Section on account of theft of line wire.

(iii) Failure of colour light signal on account of failure of West Bengal State Electricity Supply.

(iv) Suspension of lock and block instruments on account of theft of line wire and contact on P & T lines.

(c) Rs. 104/-. (Approximate)

उत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा

1397. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा दिल्ली खंड (जोन) में क्या विशेष नियंत्रण रखा गया है?

(ग) पिछले छः महीनों में कितने व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गये ; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) रेलवे सुरक्षा दल के रक्षकों तथा पुलिस के कर्मचारियों की मदद से विशेष रूप से बनाये गये दिल्ली एरिया स्क्वैड द्वारा बार-बार अचानक जांच किये जाने के अलावा और भी विभिन्न प्रकार की जांच, जैसे गाड़ी को रास्ते में रोककर, मौके पर और मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाती है।

(ग) 1.1.1966 से 30.6.66 तक की अवधि में 4,08,998 व्यक्ति पकड़े गये।

(घ) यदि बिना टिकट यात्री रेल किराया आदि देने से इन्कार करते हैं तो उन्हें रेलवे का पैसा वसूल करने के लिए या स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट की अदालत में अभियोग चलाने के लिए रेल कर्मचारियों को सौंप दिया जाता है। यदि स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो तो ऐसे मामले दीवानी अदालतों को सौंप दिये जाते हैं।

नारियल के तेल तथा गोला-गरी (कोप्रा) का निर्यात

1398. **श्री राम सेवक यादव :**
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि देश में नारियल के तेल तथा गोला-गरी की देश में पहले ही कमी है क्या नारियल के तेल तथा गोला-गरी के निर्यात को बन्द करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). खोपड़े और नारियल के तेल का निर्यात वर्जित है।

कृषि ट्रैक्टरों का निर्माण

1399. **श्री राम सेवक यादव :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **उद्योग** मंत्री 6 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4889 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि संबंधी ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिये परियोजना की स्थापना करने के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) से (ग). चैकोस्लोवाकिया के मेसर्स मोटोकोव से कृषि ट्रैक्टरों तथा उपकरणों के निर्माण के लिए विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट का पहला भाग जिसमें प्रस्तावित योजना का तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन दिया हुआ है, चालू वर्ष के अन्त तक प्राप्त हो जाने की आशा है । इस परियोजना की स्थापना पर आगे कार्यवाही सम्भाव्यता रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर की जायगी।

तिरुवैरम्बूर में हैवी बायलर प्लांट

1400. **श्री नम्बियार :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुवैरम्बूर में हैवी बायलर प्लांट में उत्पादन आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह बायलर कब तक बन जायेगा ; और

(ग) क्या कारखाने का निर्माण कार्य तथा मशीन लगाने का काम पूरा हो गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) पहला बायलर जुलाई-अगस्त, 1966 से देना प्रारम्भ किया जायगा तथा जून, 1967 तक पूरा हो जायगा।

(ग) यह लगभग पूरा होने वाला है तथा सितम्बर, 1966 तक पूरा हो जाने की आशा है।

रेलवे नैमित्तिक (कैजुअल) श्रमिक

1401. **श्री नम्बियार:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे में काम कर रहे 2 लाख नैमित्तिक श्रमिकों की सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ख) क्या उन्हें सेवा जारी रखने, वरिष्ठता के आधार पर स्थायी पदों पर नियुक्ति, पूरे वेतन तथा महंगाई भत्ते संबंधी अधिकार तथा ऐसी अन्य सुविधाएं जो छै महीने से अधिक समय से काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं, दी जा रही हैं; और

(ग) क्या उनकी सेवा की अनौपचारिक समाप्ति के विरुद्ध विशेषकर जबकि उनको काम करते छै मास से अधिक हो गये हों, कोई संरक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी हां, जहां तक सम्भव है।

(ख) और (ग). **परियोजनाओं में लगे नैमित्तिक मज़दूर.**—उनको नैमित्तिक कर्मचारी माना जाता है, चाहे उनके नियोजन की अवधि कुछ भी हो।

परियोजनाओं से भिन्न अन्य निर्माण-कार्यों में लगे नैमित्तिक मज़दूर.—छ: महीने की लगातार सेवा पूरी होने पर वे अस्थायी रेल कर्मचारियों को मिलने वाले कुछ अधिकारों और सुविधाओं के हक़दार हो जाते हैं।

सेवा में बने रहने की गारंटी किसी को नहीं होती, क्योंकि उन्हें नियमित रेल सेवा में नियुक्ति पाने का कोई निर्धारित अधिकार नहीं होता। लेकिन वे चौथे दर्जे के नियमित पदों के लिए चुनाव में उपस्थित होने के पात्र होते हैं।

पोकरन–जैसलमेर रेलवे लाइन

1402. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी:** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय:**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: **श्री राम हरख यादव:**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोकरन–जैसलमेर लाइन पर निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके किस तिथि तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). इस लाइन के निर्माण का काम हाल में शुरू किया गया है और आशा है यह लाइन 1967 के अन्त तक बन कर तैयार हो जायेगी ।

कारों और स्कूटरों में चोर बाजारी

1403. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कारों और स्कूटरों के कुछ मेकों की अब भी तेजी से चोर बाजारी हो रही है तथा इसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के सरकार के आश्वासन के बावजूद भी इसमें कोई कमी नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) कारों और स्कूटरों के विक्रय और वितरण का नियमन करने के लिए जारी किये गये नियन्त्रण आदेशों के बाद नई कारों और स्कूटरों की चोर बाजारी के कोई भी विशेष उदाहरण सरकार को सूचित नहीं किये गये हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Jayshankar Cotton Textile Mills, Barsi (Sholapur)

1404. **Dr. Ram Manohar Lohia** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaints regarding the misuse of money and mismanagement by the present management/proprietors of Jayashankar Cotton Mills, Barsi in District Sholapur;

(b) whether Government have advised the State Government to take over the control of the said Mills before its financial position crumbles down; and

(c) the extent of financial assistance to be provided by Government or/and State Bank to the State Government for the said purpose ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) and (b). Yes, Sir. There have been many complaints of mismanagement. Because of this, a financial and management survey has been ordered out.

(c) Does not arise.

भारी मशीन निर्माण कारखाना, रांची

1405. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची में भारी मशीन निर्माण कारखाने की दस वर्षीय उत्पादन योजना रूसी विशेषज्ञ दल के परामर्श से बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस योजना को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) :(क) जी, हां ।

(ख) और (ग). धातु कर्म तथा गैर-धातु कर्म उपकरणों के उत्पादन के लिए दस वर्षीय योजना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	टन भार
1966-67	14500
1967-68	20000
1968-69	26000
1969-70	32500
1970-71	40500
1971-72	50500
1972-73	63000
1973-74	71800
1974-75	78100
1975-76	80000

कारखाने को प्राप्त तथा प्राप्त होने वाले सम्भावित आर्डरों के आधार पर कम्पनी ने कारखाने के लिए निम्न प्रकार उत्पादन कार्यक्रम तैयार किया है :—

वर्ष	टन भार
1966-67	19500
1967-68	28590
1968-69	39180
1969-70	50730
1970-71	67000
1971-72	80000

इस कार्यक्रम को अब अमल में लाया जा रहा है ।

म्योर मिल, कानपुर

1408. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्योर मिल्स लिमिटेड कानपुर में सामान्य रूप से काम-काज आरम्भ हो गया है;

(ख) क्या श्रमिकों को यदि उनकी कोई देय राशि बकाया थी दे दी गई है; और

(ग) इन मिलों को स्थायी रूप से अपने कब्जे में लेने के लिए सरकार का कब संसद के समक्ष आवश्यक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) मिल प्रायः सामान्य रूप से कार्य कर रहा है।

(ख) सरकार द्वारा दायित्व लेते समय श्रमिकों को वेतन तथा अन्य देय राशियों का पूरी तरह भुगतान हो चुका है। जो श्रमिक मर गये हैं अथवा त्यागपत्र दे चुके हैं, उन्हें श्रमिक-संघों के साथ हुए समझौते के अनुसार विश्रामानुदानों का भुगतान किया जा रहा है।

(ग) मामला विचाराधीन है।

साफ्ट कोक का निर्माण

1409. **श्री मधु लिमये :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार साफ्ट कोक का निर्माण करने वाली किसी योजना पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ताकि ग्रामवासी गोबर के ईंधन के स्थान पर साफ्ट कोक का प्रयोग कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख). सरकार गावों में गोबर के स्थान पर साफ्ट कोक के उपलों का घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। साफ्ट कोक एक सस्ता वाणिज्य प्रतिस्थापन है। केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था को बिहार, पूर्वी यू० पी० तथा मध्य प्रदेश की तीन कर्णधार परियोजनाओं के लिए जो कि बिहार रानीगंज तथा मध्य प्रदेश कोयले पर

आधारित होगी, सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से अनुसंधान के बाद परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है ।

पोन्नेरी के निकट लारी और रेलगाड़ी की टक्कर

1410. **श्रीमती सावित्री निगम :** **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री तुला राम :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री सोनावने : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 मई, 1966 को मद्रास में पोन्नेरी के निकट एक लारी और रेलगाड़ी की भिड़न्त में दो व्यक्ति मारे गये;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी हां ।

(ख) दुर्घटना ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुई ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

कलकत्ता में तार (केबल) की चोरी

1411 **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में हाल के महीनों में भूमि के नीचे बिछे तार की चोरियों में अचानक वृद्धि हो जाने से 29 मई, 1966 को रेलगाड़ियों के आने और जाने में विलम्ब हुआ और कई यात्रियों को रुकना पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, लेकिन 29 मई, 1966 को गाड़ियों के चलने में कोई रुकावट नहीं हुई ।

(ख) तांबे के तार की चोरियों को, चाहे वे डाक और तार विभाग की हों या रेलों के सिगनल केबल की हों, रोकने और उनका पता लगाने का दायित्व राज्य पुलिस का है । डाक और तार विभाग, रेलों और राज्य पुलिस के बीच सहयोग के लिए प्रायः सभी स्तरों पर बैठकें होती रहती हैं । जहां कहीं भी आवश्यक समझा जाता है, रेलवे सुरक्षा दल राज्य पुलिस को गश्त लगाने, गुप्त रूप से पता लगाने और छापे मारने के काम में सहायता देता है ।

दक्षिण-मध्य रेलवे जोन

1412. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे जोन की स्थापना की व्यवस्था पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका उद्घाटन कब किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अभी नहीं ।

(ख) यदि अदृष्ट कठिनाइयां सामने नहीं आयीं तो आशा है, 2-10-1966 को इस रेलवे का उद्घाटन किया जायेगा ।

क्यूबा और उत्तर वियतनाम से व्यापार

1413. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री वासुदेवन नायर:
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हँसदा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान प्रस्तावित "फूड फार फ्रीडम बिल" (स्वातंत्रय संरक्षण हेतु खाद्य विधेयक) की ओर दिलाया गया है जो अमरीका के पी० एल० 480 का स्थान लेगा तथा जिसके अन्तर्गत अनाज प्राप्त करने वाले देशों को क्यूबा और उत्तरी वियतनाम को माल भेजना बन्द करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इस देश के व्यापार पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अमरीका को कोई पत्र भेजा गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां । प्रस्ताव विधेयक पर संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस द्वारा अभी विचार हो रहा है और अभी यह देखना है कि इसका अन्तिम रूप क्या होता है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

औद्योगिक उपक्रम

1414. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री कर्णी सिंह जी :
श्री सेझियान :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे औद्योगिक उपक्रमों की जिनकी स्थिति कुप्रबन्ध के

कारण डावांडोल हो गई है अपने नियन्त्रण में लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के उपबन्धों के अलावा उन अन्य उद्योगों को अपने हाथ में लेने का कोई विशेष सुझाव नहीं है जिनमें खराब प्रबन्ध के कारण उत्पादन में कमी आ गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Bailadilla Steel Plant

1415. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Iron and Steel** be pleased to state :

(a) the up-to-date progress made in the setting up of Bailadilla Steel Plant;

(b) the main cause of slackness in the work; and

(c) when final arrangements are likely to be made to utilize fully the iron ore available in this area ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T.N. Singh) :(a) to (c). The question of setting up of a steel plant in the public sector based on Bailadilla iron ore is at present under consideration by the Government. A feasibility study and a site location report have been obtained in this connection. The question of location has to be decided after carefully considering the comparative advantages of different sites and Government have to consider all relevant factors before taking a decision. Further, the Fourth Plan outlay on steel has still to be settled.

As part of the measures to utilize Bailadilla iron ores, there is a firm contract with Japanese parties for the export of four million tonnes of ore, rising to eight million tonnes per year.

Trains between Delhi and Ghaziabad

1416. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any new train services are proposed to be introduced between Delhi and Ghaziabad with a view to avoiding overcrowding in trains;

(b) whether Government have also received any memoranda in this regard; and

(c) if so, the decision taken thereon ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh.) : (a) to (c). Introduction of any additional train between Delhi and Ghaziabad, demands for which have been made, is not, at present, operationally feasible for want of spare line capacity on this section and also of terminal facilities at Delhi/New Delhi. Additional facilities have been planned, and as these become available in Delhi area, introduction of additional suburban services, including on Delhi-Ghaziabad section, will be taken in hand.

दक्षिण रेलवे में रेल-सड़क प्रतिस्पर्धा

1417 **श्री सेझियान :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़क परिवहन से स्पर्धा के कारण दक्षिण रेलवे को यात्रियों से होने वाली आय पर प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) क्या दक्षिण रेलवे ने रेल-सड़क प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिये एक समन्वित नीति का सुझाव दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इन सुझावों का क्या व्यौरा है ; और

(घ) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख), (ग) और (घ). रेल और सड़क परिवहन की स्पर्धा रोकने के सम्बन्ध में दक्षिण रेलवे की ओर से किसी निश्चित नीति का सुझाव नहीं दिया गया है, फिर भी इस बात की बराबर जरूरत महसूस की जाती रही है कि रेल और सड़क परिवहन की अलाभप्रद और अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को रोका जाय । परिवहन नीति और समन्वय समिति ने इस मामले पर विस्तार पूर्वक विचार किया है और इस समय उसकी रिपोर्ट पर योजना आयोग और सम्बन्धित मंत्रालयों में विचार किया जा रहा है ।

इसके अलावा योजना आयोग अलग से भी, ऐसे सड़क परिवहन निगम संगठित करने के प्रश्न पर राज्य सरकारों से बातचीत कर रहा है जिनमें रेलें भी भागीदार होंगी । मद्रास राज्य को छोड़कर, दक्षिण रेलवे के क्षेत्र के सभी राज्यों ने इस प्रकार के निगम बना लिए हैं । योजना आयोग मद्रास सरकार से अनुरोध कर रहा है कि इस प्रकार का एक निगम बनाने के सम्बन्ध में शीघ्र कार्रवाई की जाये ।

राज्य व्यापार निगम का विस्तार

1418. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य व्यापार निगम के कार्य का और विस्तार

करने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) निर्यात में वृद्धि करने तथा विविधता लाने के लिये, राज्य व्यापार निगम तथा सरकार दोनों ही निरन्तर व्यापार सम्बन्धी अवसरों, जिनसे राज्य व्यापार निगम लाभ उठा सकता है, के ढूंढने में संलग्न हैं। सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम को और निगम द्वारा सम्बन्धित उत्पादकों, विशेषतया निर्यात बाजार में नई वस्तुओं जिनका सामान्यत: और विशिष्ट देशों में पहले कभी निर्यात नहीं किया गया था, को उनके निर्यात शुरू करने की दिशा में समस्त आवश्यक सहायता दी जायेगी ।

नेपाल में कपड़ा मिल

1419 **श्री किन्दर लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 6 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1524 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में कपड़ा मिल की स्थापना के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

(1) नेपाल में सूती कपड़ा मिल की स्थापना करने और उसे चलाने के लिये गठित किये गये भारत नेपाल औद्योगिक निगम की अंश पूंजी 3 करोड़ रुपये (नेपाली मुद्रा में) होगी ।

(2) मिल में उत्पादन प्रारम्भ होने के उपरान्त 12 वर्षों तक नेपाल सरकार उस पर कोई आयकर नहीं लगायेगी ।

(3) उत्पादन तिथि से 8 वर्षों की अवधि तक मिल के उत्पादों पर नेपाल सरकार उत्पादन शुल्क या ऐसे ही कोई शुल्क नहीं लगायेगी ।

(4) निगम, नेपाल से प्रतिवर्ष लाभांश, बोनस, ब्याज, प्रबन्ध शुल्क आदि भेजने के लिये स्वतन्त्र होगा ।

(5) नेपाल सरकार 41 वर्ष तक मिल का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी । राष्ट्रीयकरण की अवस्था में नेपाल सरकार द्वारा पूरा मुआवजा दिया जायगा ।

(6) दूसरे देशों से भर्ती किये गये निगम के कर्मचारियों को अपनी बचत बाहर भेजने की अनुमति दी जायगी ।

Thefts in Goods Train at Barauni Station

1420. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that bales of cloth and tins of ghee were stolen from a goods train at Barauni Railway Junction as reported in the 'Hindustan', dated the 20th April, 1966 ;

(b) if so, the number of persons arrested in this connection ; and

(c) whether some Government employees are also involved therein and, if so, the nature of punishment awarded to them ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No. but the theft occurred on the night of 11/12-4-66 at Barauni Parcel transhipment shed.

(b) One person has been arrested so far.

(c) The case is under police investigation.

Derailment of Goods Train near Phaphamau

1421. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 23rd April, 1966 some wagons of a goods train were derailed at a place, 6 miles away from Phaphamau Railway Station as reported in the 'Nav Bharat Times', dated the 24th April, 1966 ;

(b) whether it is also a fact that the main line at Phaphamau station was blocked as a result thereof ;

(c) the causes of the derailment of the wagons ; and

(d) the extent of damage caused to the Railway property thereby ?

Deputy Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) One wagon of Up covered empty special train derailed near West Cabin of Phaphamau station on 23-4-66.

(b) No. However, trains from and to Janghai could not be received on lines No. 3 and 4.

(c) The report of the Enquiry Committee is under examination.

(d) Nil.

Sonai Railway Station on Mathura-Hathras Section of N. E. Railway

1422. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sanction for constructing Sonai Railway Station between Mathura Cantonment and Hathras Stations on the North Eastern Metre gauge line was accorded about 8 years back ;

(b) whether it is also a fact that income from this station is equal to that of the neighbouring stations, although only four trains halt there ;

(c) whether it is also a fact that the survey for this station has already been completed by the Railway authorities ;

(d) whether it is fact that there does not exist any separate office at this station nor any shelter has been provided for the protection of passengers from sun and rain ; and

(e) the action taken to develop this station ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) No.

(c) No.

(d) There is a booking office but no shelter exists at present for passengers.

(e) Construction of a waiting hall has been sanctioned and the work is in progress.

Accident at Balia

1423. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 20th April, 1966 the 288 Down Passenger Train escaped an accident at Balia Station ;

(b) whether it is also a fact that due to the negligence of the Railway Staff the said train was allowed to move on the line where a train was already standing ;

(c) whether some persons sustained injuries and sufficient damage was caused to the brakes ; and

(d) the action taken against the persons responsible for this negligence ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) No. However, on 16-4-66 train No. 288 Down Passenger bumped against a bogie of empty rake of Passenger train No. 287 Up at Balia Station.

(b) Yes. The accident was due to the failure of railway staff.

(c) As a result of the accident one person sustained minor injuries.

The cost of damage to the engine and rolling stock was estimated at approximately Rs. 4,200/-.

(d) Suitable disciplinary action has been taken against the defaulting staff.

Death of a Man at Hindaun Railway Station (W. Rly.)

1425. **Shri Rameshwaranand :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a man was crushed to death by a goods train at the Hindaun Railway Station on the 28th April, 1966 ;

(b) if so, the causes thereof ; and

(c) the action taken in the matter ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) A trespasser got runover and killed between the Up Distant and Home signals of Hindaun City Station on 22-4-66.

(b) The accident occurred on account of trespassing.

(c) Does not arise.

Sale of Shoes by S.T.C.

1426. **Shri Raghunath Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the office of the State Trading Corporation in Agra, there is a deadlock in the trade of shoes for want of foreign exchange;

(b) whether it is also a fact that due to the negligence of Inspectors, ten thousand pairs of shoes are lying unpassed ; and

(c) if so, the steps taken in regard thereto ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) There has been no disruption in procurement of shoes at Agra procurement Centre of STC ; no foreign exchange is required for the fabrication of shoes at this Centre.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Clash between Railway Police and a Police Party

1427. **Shri Raghunath Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in Kanpur there was a clash between the railway police and the police party resulting in injuries to two railway police employees and the arrest of two persons as reported in 'Vir Arjun', dated the 22nd May, 1966 ;

(b) whether it is also a fact that railway police employees were stealing wheat bags from the Juhi Railway godown ;

(c) if so, the action taken against those persons ; and

(d) the quantity of wheat and other goods missing from the godown ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (d). No. The correct position is that one R. P. F. Rakshak while going off duty saw one rickshaw with 3 bags of wheat near Diggi level crossing. He suspected the material to be stolen property and challenged the occupants and the Rickshaw puller who fled away. Meantime, two police constables of police Station Juhi also reached the spot and another R. P. F. Rakshak while going off duty also happened to pass that place. A hot discussion between the police constables and the R. P. F. Rakshaks started on the spot as to who should process the case, resulting in fight and injury to one of the Rakshaks. A case was registered against one outsider and the R. P. F. Rakshaks. Both R. P. F. Rakshaks were arrested by the police. The case is under investigation.

कोयम्बटूर में दूध का पाउडर बनाने का कारखाना

1428. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयम्बटूर में दूध का पाउडर बनाने का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). मेसर्स कमला शुगर मिल्स लि० उदमालपेट, कोयम्बटूर के दूध का पाउडर परिष्कृत दुग्ध खाद्य तथा माल्ट मिलें दुग्ध-खाद्य

बनाने के लिए क्रमशः 1800 मी० टन तथा 600 मी० टन वार्षिक क्षमता के कारखाने उदमालपेट जिला कोयम्बटूर में स्थापित करने के प्रस्ताव के लिए स्वीकृति दे दी गई है।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल के कर्मचारी

1429. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के उन सभी कर्मचारियों को, जिनको भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था, अब रिहा कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें फिर से नौकरी पर रख लिया गया है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उन्हें गिरफ्तारी की अवधि में नौकरी से हटाया जाना अथवा बर्खास्त किया जाना अवैध था ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि० के स्थायी आदेशों के नियम 42(10) के अधीन, प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय द्वारा प्रभावित तथा कम्पनी के गैर-औद्योगिक मजदूरों के सेवा नियमों के नियम 51(10) के अधीन किसी भी कर्मचारी की सेवाएं 30 दिन से अधिक स्वीकृत छुट्टी लिए बिना गैर-हाजिर होने पर समाप्त कर दी जाती हैं। इन नियमों के अनुसार इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त मानी गई थीं।

(घ) गिरफ्तार हो जाने पर उन्हें नौकरी से हटाया अथवा बर्खास्त किया जाना उपर्युक्त नियमों के अनुसार था।

काशी स्टेशन पर श्रमिकों की मृत्यु

1430. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री रामेश्वरानन्द :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 अप्रैल, 1966 को काशी रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) के समीप एक रेलवे इंजन से टक्कर लगने के कारण काम करते हुए दो गैंगमैन मारे गये और कुछ गम्भीर रूप से घायल हुए; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) और (ख). 30-4-1966 को लगभग 14 बजे 815 अप श्रू मालगाड़ी दुर्घटना स्थल से गुजर रही थी, कि वहां एक डाउन खाली इंजन भी पहुंच गया। मालगाड़ी के गुजरने और घुमाव के बाहर खाली इन्जन के आ जाने के कारण गैंगमैन डाउन खाली इन्जन को देख न सके। यद्यपि खाली इंजन को आते देखकर मेट ने अपने आदमियों को रेल-मार्ग से दूर हट जाने के लिए आवाज लगाई, फिर भी उनमें से कुछ लोग उसकी आवाज न सुन सके। इसके कारण उनमें से दो व्यक्ति मारे गये और तीन को चोटें पहुंचीं।

छोटे पैमाने के उद्योगों में प्रशिक्षण

1431. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 में और पिछले चार महीनों में उत्तर प्रदेश से कितने व्यक्ति छोटे पैमाने के उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेशों में भेजे गये; और

(ख) वे व्यक्ति किन-किन देशों में भेजे गये ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) कुछ नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

क्यूबा के साथ व्यापार

1432. **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री रामपुरे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्यूबा के साथ भारत के व्यापार में हाल के वर्षों में तेजी से कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्यूबा के साथ व्यापारी सम्बन्ध बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) क्यूबा के साथ व्यापार में कमी का मूल कारण यह प्रतीत होता है कि क्यूबा के पास विदेशी मुद्रा की कमी है और वह भारत से जूट के बोरों की खरीद के लिए पर्याप्त निधि के आवंटन में समर्थ नहीं है।

(ग) क्यूबा के साथ अपने व्यापार सम्बन्धों को सुधारने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपायों पर विचार किया गया है। पर, चूंकि भारत से जूट के माल की खरीद के लिए उस देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं है और उसके प्रमुख निर्यात जैसे चीनी, डिब्बा बन्द फल, मछलियां आदि में हमारी रुचि नहीं है अतः क्यूबा के साथ हमारे व्यापार के गिरते हुए रुख को ठीक करना सम्भव नहीं हो सका है।

फालतू माल

1433. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **सम्भरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेड और स्टोर करने की सुविधाएं न होने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में फालतू सामान असुरक्षित पड़ा रहता है और उसमें से बहुत-सा सामान खराब तथा चोरी हो जाता है; और

(ख) इस कारण इस देश को प्रतिवर्ष कितनी हानि होती है ?

सम्भरण, तकनीकी विकास और सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामय्या) : (क) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा घोषित फालतू माल का निपटान करता है। जब तक खरीदारों को सामान का वितरण नहीं हो जाता, उसकी परिरक्षकीय जिम्मेदारी स्टाकवारी विभागों पर होती है और उन्हें ही उसको स्टोर करने तथा उसके लिए सुरक्षा के प्रबन्ध करने होते हैं। पूर्व समय में, सामान का निपटान करते समय पूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने देखा कि बहुत कुछ सामान ठीक ढंग से रखा हुआ था और सुरक्षा के भी जरूरी प्रबन्ध किये गये थे। अधिकांश मदों के बारे में जैसे सैनिक गाड़ियों/क्रेनों को कुछ डीपो ने खुले में स्टोर किया हुआ था परन्तु सुरक्षा के प्रबन्ध उपलब्ध थे।

(ख) यदि कोई हानि हुई है तो उसके बारे में स्टाकवारी विभागों से जरूरी जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्ति पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

इंजीनियरी के सामान का निर्यात

1434. **श्री सुबोध हंसदा :**　　**श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त :　　**श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन देशों को इंजीनियरी के सामान का निर्यात बढ़ गया है अथवा बढ़ने की सम्भावना है जिनके साथ सरकार का द्विपक्षी व्यापार करार है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं की मांग अधिक है; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम उन देशों की, विशेषतः पूर्व यूरोपीय देशों की, मांग को पूरा कर सकता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जिन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार करार हैं उनको इंजीनियरी सामान का निर्यात बढ़ा है तथा उसके और भी बढ़ने की सम्भावना है ।

(ख) जिन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार करार हैं उन देशों में जिन वस्तुओं की मांग है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

पूर्वी यूरोप : मशीनी औजार, रेफ्रिजरेटर्स वातानुकूलक, सूखी तथा स्टोरेज बैटरियां, सेनिटरी फिटिंग, कम्प्रेशर्स आदि ।

अफ्रीकी एवं एशियाई देश : इस्पात की अर्ध-निर्मित वस्तुएं, डीजल इंजन, साइकिलें एवं उनके पुर्जे, तेल मिल की मशीनें, बिजली के तार तथा केबल, मोटर तथा मोटर के पुर्जे, बिजली के पंखे, सूखी बैटरियां आदि ।

(ग) जी, हां ।

अफ्रीकी देशों को नमक का निर्यात

1435. **श्री सुबोध हंसदा** : **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी देशों को नमक का निर्यात करने के लिए कोई प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए बाजारों की खोज की है;

(ग) अब तक कौन-कौन से बाजारों का पता लगाया गया है; और

(घ) क्या उन देशों से कोई क्रयादेश मिला है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). जी, हां ।

(ग) तथा (घ). अफ्रीका के दस से अधिक देशों में सम्भावनाओं की जांच की गई है । इनमें से सोमालिया, इथोपिया और कीनियां स्वयं नमक का उत्पादन करते हैं और वस्तुतः कुछ नमक का निर्यात भी करते हैं । घाना भी सीमित मात्रा में नमक का उत्पादन करता है और वह अपने नमक उत्पादन को बढ़ा रहा है । जाम्बिया पर्याप्त मात्रा में नमक का आयात करता है परन्तु यह केवल पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका होकर ही होता है । ऐसे ही कारण रोडेशिया को भी रोकते हैं । अप्रैल 1966 में टांजानियां को 500 मी० टन की एक खेप भेजी गई है परन्तु अब और खेपें न जा

सकेंगी क्योंकि स्थानीय सरकार अपने नमक उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहती है। युगाण्डा को भी 4,000 मी० टन की एक खेप भेजी गई है और वहीं से 4,000 मी० टन का एक और क्रयादेश प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही की जा रही है। नाइजीरिया को निर्यात के लिए एक विशेष प्रकार के नमक का यहां उत्पादन करने की सम्भावना का भी अनुसरण किया जा रहा है, जिसका वह देश आदी है।

बोकारो में कुशल कर्मचारियों की कमी

1436. **डा० रानेन सेन :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने में आरम्भ से ही कुशल कर्मचारियों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह). (क) और (ख) : जी, नहीं। पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को भर्ती करने और उन्हें उपयुक्त क्रम से प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

खारी झील क्षेत्र (साल्ट लेक एरिया)
को रेलवे सम्बन्धी सुविधाएं

1437. **डा० रानेन सेन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार तथा कलकत्ता महानगरी संगठन ने रेलवे अधिकारियों से यह मांग की है कि कलकत्ता में खारी झील क्षेत्र के लिए, जिसे कृषि योग्य बनाया गया है रेलवे सुविधाओं की व्यवस्था की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में रेलवे प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। पूर्व रेल प्रशासन ने पश्चिम बंगाल सरकार से कलकत्ता महानगरी जिले में नई बस्तियों, कस्बों और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए चौथी आयोजना की ठोस योजनाओं के आंकड़ों के लिए प्रार्थना की है ताकि वह इस बात का मूल्यांकन कर सके कि उपनगरी क्षेत्र में किस किस्म के रेल परिवहन की कितनी मांग बढ़ेगी। समझा जाता है कि साल्ट लेक स्कीम के लिए इस क्षेत्र से शहर के केन्द्र को जाने वाली सड़क सेवाओं की विस्तृत योजना बनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में रेल प्रशासन को सूचित किया है कि सेक्टर I

के प्लान को पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है और शेष सेक्टर II और III के प्लान अभी तैयार किये जा रहे हैं, और पिछले दो सेक्टरों में रेलवे या तेज परिवहन के किसी अन्य साधन के लिए कुछ जमीन दे सकती है। पूर्व रेलवे अब, विशुद्धतः इन्जीनियरिंग की दृष्टि से, इस बात की जांच कर रही है कि दमदम की तरफ से रेल की लाइन बिछाना सम्भाव्य है या नहीं। योजना आयोग द्वारा बनाया गया महानगरी परिवहन-अध्ययन दल भी कलकत्ता महानगरी क्षेत्र में विविध प्रकार के परिवहन की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं का विस्तार से अध्ययन कर रहा है, जिसमें एक तेज परिवहन प्रणाली की सम्भावनाएं भी शामिल हैं। इस अध्ययन में साल्ट लेक क्षेत्र भी आ जाता है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए धन का आवंटन

1438. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में धन नियतन की राशि को घटा कर तीसरी पंचवर्षीय योजना में आवंटित की गई धनराशि से भी कम करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी कमी करने का प्रस्ताव है और इस कटौती से किस प्रकार की योजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). अभी इस बात का अन्तिम निर्णय होना है कि समूची राष्ट्रीय योजंना के लिए प्रस्तावित कुल वित्तीय परिव्यय के अन्तर्गत रेलों के विकास कार्यक्रम के लिए और योजना के अन्य सेक्टरों के लिए भी कितना-कितना धन नियत किया जाय। तीसरी और चौथी योजनाओं में रेलों के कार्यक्रम के लिए नियत की गई धन-राशियों की सार्थक तुलना करना अभी सम्भव नहीं है।

परादीप पत्तन तक रेलवे लाइन

1439. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लौह अयस्क के लाने ले जाने के लिये परादीप पत्तन तक रेलवे लाइन की व्यवस्था करने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इसका व्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). बांसपानी, नयागढ़ और टोमका/दैतारी क्षेत्रों से परादीप बन्दरगाह तक बड़ी लाइन बिछाने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये जा चुके हैं और सर्वेक्षण रिपोर्टों पर रेलवे बोर्ड द्वारा विचार हो रहा है।

एक वैकल्पिक प्रस्ताव, अर्थात् पटासाही–लालचेर–कटक/बारंघ–परादीप रेल सम्पर्क और उसके साथ मलंगटोली ब्लाक के अयस्क भण्डारों तक एक रेलवे लाइन बनाने के बारे में भी जांच हो रही है। परादीप बन्दरगाह के लिए रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय करने से पहले इन दोनों विकल्पों के सापेक्ष गुण, दोषों पर विचार करना पड़ेगा। किसी भी हालत में, इन योजनाओं का समन्वय मलंगटोली ब्लाक में निर्यात की दृष्टि से तैयार की गयी प्रमुख खनन योजना की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्तावों और उसकी प्रगति के साथ रखना पड़ेगा।

दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन

1440. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन को बेहतर बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और कार्य पूरा करने के लिये कितनी अवधि निर्धारित की गई है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). दिल्ली जंकशन स्टेशन के सामने विचरण-क्षेत्र और टैक्सियों, निजी कारों आदि को खड़ा करने के स्थान का विस्तार करने का विचार है। स्टेशन से पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर प्रदेश रोडवेज़ और पंजाब रोडवेज़ के बस-अड्डों को हटा देने से काफी जगह खाली हो गयी है और इसकी वजह से इस प्रस्ताव पर अमल करना व्यावहारिक हो गया है। यह योजना अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि के परामर्श से इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इस काम को पूरा करने के सम्बन्ध में कोई तारीख निश्चित नहीं की गयी है।

लौह अयस्क की खोज

1441. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क की खोज का कार्य किसी विदेशी फर्म को सौंपने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या उन्हें देश भर में खोज कार्य करने दिया जायेगा ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) नहीं, महोदय।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते।

उत्तर प्रदेश में पटसन मिल

1442. **श्री बालगोविन्द वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेड़ी जिले में पटसन का उत्पादन सारे राज्य के पटसन के उत्पादन की दो तिहाई से भी अधिक होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी, गैर-सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्र में वहां पर एक पटसन मिल स्थापित करने का सरकार का विचार है ताकि वहां के किसानों को लाभ पहुंच सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कब निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) लखीमपुर–खेड़ी जिले में पटसन का उत्पादन उत्तर प्रदेश के कुल पटसन उत्पादन का केवल लगभग 41 प्रतिशत है जो स्वयं कुल भारतीय उत्पादन का केवल 3.5 प्रतिशत है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा

1443. **श्री गुलशन** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी से 1 अगस्त, 1966 तक की अवधि के, जोनवार रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया और उन पर जुर्माना किया गया ;

(ख) उनसे जुर्माने के रूप में कुल कितनी धनराशि वसूल की गई और विशेष जांच कर्मचारियों (स्पेशल चेकिंग स्टाफ) पर रेलवे ने कुल कितना धन खर्च किया ;

(ग) क्या यह सच है कि बिना टिकट यात्रा करने वालों के बारे में पूरी तरह चेकिंग नहीं हो पाती और 'गार्ड ड्यूटी' पर तैनात रेलवे कर्मचारी तथा पुलिस के आदमी बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सहायता करते हैं और उनको ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रवृति को रोकने के लिये रेलवे का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (**डा० राम सुभग सिंह**) : (क) और (ख). एक बयान संलग्न है, जिसमें 1. 1. 1966 से 30. 6. 66 तक की उपलब्ध आवश्यक सूचना दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०**–6681/66]

(ग) और (घ). बिना टिकट यात्रा करने के सम्बन्ध में रेल कर्मचारियों और पुलिस वालों द्वारा उपेक्षा करने का कोई मामला नहीं पकड़ा गया है। चूंकि बिना टिकट यात्रा अभी तक काफी हो रही है, इसलिए टिकटों की जांच करने की व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

पंजाब मेल का देर से चलना

1444. **श्री गुलशन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, दिल्ली तथा फीरोज पुर के बीच चलने वाली 'पंजाब मेल' प्रतिदिन देर से आती है ;

(ख) 1 जनवरी, 1966 से 1 अगस्त, 1966 तक की अवधि में 'पंजाब मेल' कितनी बार दिल्ली से देरी से चली और देरी से भटिंडा पहुंची ;

(ग) 1966 में यह गाड़ी कुल कितने दिन देर से चली ; और

(घ) 'पंजाब मेल' देर से चलने तथा उसमें भीड़भाड़ को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (**डा० राम सुभग सिंह**) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1 जनवरी, 1966 से 1 अगस्त, 1966 तक की अवधि में एक मध्यवर्ती स्थल भटिंडा में 37 अप पंजाब डाकगाड़ी 154 बार देर से पहुंची । दिल्ली से यह गाड़ी 162 बार देर से चली ।

(ग) 1 जनवरी, 1966 से 1 अगस्त, 1966 तक की अवधि में 37 अप डाकगाड़ी अपने गन्तव्य स्टेशन पर 148 बार देर से पहुंची ।

(घ) इस गाड़ी को समय पर चलाने की कोशिश जारी है । दिल्ली-फीरोजपुर खण्ड पर इस गाड़ी में भीड़ कम करने के लिए तीसरे दर्जे के दो अतिरिक्त डिब्बे लगाये गये हैं । इनमें से

एक डिब्बा 1–5–66 से दिल्ली और फीरोजपुर के बीच और दूसरा 1–6–66 से दिल्ली और भटिंडा/हिन्दूमलकोट के बीच चलाया जा रहा है ।

ट्रैक्टरों का निर्माण

1445. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे वह पूरे नहीं हुए हैं और यदि हां, तो इस असफलता के क्या कारण है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित किये जा रहे लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही तथा पूर्वोपाय किये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक ट्रैक्टरों के उत्पादन का लक्ष्य 10,000 प्रति वर्ष का था । जिसमें से 1965–66 में इनका उत्पादन 5,714 हुआ था । उत्पादन में कमी निम्नलिखित कारणों से हुई है :–

(1) विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण, लाइसेंस प्राप्त कारखानों के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात में देर होना । और

(2) विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण, आयात किये जाने वाले कच्चे माल तथा पुर्जों में कमी होना ।

(3) लाइसेंस प्राप्त कारखानों द्वारा उत्पादन शुरू करने में देरी होना ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य रखा जाय, इसका अभी निश्चय किया जाना है। 1970–71 तक मांग का अनुमान 40,000 लगाया गया है, इनमें से 5 कारखानों के लिए 30,000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष की कुल क्षमता के लिए स्वीकृति दे दी गई है । इसके अतिरिक्त चौथी पंचवर्षीय योजना में 12,000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करने का भी विचार है । इन सब कारखानों की स्थापना हो जाने से चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये निश्चित लक्ष्य पूरा हो जाने की संभावना है ।

राजस्थान में चमड़े और खाल का कारखाना

1446. **श्री तुला राम** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया के साथ वस्तु-विनिमय की व्यवस्था के आधार पर राजस्थान में चमड़े और खालों के परिष्करण के लिए एक कारखाना स्थापित किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (**श्री संजीवैया**) : (क)और (ख). एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**–6682/66]

थोक मूल्य सूचकांक

1447. **श्री राम हरख यादव** :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1966 के अंतिम सप्ताह में 1953 की उसी अवधि की तुलना में मूल्य सूचकांक क्या था ;

(ख) क्या मई, 1965 के अन्तिम सप्ताह के पश्चात, अर्थात् गत वर्ष के स्तर की तुलना में मूल्यों में वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (**श्री संजीवैया**) : (क) थोक मूल्यों के सूचकांक के व्यौरे के अनुसार (मार्च, 1953 के अन्त में 100 मानते हुए) मई, 1966 के अन्तिम सप्ताह में सूचकांक 182.1 था जबकि मई,1953 के अन्त में जैसा कि साथ में नत्थी विवरण में बताया गया है, 107.6 था।

(ख) जी, हां। मई, 1965 के अन्तिम सप्ताह में सूचकांक 156.9 से बढ़कर मई, 1966 के अन्तिम सप्ताह में 182.1 हो गया।

(ग) वृद्धि बताने वाला विस्तृत विवरण साथ में नत्थी है।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०**–6683/66]

मई, 1965 और 1966 के अन्तिम सप्ताहों के बारे में मूल्यों के उतार चढ़ाव का और विस्तृत व्यौरा बुलेटिनों में दिया गया है। बुलेटिनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

पाकिस्तान द्वारा कच्चे पटसन का बेचा जाना

1448. **डा० रानेन सेन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में कुछ व्यापारी लोग कच्चे पटसन को खरीदकर

सिंगापुर तथा अन्य स्थानों में भेज देते हैं और फिर वहां से वह माल भारत में भेजा जाता है और बहुत अधिक दाम पर बेचा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) तथा (ख). पाकिस्तानी जूट के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आयात पर अब कोई पाबंदी नहीं है । अतः पाकिस्तानी जूट के आयात की अनुमति दी जाती है और कीमतें प्रतियोगी आधार पर होती हैं ।

13 जुलाई, 1966 से केवल जूट मिलों के लिए कच्चे जूट के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत भी रख दिया गया है ।

केन्द्रीय रज्जु मार्ग व्यवस्था

1449. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**

श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कोयला बोर्ड का केन्द्रीय रज्जु मार्ग टूट गया है जिससे सारी रज्जु मार्ग व्यवस्था खराब हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या संरचना की खराबी के कारण ऐसा हुआ है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय । 14 मई, 1966 को 'डी' क्षेत्र के रज्जुपथ के दो रज्जु संचारों को मिलाने वाले संयोजक एक दिन पहले रात में जब रज्जुपथ क्रियाशील नहीं था, टूट गया जिससे रज्जुपथ कार्य करने में असमर्थ हो गया ।

(ख) प्रत्यक्ष रूप से यह दुर्घटना संयोजक के टूट जाने के कारण हुई, संभवतः संयोजक के लगाये जाने के पहले ही उसमें एक अदृष्ट पतली दरारी थी ।

(ग) जांच करने से पता चला कि यह विभंग संभवतः भौतिक खराबी के कारण था ?

(घ) 28–5–66 को पूरी तरह से मरम्मत कर दी गई और रज्जुपथ 30–5–66 से पुनः कार्य करने लगा है ।

टूटे हुए संयोजक को पूर्ण परीक्षण के लिए ठेकेदारों द्वारा यू० के० भेज दिया गया है ताकि विभंग के संभावित कारणों का पता लगाया जा सके। तदुपरांत ठेके की शर्तों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जायगी।

अवमूल्यन का पटसन के माल के निर्यात पर प्रभाव

1450. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री बूटा सिंह :**
श्री कपूर सिंह : **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सच है, जो 9 जून, 1966 को 'स्टेट्समैन में छपी है, कि रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् भारतीय निर्यातकों को, विशेषकर उन निर्यातकों को, जो पटसन के माल का निर्यात करते हैं, अवमूल्यन से पहले किये गये करारों के सम्बन्ध में विदेशों को माल भेजने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति पर कैसे काबू पाया गया ;

(ग) क्या अवमूल्यन के साथ लगाये गये भारी निर्यात शुल्क के कारण निर्यात के ऐसे करार रद्द किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सा माल रोक लिया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) अवमूल्यन के परिणामस्वरूप एवं पूर्व-अवमूल्यन की संविदाओं के अन्तर्गत आने वाले माल पर निर्यात शुल्क के संयोग से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए जूट के माल के निर्यात में कुछ देर हुई थी।

(ख) कुछ मामलों में शुल्क के भुगतान में छूट देकर, कुछ में निर्यातकों के संगठनों से बातचीत करके, और पूर्वी यूरोपीय देशों के मामलों में आयातक देशों की सरकार से बातचीत करके ये समस्याएं हल हो गयी हैं।

(ग) निर्यात शुल्क के कारण किसी संविदा के रद्द होने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) जूट के माल की लगभग 50,000 गांठें रोक ली गई थीं।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

1451. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में वेल्लारी-हौस्पेट तथा अन्य निकटस्थ क्षेत्रों में लौह अयस्क निक्षेपों के

खनन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किये जा रहे व्यावहार्य सर्वेक्षण के कोई निश्चित परिणाम निकले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने दोनामलाई क्षेत्र (दक्षिणी खण्ड) में यन्त्रीकृत खान के विकास के लिए एक शक्यता अध्ययन किया है। आशा है कि पिंड अयस्क के 2.5 मिलियन मीटरी टन का प्रतिवर्ष उत्पादन होगा जिसमें लगभग दो मिलियन मीटरी टन विक्रय योग्य चूर्ण भी शामिल है। परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए आगे विस्तृत अनुसंधान जो आवश्यक है, प्रगति पर है।

श्री लंका में कपड़ा व्यापार

1452 **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री लंका की सरकार ने श्री लंका में कपड़ा व्यापार को अस्त-व्यस्त करने के लिये कपड़ा आयात व्यापार का हाल में राष्ट्रीयकरण किया है तथा अन्य उपाय किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने भारतीय नागरिक विस्थापित हो गये हैं ; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तथा (ख). 1966 के उत्तरार्द्ध से वास्तविक-उपयोक्ताओं जैसे वस्त्र निर्माताओं को दिये जाने वाले आयात कोटों के अतिरिक्त, श्री लंका में कपड़े का तमाम आयात अब सरकार द्वारा संस्थापित सहकारी थोक संस्थान की मार्फत श्रीलंका की सरकार द्वारा किया जाता है। फिर भी, चूंकि कपड़े के आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण 1964 में ही हो चुका था। इसलिये अभी हाल के उपायों द्वारा भारतीय नागरिक विस्थापित नहीं हुए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Tractor Factory

1453. **Shri Sarjoo Pandey:**
Shri Bishwanath Roy:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Sonavane:
Shri Y. D. Singh:

Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1087 on the 25th February, 1966, and state :

(a) the progress so far made regarding the scheme for the setting up of a tractor fac-

tory with the collaboration of Czechoslovakia; and

(b) the location of the said factory and when it will be set up?

The Minister of Industry (Shri Sanjivayya) : (a) and (b). Part I of the Detailed Project Report containing a Techno-Economic Feasibility study of the proposed project for the manufacture of agricultural tractors and implements is likely to be received from M/s. Motokov of Czechoslovakia by the end of the current year. Further action on the establishment of this project will be taken on receipt and examination of the feasibility report. The question of location of the proposed project is under consideration.

Industries set up in Afghanistan

1454. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some industries have been set up in Afghanistan with Indian collaboration ;

(b) if so, the terms and conditions thereof; and

(c) the names of those Industries ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) No, Sir.

(b) & (c) : Do not arise.

पेरिस और सिडनी में हथकरघा पण्यशाला
(एम्पोरियम)

1455. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरिस और सिडनी में भारतीय हथकरघा पण्यशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). भारतीय दस्तकारियों तथा हथकरघे की वस्तुओं के लिये दस्तकारी तथा हथकरघा निर्यात निगम पेरिस में एक प्रदर्शन-सह-बिक्री केन्द्र की स्थापना कर रहा है । सिडनी में पण्यशाला स्थापित करने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

मद्रास में एल्यूमिनियम कारखाना

1456. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोडाईकनाल के निकट एक एल्यूमिनियम कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) नहीं, महोदय।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

खनिजों पर रायल्टी

1457. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी मुख्य खनिज पदार्थों पर रायल्टी की दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो दर में कितनी बृद्धि करने का विचार किया गया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) और (ख) हाल में राज्य सरकारों से इन दरों को बढ़ाने के लिये कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। विषय की महत्ता तथा खनिज उद्योग के प्रतिवेदनों को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने एक अध्ययन समूह बनाने का निश्चय किया है जो खनिजों की रायल्टी के प्रश्न पर सम्भव विचार करेगा और सरकार से उपयुक्त सिफारिशें करेगा।

आयात में उदारता

1458. **श्री बासप्पा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के पश्चात आयात के मामले में उदारता बरतने के लिये एक योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उसे कार्यरूप देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) योजना की मुख्य रूपरेखा दिखाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०–6684/66]

(ग) उदार आयात नीति के अन्तर्गत आयात लाइसेंस शीघ्रता से जारी करने के लिये एक सरलीकृत क्रियाविधि अपनाई गई है और अवमूल्यन के समय से लगभग 140 करोड़ रु० तक के लाइसेंस पहले ही जारी किये जा चुके हैं।

जापान को लौह-अयस्क का निर्यात

1460. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात तय हुई है कि मार्च, 1967 तक भारत जापान को लौह-अयस्क अवमूल्यन से पहले की दर पर बेचेगा और क्या इसके फलस्वरूप भारत को काफी कम मूल्य मिलेगा; और

(ख) हमारे लौह-अयस्क व्यापार पर अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं। जापान को लौह-अयस्क के संभरण के लिये बिक्री संविदा पौंड स्टर्लिंग अथवा अमरीकी डालर में होते हैं। अवमूल्यन के बाद प्राप्त हो रहे भुगतानों की राशि का रुपया मूल्य विनिमय की नई दर से तदनुसार ऊंचा है। विदेशी विनिमय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) हमारे लौह अयस्क के निर्यात की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में अवमूल्यन के परिणाम-स्वरूप अभी तक कोई विशिष्ट परिवर्तन दिखाई नहीं दिया है। भविष्य में निकलने वाले दीर्घावधि परिणामों का मूल्यांकन करना अभी सम्भव नहीं है।

सीमेंट का वितरण

1461. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :

श्री लिंग रेड्डी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पंजाब सरकार से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि कृषि उत्पादन के हित को ध्यान में रखते हुए सीमेंट के वितरण पर नियंत्रण लगाने के लिये फिर से विचार किया जाये ;

(ख) क्या अन्य सरकारों ने भी सरकार का ध्यान कृषि तथा लघु सिंचाई के काम के लिये सीमेंट की सप्लाई की असन्तोषजनक व्यवस्था होने की ओर दिलाया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई सुधारात्मक उपाय करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात और राजस्थान की सरकारों ने किसानों तथा छोटे सिंचाई कार्यों के लिए सीमेंट का अपर्याप्त सम्भरण किये जाने के बारे में सूचना दी है।

(ग) ये शिकायतें सीमेंट नियतन तथा समन्वयकारी संगठन को बता दी गई हैं तथा स्थिति में सुधार करने के लिये उपाय करने के निदेश दे दिये गये हैं। सीमेंट नियतन तथा समन्वयकारी संगठन ने गुजरात में कृषि कार्यों के लिए सीमेंट के सम्भरण में होने वाली कमी को पूरा करने का काम आरम्भ कर दिया है तथा उसने इस कार्य के लिये राजस्थान और पंजाब को सीमेंट का विशेष नियतन भी कर दिया है।

बिजली के भारी सामान का निर्माण

1462. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री लिंग रेड्डी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि बिजली तैयार करने के भारी सामान का निर्माण करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई नया कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है ;

(ख) भोपाल, हरिद्वार तथा हैदराबाद में स्थित वर्तमान कारखाने कहां तक बिजली तैयार करने के सामान की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हैं ; और

(ग) बड़े ताप बिजलीघरों के लिये भारी बायलरों का निर्माण करने के लिये क्या व्यवस्था है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) भोपाल, हरिद्वार तथा हैदराबाद के तीन भारी विद्युत संयंत्रों की स्थापित क्षमता निम्न प्रकार है :–

संयंत्र का नाम	तापीय सेट	हाइड्रोसेट
	(प्रति वर्ष 10 लाख किलोवाटों में)	
1. हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि०, भोपाल	6 लाख	5 लाख
2. हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट, हरिद्वार	15 लाख	12 लाख
3. हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट, हैदराबाद	8 लाख	–

जब अगले कुछ वर्षों में इन संयंत्रों में इष्टतम क्षमता स्थापित हो जायगी तो बिजली उत्पन्न करने वाले उपकरणों की सम्पूर्ण आवश्यकता इनके द्वारा पूरी हो जाया करेगी ।

(ग) तिरुचिरापल्ली स्थित भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के हाई प्रेसर बायलर प्लांट तथा मेसर्स ए० डब्ल्यू० बी० के दुर्गापुर स्थित संयंत्र भी बड़े तापीय विद्युत केन्द्रों के लिये अपेक्षित हेवी बायलर बना रहे हैं। इनकी क्षमता बढ़ाने का भी विचार है।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

1463. **श्री उटिया :**

श्री मधु लिमये :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग को कोई सहायता दी है और यदि हां, तो कितनी;

(ख) क्या भागलपुर खादी पण्यशाला (एम्पोरियम) के बारे में लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन तथा इस पण्यशाला से पुराने बांटों तथा मापों की जब्ती की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच करने का आदेश दिया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां। 31-3-1966 को समाप्त होने वाले दशक में 8.69 करोड़ रुपये (जिसमें 6.15 करोड़ रु० के ऋण और 2.54 करोड़ रु० के अनुदान हैं)। इसमें से 3.20 करोड़ रुपये के ऋण आयोग को चुका दिये गये हैं ।

(ख) जी, नहीं। फिर भी, सरकार के नोटिस में यह बात लाई गई है कि बिहार के समाचार-पत्रों में दो मामलों की खबर छपी थी, वे ये हैं, (1) भागलपुर खादी ग्रामोद्योग भवन के एक चपरासी द्वारा 15,000 रुपये के गबन का एक मामला, और (2) राज्य के बाट-पैमाना विभाग के कर्मचारियों द्वारा उपर्युक्त भवन पर छापा ।

(ग) जी, हां। चपरासी के खिलाफ मामला एस० डी० ओ० भागलपुर की अदालत में चल रहा है । दूसरे मामले में बाट-पैमाना विभाग के अधिकारियों ने भवन को कहा है कि वह पुराने बांटों एवं पैमानों को काउण्टर पर न रखे, भले ही उनके रखने का उद्देश्य, अनभिज्ञ ग्राहकों को, पुराने एवं नये कांटों एवं पैमानों के सापेक्ष मान के बारे में शिक्षा देना हो ।

नेफा के लिये जस्ता-चढ़ी नालीदार लोहे की चादरों का नियतन

1464. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा के लोगों के लिये जस्ता-चढ़ी नालीदार लोहे की चादरों का विशेष नियतन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी चादरों तथा कितने टन भार का नियतन किया जा रहा है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। 1966-67 में नेफा को 200 टन नालीदार जस्ती चादरों का तदर्थ नियतन किया गया। इसके अतिरिक्त 200 टन नालीदार काली चादरों का भी नियतन किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नेफा के लिये सीमेंट का नियतन

1465. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा के लोगों के लिये सीमेंट का विशेष नियतन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा अथवा कितने टन सीमेंट का नियतन किया गया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग). विनियतीकरण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सरकारी विभागों/संगठनों को समझौते के दर पर सीमेंट का सम्भरण करने के लिए किया जाता है जिसके लिए कुल सीमेंट के उत्पादन का 50 प्रतिशत सुरक्षित रखा जाता है। सीमेंट नियतन तथा समन्वयकारी संगठन ने नेफा के लिए जुलाई-सितम्बर, 1966 की अवधि के लिए जनता की उपलब्ध दर पर खरीद के लिए 1,000 मी० टन सीमेंट का विशेष नियतन कर दिया है।

कपड़ा मिल

1466. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 22 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1286 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कपड़ा मिलों के कार्य की जांच करने के लिये नियुक्त अन्तर्मंत्रालय समिति

के प्रतिवेदन इस बीच मिल गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उनके बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

छोटी कारों का निर्माण

1467 **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री बृजबासी लाल :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेपुर (उड़ीसा) की महारानी ने चार सीटों वाली कार बनाने के लिये, जो 6000 रुपये में बेची जायगी छोटी कार बनाने का एक कारखाना स्थापित करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार की मुख्य बातें क्या हैं तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग). जेपुर की महारानी के पास से एक पत्र आया है जिसमें उन्होंने 500 सी० सी० की चार सीटों वाली दो दरवाजों की कार बनाने के लिये एक कारखाना लगाने की इच्छा प्रकट की है, जो 6,000 रु० में बेची जा सकती है। उन्होंने कहा है कि इस कार के केवल 5 प्रतिशत पुर्जे आयात किये जायेंगे और इस योजना की पूंजी लागत एक करोड़ रुपये से कुछ अधिक आयेगी जिसमें से लगभग 12 प्रतिशत विदेशी मुद्रा में होगी। महारानी ने यह भी कहा है कि इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले वह सरकार से यह आश्वासन चाहेंगी कि सरकार का विचार छोटी कार का निर्माण वास्तव में भारतीय उद्यमियों के द्वारा कराने का है।

इस प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है कि छोटी कार की योजना को और आगे बढ़ाया जाना चाहिये या नहीं।

सिल्चर जाने वाली यात्री गाड़ी की घटना

1468 **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 जून, 1966 को सिल्चर जाने वाली यात्री गाड़ी आसाम के उत्तर कछार पहाड़ी सेक्शन के मेपोंग स्टेशन पर घिर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ; और

(ग) यात्रियों तथा गाड़ी को बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई थी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां, 18-6-66 को माईबंग स्टेशन पर।

(ख) माईबंग स्टेशन के आगे और पीछे दोनों ओर भू-स्खलन के कारण ऐसा हुआ था ।

(ग) यात्रियों को दूसरे डिब्बों में बिठाकर यथाशीघ्र लमडिंग ले जाया गया। यात्रियों को मुफ्त भोजन भी दिया गया ।

रेलवे गार्ड

1469. **श्री रामकृष्ण रेड्डी:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे गार्डों की ओर से उनके वेतन क्रमों, संग-चल (रनिंग) भत्तों तथा पदोन्नति के अवसरों में बढ़ोत्तरी के बारे में लोक-सभा के सदस्यों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन का क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : यह विनिश्चय किया गया था कि फिलहाल इस मामले में और अधिक उदारता बरतने का कोई औचित्य नहीं है ।

मिलिंग संयंत्र

1470. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डूंगरपुर (राजस्थान) की दक्षिणी पर्वत-माला में पाए गये 'फ्लोरस्मार' के मिश्रित का परिष्करण करने के लिये एक मिलिंग संयंत्र लगाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की अनुमानित खनन तथा मिलिंग क्षमता कितनी होगी ; और

(ग) इस संयंत्र के चालू हो जाने से यदि विदेशी मुद्रा की कोई बचत होगी तो कितनी ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) राजस्थान सरकार ने अयस्क के खनन तथा उसका विधायन करके सकेन्द्रक बनाने के लिए एक मिलिंग प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है ।

(ख) अस्यक के 300 मीटरी टन प्रतिदिन खनन करने का विचार है । तद्अनुसार मिलिंग प्लांट अयस्क के 300 मीटरी टन प्रतिदिन विधायन करने की क्षमता रखेगा ।

(ग) आशा है कि यह 90 लाख रुपये प्रतिवर्ष के स्तर का होगा ।

नरसिंह पुर जिले में औद्योगिक बस्ती

1471. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नरसिंह पुर जिले में कोई औद्योगिक बस्ती स्थापित करने अथवा उसके किसी भाग को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश की सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

पिपरिया में औद्योगिक बस्ती

1472. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचमढ़ी के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए सरकार का विचार पिपरिया में (जिला होंशगाबाद, मध्य प्रदेश) कोई औद्योगिक बस्ती स्थापित करने अथवा उसे औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये होशंगाबाद जिले के किसी भाग अथवा क्षेत्र को चुना जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो किस क्षेत्र को ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). जी, नहीं। पिपरिया में ऐसी कोई विशेषता नहीं है जिससे उसे औद्योगिक क्षेत्र चुना जा सके।

(ग) और (घ) : जी, हां। होशंगाबाद जिले में इटारसी को औद्योगिक बस्ती बसाने के लिये चुना गया है।

इटारसी रेलवे क्रासिंग (चौराहे) पर ऊपरी पुल

1473. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटारसी रेलवे लेवल क्रासिंग (चौराहे) पर एक ऊपरी पुल बनाने की योजना के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा बार-बार याद दिलाये जाने पर मध्य प्रदेश सरकार वास्तव में सजग हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की क्रियान्विति की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमान जून, 1966 के अन्त में मंजूर किया गया था और रेलवे द्वारा 4 जुलाई, 1966 को इसकी स्वीकृति दी गयी। निर्माण का वास्तविक काम वर्तमान समपार को अस्थाई रूप से हटाने के बाद ही शुरू किया जायेगा यह अस्थायी काम मुख्य रूप से राज्य द्वारा ही किया जाना है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

कोयला खान उद्योग पर अवमूल्यन का प्रभाव

1474. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान उद्योग पर अवमूल्यन का कोई प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप कोयले का मूल्य बढ़ जायेगा ; और

(ग) क्या भारत के कोयला निर्यात पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय। कोयला खनन उद्योग के लिए आवश्यक मशीनरी, उपकरण तथा अतिरिक्त भागों के भविष्य में होने वाले आयात पर अवमूल्यन का स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा।

(ख) कोयले की कीमतों की पुनरीक्षा की जा रही है जिसमें सभी आवश्यक अंगों पर विचार किया जायगा। तथापि अभी केवल अवमूल्यन के तुरन्त फलस्वरूप मूल्य बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

(ग) भारत का कोयले का निर्यात सीमित है। इस कारण इसका प्रभाव बहुत कम होगा।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

1475. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री यशपाल सिंह : **डा० महादेव प्रसाद :**

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के दो विभाग करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इन दो विभागों के कृत्य क्या-क्या होंगे ; और

(ग) इन दो विभागों के बीच किस तरह समन्वय बनाये रखा जायेगा ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क), (ख) और (ग). देश में तांबा निक्षेपों के शीघ्र विकास के उद्देश्य से एन० एम० डी० सी० का विभाजन करके एक अलग संगठन बनाने का प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन है।

दवाइयों का क्रय-विक्रय

1476. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
डा० रानेन सेन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जून, 1966 को राज्य व्यापार निगम के पास स्टाक में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयां थीं ;

(ख) 15 जून, 1966 से पहले के तीन महीनों में राज्य व्यापार निगम ने कितनी दवा-इयां बिक्री के लिए दीं तथा कितनी दवाइयां खरीदीं ; और

(ग) दवाइयों का स्टाक काफी मात्रा में बिक्री के लिए उस समय निकालने के लिए जब कि बाजार में भाव बढ़े हुए हों, क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) और (ख). सम्बद्ध जानकारी विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-1476/66]

(ग) भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित स्टाक राज्य व्यापार निगम द्वारा कुछ समय पूर्व आयातित औषधियों का शेष भाग है जिसमें से लगभग दो तिहाई पहले ही निकाला जा चुका है। शेष स्टाक को वास्तविक उपयोक्ताओं को देने के लिए, राज्य व्यापार निगम तकनीकी प्राधिकारियों की राय से जो व्यवस्था कर रहा है उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

रेलवे में मुस्लिम कर्मचारी

1477. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1913 से रेलवे विभाग में मुस्लिम कर्मचारियों को जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए एक घंटे की छुट्टी मिलती है ;

(ख) क्या इस रियायत को समाप्त करने के लिए उनके मंत्रालय ने कोई आदेश दिये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस निर्णय के विरुद्ध उन्हें कोई अभ्यावेदन मिला है, और यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सरकारी ड्यूटी का हर्ज करके कुछ धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करना देश के धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप नहीं है।

(घ) जी हां ; ऊपर (ग) में जो कारण बताये गये हैं, उनको देखते हुए रेल कर्मचारियों के एक विशेष समुदाय को दी गयीं रियायतों को वापस लेने का जो विनिश्चय किया गया है, उसका निराकरण करना व्यावहारिक नहीं है।

खुले वैगनों में केरल को चावल भेजा जाना

1478. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्षा ऋतु में भी केरल को खुले वैगनों में चावल भेजा

जाता है ;

(ख) क्या इस प्रकार भेजा गया चावल वर्षा के कारण खराब हो जाता है, यद्यपि वह तिरपाल से ढका होता है ; और

(ग) वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों को केवल बन्द वैगन भेजने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) केरल के स्टेशनों को चावल बंद और खुले दोनों तरह के वाक्स माल-डिब्बों में भेजा जाता है । जब चावल खुले माल डिब्बों में लादा जाता है, तो उसे तिरपाल से ढक कर बांध दिया जाता है और साथ में रक्षक भेजे जाते हैं ।

(ख) एक बार कोच्चिन हार्बर टर्मिनस में ताडेपल्लिगुडम से 4 माल डिब्बों में आया चावल गीला हो जाने के कारण खराब पाया गया क्योंकि रास्ते में तेज आंधी के कारण तिरपाल हट गये थे ।

(ग) अधिक से अधिक बंद माल डिब्बे सप्लाई करने का प्रयास किया जाता है ।

खनन उद्योगों के लिए प्रोत्साहन

1479 **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खानों का यंत्रीकरण करने, खानों पर लागू होने वाले कानून को सरल बनाने तथा खनन उद्योग को व्यवहार्य प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया जा रहा है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु०कु०डे) : मिनरल एडवाइजरी बोर्ड के 21 व 22 जून, 1966 को होने वाले अधिवेशन में यह निर्णय किया गया है कि खानों को यन्त्रीकरण तथा नवीकरण, खनन अधिनियमों के सरलीकरण एवं खनन उद्योग को प्रोत्साहन देने के विषय में विचार किया जाय ।

जहां तक कोयला खानों का सम्बन्ध है, कोयला विकास परिषद ने खानों की उत्पादनकता एवं नवीकरण के लिए एक कमेटी का निर्माण किया है जो उनके यन्त्रीकरण के कोयला खान अधि-नियमों के सरलीकरण एवं कोयला उद्योग को प्रोत्साहन देने के विषय में भी विचार करेगी ।

Express Train From Meerut To Allahabad

1480. **Shri Ram Sewak Yadav**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have received any representations in connection with the

running of an express train from Meerut City to Allahabad; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) The existing level of through traffic offering between Meerut City and Allahabad does not justify introduction of a full train between these points.

Inspection at the sites of Accidents

1481. **Shri Ram Sewak Yadav:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Officers and Ministers who went to inspect the sites of accidents that took place during the last two months; and

(b) the additional amount given in the form of allowance to such persons who went to inspect the sites of accidents ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) During May and June, 1966, 462 officers went to the sites of accidents for the purpose other than that of enquiry. The Minister for Railways went to the site of Matunga accident and Deputy Minister for Railways went to the sites of accidents which occurred between Khanapur and Desur stations and at Ladpura station. Besides the Railway Minister, the Defence Minister and two Ministers of Maharashtra State also visited the site of Matunga accident. Two Ministers of Rajasthan State also visited the site of accident at Ladpura.

(b) The total amount of allowances which has either been drawn or is admissible to these persons is Rs. 6,208.95. (Rupees six thousand two hundred and eight paise ninety five only).

दिल्ली मेन स्टेशन तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर लीव रिजर्व कर्मचारी

1482. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रेलवे** मंत्री 25 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2861 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे प्रशासन से दिल्ली में लीव रिजर्व कर्मचारियों के बारे में सूचना इस बीच प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) निधि-आवंटन की कठिन वित्तीय स्थिति का ध्यान रखते हुए, कमी को उस हद तक पूरा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जितना कि नितान्त आवश्यक है ।

दिल्ली और नई दिल्ली के स्टेशनों पर माल रखने का स्थान

1483. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रेलवे** मंत्री 25 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2814 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे प्रशासन ने दिल्ली तथा नई दिल्ली दोनों, स्टेशनों पर माल रखने के अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रबन्ध किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). ये काम दिल्ली क्षेत्र में विभिन्न स्टेशनों पर सुविधाएं देने की एक दीर्घ-कालीन योजना में शामिल हैं । योजना अभी विचाराधीन है । फिर भी, दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर माल रखने के अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करने के लिए निर्माण कार्य को यथासम्भव शीघ्र होने वाले निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के उपाय किये जा रहे हैं ।

दिल्ली स्टेशन से भेजे गये फल और सब्जियां

1484. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **रेलवे** मंत्री 26 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1347 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात के कारणों का पता लगाने के लिए जांच करने का कोई आदेश दिया गया है कि ताजे फलों तथा सब्जियों के पार्सल अपने गन्तव्य स्थानों पर पहुंचने पर कम क्यों हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क), (ख) और (ग). अब तक केवल तीन मामलों में जांच पूरी हुई है और बाकी मामलों में अभी जांच हो रही है । जैसे ही जांच पूरी होगी, उनके परिणामों का ब्यौरा देते हुए एक बयान सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

Anand Nagar Railway Station

1485. **Dr. Mahadeva Prasad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the name of the present railway station Anand Nagar on the North-Eastern Railway was previously Farenda; and

(b) if so, the reasons of changing the name of the said railway station?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) Yes.

(b) With the change of the name of the village Pharenda and the serving Post-Office, to Anand Nagar, the name of the station was also changed from 1.8.1949 on the recommendation of the Ministry of Communications.

Naming of Railway Stations

1486. **Dr. Mahadeva Prasad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the basis of giving names to the railway stations;

(b) whether the names given at one time are also changed afterwards; and

(c) if so, the reasons therefor?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) to (c). A statement is attached. **[Placed in the Library. See No. L. T. -6686/66**

Direct Train Between Lucknow And Gorakhpur

1487. **Dr. Mahadeva Prasad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a direct train on the loop line between Lucknow and Gorakhpur on the North-Eastern Railway is being run for the last few months;

(b) whether it is also a fact that the train reaches late by about two hours and no platform is allotted to berth this train at Gorakhpur and it has to be received between the two trains;

(c) whether it is in contravention of the railway rules; and

(d) if so, the action proposed to be taken in the matter?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, since 1-10-65.

(b) & (c). The train is normally received on a platform line at Gorakhpur even when running late. Reception of the train on a non-platform line under unavoidable circumstances is extremely rare when adequate precautions are taken in accordance with the Railway rules.

(d) Steps are being taken to avoid late runuing of this train.

Godown at Peppeganj Station

1488. **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the traders have to face great hardship at Peppeganj Station (North Eastern Railway) for want of godown facilities ; and

(b) if so, the reasons for not constructing a godown there ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) & (b). In view of the meagre goods traffic handled at Peppeganj station neither was the necessity for provision of a godown felt by the Railway administration nor was there any representation for the provision of the same. On receipt of a recent representation from the Secretary, Vyapar Mandal Peppeganj, the matter is now again being examined by the Railway administration.

Anand Nagar Railway Station

1489. **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on account of goods, passenger and other trains being berthed at Anand Nagar railway station, (North-Eastern Railway) it becomes difficult to go from the eastern side of the station to the western side and there have been occasions when it has resulted in loss of life ;

(b) whether Government propose to construct an over-bridge on the station to avoid such loss of life ; and

(c) if so, when the construction work is likely to start ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh). (a) No difficulty is experienced by the public to cross over from eastern side to western side of the station as a level crossing exists at the north end of the yard. One person was reported to have been run over during the last one year but this was not while he was attempting to cross the lines.

(b) and (c). There is no proposal at present to construct an over-bridge across the yard. However, there is proposal to remodel the yard and to provide additional facilities including an island platform and a foot over-bridge to connect it with the main platform. This work is proposed to be taken up in 67-68 subject to availability of funds.

यात्रियों का भारी संख्या में पुरी जाना

1490. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष जून के तीसरे सप्ताह में रथ यात्रा और बहुधा त्यौहारों के समय भारी संख्या में यात्री पुरी (जगन्नाथ) गये; और

(ख) रेलगाड़ियों में भारी भीड़भाड़ को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) ज़ी, हां।

(ख) इस वर्ष त्यौहार के अवसर पर पुरी को जाने-आने वाले तीर्थ यात्रियों की रेल-यात्रा सुविधाजनक बनाने के लिए गाड़ियों में डिब्बों की संख्या और अनुसूचित गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाने के अलावा 12 स्पेशल सवारी गाड़ियां चलाकर पर्याप्त व्यवस्था की गई थी।

हावड़ा-आमता लाइट रेलवे

1491. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा-आमता लाइट रेलवे पर चलने वाली रेलगाड़ियों के डिब्बों की छतों पर लगभग नित्य ही काफी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस त्रुटि के निवारण के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। डिब्बों में जगह रहने और अतिरिक्त गाड़ियां चलाने पर भी कुछ यात्री कुछ गाड़ियों की छत पर यात्रा करते हैं। कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए रेलवे राज्य सरकार से बातचीत कर रही है।

ट्रैक्टरों का निर्माण

1492. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966 में ट्रैक्टरों के निर्माण में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितने ट्रैक्टर बनाये जायेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). 1966 में कृषि ट्रैक्टरों का उत्पादन बढ़कर लगभग 10,000 हो जाने की सम्भावना है जब कि 1965 में इनका उत्पादन 6,318 हुआ था ।

कुंजरू समिति की सिफारिशें

1493. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने रेलवे प्रशासन में सुधार लाने के सम्बन्ध में कुंजरू समिति की पचास प्रतिशत सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की हैं; और

(ख) क्या इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने का सरकार का विचार है; और यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां । इन सिफारिशों को शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित कराने के लिए आवश्यक संगठन मौजूद है । इनमें बहुत-सी सिफारिशें ऐसी हैं जिन्हें उपाय और साधनों की स्थिति के आधार पर केवल धीरे-धीरे लागू किया जा सकता है और इसलिए उन्हें क्रियान्वित करने के लिए समय नियत करना सम्भव नहीं है ।

रेलवे में सहायक मुख्य खजान्ची का पद

1494. **श्री सेझियान** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे को छोड़कर अन्य सभी रेलों में सहायक मुख्य खजान्ची का पद राजपत्रित घोषित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो केवल दक्षिण रेलवे में ऐसा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। मध्य, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और पश्चिम रेलों में से प्रत्येक पर तीसरे दर्जे के सहायक मुख्य खजान्ची एवं वेतनदाता के पदों के ग्रेड को बढ़ाकर इसी पदनाम से दूसरे दर्जे के स्थायी राजपत्रित पद मन्जूर किये गये थे।

(ख) सवाल नहीं उठता।

तिरुचिरापल्ली में अधिक वैगनों की मांग

1495. **श्री सेझियान :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिरुचिरापल्ली के व्यापारी समुदाय ने इस आशय का अभ्यावेदन दिया है कि वहां के लिये नित्य और अधिक वैगनों के दिये जाने की व्यवस्था की जाय;

(ख) इस वर्ष मई के अन्त तक कितने माल डिब्बों की मांग की गई थी और कितने वैगन दिये गये; और

(ग) व्यापारी समुदाय के अभ्यावेदन पर रेलवे अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जनवरी से मई, 1966 तक की अवधि में तिरुचिरापल्लि स्टेशन पर कुल जितने माल डिब्बों की मांग की गयी और कुल जितने माल डिब्बे लादे गये, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

महीना	बड़ी लाइन		मीटर लाइन	
1966	कुल मांग	कुल लदान	कुल मांग	कुल लदान
जनवरी	94	94	103	103
फरवरी	139	121	98	97
मार्च	249	230	235	223
अप्रैल	203	194	236	236
मई	340	233	227	209

इससे पता चलता है कि इस अवधि में तिरुचिरापल्लि से यातायात की निकासी की रफ्तार सामान्यत: संतोषजनक रही है। सिवाय मई, 1966 में बड़ी लाइन पर की निकासी के, जब रायचूर के रास्ते पड़ने वाले स्टेशनों को गुड़ भेजने के लिए माल डिब्बों की एक साथ और बहुत अधिक संख्या में मांग आयी। जब इन मांगों पर माल डिब्बे सप्लाई किये गये, तो बहुत सारी मांगें रद्द करा ली गयीं जिनमें रजिस्ट्रेशन फीस भी जब्त हुई। इससे पता चलता है कि ये मांगे बढ़ा-चढ़ा कर की गयी थीं। रेलवे इस स्टेशन से यातायात की यथाशीघ्र निकासी के लिए पूरी कोशिश करती है।

होसपेट में इस्पात का उत्पादन

1496. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होसपेट में इस्पात की प्रति टन उत्पादन लागत इस्पात की आन्तरिक मांग के लिए न्यूनतम तथा सर्वोत्तम है ; और

(ख) यदि हां, तो इस्पात की आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिये देश में उसका उत्पान बढ़ाने के हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि०ना० सिंह) : (क) और (ख). सार्वजनिक क्षेत्र में नये इस्पात कारखानों को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा मंगायी गई स्थल-संबंधी रिपोर्टों से पता चलता है कि बंगाल-बिहार-उड़ीसा के कोयला-लोहा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों की तुलना में इस्पात के उत्पादन और वितरण का खर्च होस्पेट में कम पड़ेगा लेकिन कुछ दूसरे स्थलों के अन्य लाभ हैं। जैसे कच्चे माल के आयात और तैयार माल के निर्यात आदि की सुविधाएँ।

2. नये इस्पात कारखानों के स्थापन-स्थलों को निश्चित करने के विचार से सरकार आजकल विभिन्न स्थलों की तुलनात्मक उपयोगिता पर विचार कर रही है। चतुर्थ योजना काल में लोहा और इस्पात की विकास योजनाओं पर होने वाली लागत पर भी विचार किया जा रहा है।

3. चतुर्थ योजना काल में देश की इस्पात सम्बन्धी आवश्यकता के अधिकांश की पूर्ति वर्तमान इस्पात कारखानों की क्षमता में वृद्धि करके और बोकारों में एक नया सर्वतोमुखी इस्पात कारखाना स्थापित करके की जायगी।

सौराष्ट्र में वैगनों की कमी

1497. **श्री राम हरख यादव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पश्चिम खण्ड में विशेषत: सौराष्ट्र में रेलवे माल-डिब्बों की काफी समय से कमी चली आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस खण्ड में स्थित उद्योगों को इस कमी के कारण काफी कठिनाई हो रही है और उनका माल बिलकुल रुका पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो उनकी सप्लाई में कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इस कठिनाई को कब तक दूर कर सकेगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ). देश के पश्चिमी क्षेत्र में माल-डिब्बों की चिरकालिक कमी नहीं है। केवल सौराष्ट्र की बन्दरगाहों से आयातित अनाज और उर्वरक की ढुलाई की मांग इस वर्ष बढ़ गई जिसके लिए प्रतिदिन लगभग 500 माल-डिब्बे मुहैया करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मानसून के मौसम में नमक, सीमेंट, रसायन आदि वस्तुएं, जो कुछ क्षेत्रों को सामान्यतः समुद्री-मार्ग से भेजी जाती हैं, रेल द्वारा भेजने के लिए प्रस्तुत की जा रही हैं जबकि इनकी ढुलाई के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष पश्चिमी क्षेत्र में सूखे की गम्भीर स्थिति के कारण भी गाड़ियों के परिचालन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। फिर भी उद्योगों की मांग को बहुत कुछ सन्तोषजनक ढंग से पूरा किया जा रहा है। वास्तव में जनवरी से जून, 1966 तक की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सौराष्ट्र में मीटर लाइन पर नमक तथा रसायन के लदान में वृद्धि हुई है।

कुमांऊ डिवीजन में धातुओं की खोज

1498. **श्री हरि विष्णु कामत** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के कुमांऊ खण्ड के अल्मोड़ा जिले में तथा अन्यत्र मेगनेसाइट तांबा तथा अन्य धातुओं के खनिज-भण्डारों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में गहन सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) उसके आज तक क्या परिणाम निकले हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क), (ख) और (ग). स्थिति का एक विवरण सदन के सामने रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-** 6687/66]

शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड

1499. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री दशरथ देव :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड को 1949 में उसके बन्द होने से अब तक कितनी राशि का ऋण दिया है;

(ख) अब तक कितनी राशि वसूल हुई है; और

(ग) ऋण की अदायगी के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) :(क) भारत सरकार ने 1952-54 में तत्कालीन बम्बई सरकार को शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड को देने के लिये कुल 46.5 लाख रु० का ऋण दिया था।

(ख) अब तक कोई राशि वसूल नहीं की गई है।

(ग) समस्त ऋण केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पक्ष में संयुक्त दूसरे प्रभार के द्वारा सुरक्षित किया गया है। मिल दिवालिया हो गई है और राज्य सरकार धनराशि वसूल करने के लिये उचित समय पर कदम उठायेगी।

दक्षिण वियतनाम को निर्यात

1500. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री दशरथ देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962, 1963, 1964, 1965 और 1966 में अब तक भारत से दक्षिण वियतनाम को कितने मूल्य के माल का निर्यात किया गया; और

(ख) उस देश को निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं कौन-कौन-सी हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 1961-62 से 1965-66 तक के दौरान में भारत से दक्षिण वियतनाम को किये गये निर्यात इस प्रकार हैं :—

वर्ष	**निर्यात '000' रुपयों में**
1961-62	44,28
1962-63	77,19
1963-64	2,49,86
1964-65	3,57,29
1965-66	2,87,35

(ख) दक्षिण वियतनाम को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं इस प्रकार हैं :—

1. लोहा तथा इस्पात।
2. बिजली के अतिरिक्त अन्य मशीनें।
3. चीनी।
4. रसायन, शुद्ध तथा यौगिक।
5. बिजली की मशीनें, सामान तथा साधन।
6. परिवहन उपकरण।
7. लाख।
8. चलचित्र फिल्में।

काफी बोर्ड

1501. **श्री अ० क० गोपालन : श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी : श्री दशरथ देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बंगलौर में काफी के कच्चे बीजों की बिक्री में होने वाले भ्रष्टाचार तथा चोरबाजारी की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या काफी बोर्ड में व्याप्त इन कदाचारों की जांच करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग). सरकार को ऐसे कुछ आरोपों का पता है । इस मामले की जांच की जा रही है ।

बिहार में टसर उद्योग

1502. **श्री बासप्पा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार तथा देश के अन्य भागों में टसर उद्योग का विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-6688/66]**

आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में उत्पादन

1503. **श्री बासप्पा : श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री लिंग रेड्डी : श्री कृ० चं० पन्त :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में उत्पादन करने के हेतु अधिक प्रोत्साहन देने के बारे में कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या इस क्षेत्र में पुरोगामी (पायनियरिंग) करने वाले लोगों को पुरस्कृत करने के लिये कोई संस्था स्थापित करने के बारे में विचार किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). जी, हां। आयातित माल के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं के लिये व्यवहारिक विचार देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार देने की एक योजना पर सरकार विचार कर रही है। योजना के प्रबन्ध के लिए एक बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार के व्यक्ति होंगे। अभी और आगे का व्यौरा तैयार किया जा रहा है।

रेशम की वस्तुओं का निर्यात

1504. **श्री बासप्पा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारत से रेशम तथा रद्दी रेशम की वस्तुओं का अधिक निर्यात करने के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) इसमें मैसूर ने कितना योगदान दिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) रुपये के अवमूल्यन से पूर्व रेशमी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात सहायता की एक व्यापक योजना चालू थी। इस योजना में आवश्यक कच्चे माल जैसे कच्चा रेशम, रेशमी सूत, रंजकों, रासायनिक पदार्थों, सजावट की सामग्री, मशीनों आदि के आयात की व्यवस्था थी। इस योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप निर्यात 1958 के 34.67 लाख रु० से बढ़कर 1965 में 244.97 लाख रु० हो गया।

6 जून, 1966 से निर्यात संवर्धन योजना को बन्द करने के फलस्वरूप निर्यात योग्य रेशमी उत्पादों के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के आयात की अनुमति देने के प्रश्न पर सक्रिय विचार किया जा रहा है।

(ख) देश में होने वाले शहतूती कच्चे रेशम के कुल उत्पादन में मैसूर का भाग लगभग 75 प्रतिशत है। मैसूर राज्य, विशेषतः बंगलौर और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों, के विशिष्ट रेशम-बुनाई केन्द्र भारत के निर्यातकों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। करघा-अवस्था अथवा अर्ध-समापित अवस्था में प्राप्त होने वाले इन रेशमी उत्पादों का और अधिक परिष्करण करके उन्हें निर्यात किया जाता है।

दक्षिणी भारत का रद्दी रेशम भी विदेशी मुद्रा का एक अच्छा उपार्जक है और रद्दी रेशम से होने वाले कुल निर्यात उपार्जन में इसका भाग लगभग 75 से 80 प्रतिशत तक है।

भद्रावती आयरन वर्क्स

1505. **श्री बासप्पा** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भद्रावती आयरन वर्क्स में अच्छे किस्म के इस्पात का निर्माण आरम्भ करने

का कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य इस समय किस अवस्था में है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मिश्र और विशेष इस्पात के उत्पादनार्थ मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लिमिटेड को मिश्र और विशेष इस्पात के कारखाने में बदलने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता है उनके लिए आर्डर दे दिये गये हैं । बाहर से मंगवाये गये उपकरण आने शुरू हो गये हैं । सिविल इंजीनियरी का काम प्रगति कर रहा है ।

रेलवे सिविल तथा मेकेनिकल इंजीनियरों की सेवाओं की मांग

1506. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में अनुभवी सिविल तथा मेकेनिकल इंजीनियरों की सेवाओं को उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय को सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं, अन्य सरकारी विभागों तथा विदेशी सरकारों से कितने प्रार्थनापत्र मिले ;

(ख) कितने प्रार्थनापत्र मंजूर किये गये ; और

(ग) कितने प्रार्थनापत्र अस्वीकृत किये गये और उनके क्या-क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). ऐसे 86 प्रार्थना-पत्र मिले थे, जिनमें से 61 को मंजूर कर लिया गया और 8 अभी विचाराधीन हैं । बाकी 17 प्रार्थना-पत्रों को नीचे दिये गये कारणों में से किसी एक के आधार पर मंजूर नहीं किया जा सका :—

(i) सम्बन्धित विभाग में अधिकारियों की कमी ।

(ii) जिन अधिकारियों के लिए मांग आयी उनको छोड़ने में असमर्थता ।

(iii) अपेक्षित अर्हताओं वाले उपयुक्त अधिकारियों का अभाव ।

रेलवे की इंजीनियरी पदालि में भर्ती

1507. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् रेलवे की इंजीनियरी पदालि में

अनुपात से कहीं अधिक भर्ती हुई है जिसके परिणामस्वरूप उस पदालि में, विशेषकर सिविल तथा मेकेनिकल इंजीनियरों में बहुत अधिक गतिरोध उत्पन्न हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लेखा तथा गैर-इंजीनियरी सेवाओं में उनके समान पदधारियों की तुलना में सिविल तथा मेकेनिकल इंजीनियरों की पदोन्नति पिछले 10–12 वर्षों से कोई नहीं हुई है और वे उसी ग्रेड में काम कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस गतिरोध को दूर करने तथा सिविल और मेकेनिकल इंजीनियरों की सेवा को आकर्षक बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) सिविल इंजीनियरिंग और यांत्रिक इंजीनियरिंग विभागों में स्वतंत्रता से पहले की तुलना में स्वतंत्रता के बाद हुई वार्षिक नियुक्तियों का व्यौरा इस प्रकार है :

	1947 **से पहले**	1947 **के बाद**
सिविल इंजीनियरिंग	9	16
यांत्रिक इंजीनियरिंग	7	22

(ख) और (ग). आमतौर पर सिविल और यांत्रिक इंजीनियरिंग विभागों के अधिकतर अफसर अवर वेतनमान से प्रवर वेतनमान में पांच से छः साल के भीतर और प्रवर वेतनमान से अवर प्रशासनिक ग्रेड में लगभग कुल 16 साल की नौकरी में पदोन्नति प्राप्त कर लेते हैं। यह स्थिति 1947 से पहले की स्थिति से वस्तुतः भिन्न नहीं है।

राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारी

1508. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण कारखानों में (तकनीकी तथा गैर-तकनीकी) राजपत्रित अधिकारियों की पृथक्-पृथक् संख्या क्या है तथा इनमें से प्रत्येक कारखाने में अराजपत्रित कर्मचारियों/राजपत्रित अधिकारियों की संख्या क्या है ;

(ख) रेलवे की प्रत्येक मेकेनिकल विभाग वर्कशाप में जिसमें 1000 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं तथा आयुध कारखानों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधीक्षण स्तर की व्यवस्था से उसकी क्या तुलना है ; और

(ग) रेलवे अनुरक्षण वर्कशापों में जहां कार्यभार अधिक जटिल किस्म का होता है और जिसके लिए उच्च स्तर के अधीक्षण की आवश्यकता है उत्पादन बढ़ाने तथा उसकी किस्म में सुधार करने की दृष्टि से रेलवे कारखानों तथा अनुरक्षण वर्कशापों के बीच सीधे अधीक्षण के स्तर में भारी विषमताओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). संलग्न बयान में सूचना दे दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6689/66] रेलों पर यांत्रिक विभाग के कारखानों में अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण के स्तर की तुलना प्रायोजना संगठन के कारखानों के स्तर से निम्न कारणों से नहीं की जा सकती:–

(1) यांत्रिक कारखानों के विपरीत प्रायोजना संगठन में निम्न विभागों में काम करने वाले अधिकारी भी शामिल रहते हैं :—

(क) सामान्य प्रशासन

(ख) वित्त

(ग) सिविल इंजीनियरिंग

(घ) चिकित्सा

(ङ) भंडार अधिप्राप्ति

(च) अभिकल्प और विकास

उत्तर रेलवे में कर्मचारियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था पर व्यय

1509. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उत्तर रेलवे ने कर्मचारी सुविधाओं पर कुल कितना व्यय किया, और

(ख) इसमें से कितना व्यय दिल्ली में तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए नये क्वार्टरों के निर्माण पर किया गया ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) 2,99,52,000 रुपये ।

(ख) क्वार्टर बनाने के काम का खर्च 'कर्मचारियों के लिए सुविधाएं' मद के अन्तर्गत नहीं आता। इसलिए इस रकम का कोई भाग कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने पर खर्च करने का सवाल नहीं उठता। फिर भी उत्तर रेलवे में पिछले तीन वर्षों में कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने के काम पर 67,13,000 रुपये खर्च किये गये।

उत्तर रेलवे में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

1510. **श्री राज देव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों को

अभी तक क्वार्टर नहीं दिये गये हैं जिन्होंने 1952 और 1957 में क्वार्टरों के लिए आवेदनपत्र दिये थे ;

(ख) तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष कितने क्वार्टर बनाये जाते हैं और उन्हें कब तक क्वार्टर मिलेंगे ; और

(ग) ऐसे क्वार्टरों का शीघ्र निर्माण और आबंटन करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):

(क) जी हां। फिरोजपुर डिवीजन और दिल्ली क्षेत्र में कुछ सारभूत कोटियों के लिए।

(ख) कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण की औसत दर प्रतिवर्ष 1340 है। यदि कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए धन नियत करने की वर्तमान रफ्तार बनी रही तो, आशा है उन्हें निकट भविष्य में क्वार्टर मिल जायेंगे।

(ग) धन की वर्तमान कमी तथा कड़ी मितव्ययिता बरतने की आवश्यकता को देखते हुए क्वार्टरों के निर्माण की गति तेज करना अभी सम्भव नहीं है।

रुपये में भुगतान करने वाले देशों को निर्यात

1511. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** **श्री मे० क० कुमारन :**
श्री बृजबासी लाल : **श्री द्वारका दास मंत्री :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये में भुगतान करने वाले देशों को भारतीय माल के निर्यातकों से सरकार को इन देशों के साथ निर्यात संबंधी उनके करारों के पुनर्मूल्यांकन करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में इन देशों के साथ कोई बातचीत हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। अवमूल्यन के बाद की समस्याओं के बारे में समय-समय पर व्यापार-गृहों से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) तथा (ग). यूगोस्लाविया, पोलैंड, हंगरी तथा चैकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधि मंडलों के साथ बातचीत समाप्त हो चुकी है और इन देशों के साथ हस्ताक्षर हुए संलेखों की प्रतियां पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। ये देश 6-6-1966 को बकाया तमाम निर्यात/आयात संविदाओं

के मूल्यों को 57.5 प्रतिशत दोनों तरफ से बढ़ाने के लिए सहमत हो गये हैं। सोवियत रूस की सरकार हमारे निर्यात संविदाओं के मामले में 47.5 प्रतिशत और आयात संविदाओं के मामले में 57.5 प्रतिशत की वृद्धि के लिए सहमत हो गई है। इन निर्णयों से अवमूल्यन के बाद की समस्याओं के सुलझाने में सहायता मिली है।

अभी रूमानिया, जर्मन प्रजातंत्रीय गणराज्य तथा बल्गारिया के प्रतिनिधियों के साथ वार्ताएं की जा रही हैं और इन मामलों में भी संतोषजनक परिणाम निकलने की आशा है।

प्रतिबन्ध रहित मुद्रा क्षेत्रों को निर्यात

1512. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्बाध मुद्रा क्षेत्रों (फ्री करेंसी एरियाज) में पश्चिमी देशों के बहुत से खरीदार अवमूल्यन से पहले किये गये करारों के अन्तर्गत भारतीय निर्यात पर भी भारतीय निर्यातकों से अवमूल्यन के पश्चात् मूल्यों में 25 प्रतिशत तक नई रियायत मांग रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). निर्यातकों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर भारत सरकार ने एक प्रेस नोट 18 जुलाई 1966 को जारी किया जिसमें सभी निर्यातकों को कहा गया है कि वे उन देशों को छोड़कर जिनके साथ रुपया व्यापार करार है और जहां लदान होने शेष हैं तथा भुगतान अभी प्राप्त करने हैं, सभी देशों को माल एवं सेवाओं की पूर्ति के लिये, अवमूल्यन के पूर्व किये गये सभी संविदाओं के बीजक मूल्य बढ़ा दें और वे रुपयों में व्यक्त करें जो रुपये के वर्तमान मूल्य से पूर्ण समता रखते हों।

जहां अवमूल्यन के पूर्व विद्यमान संविदाओं के मूल्य को विदेशी मुद्रा में व्यक्त किया जाता हो वहां ध्येय यह रहना चाहिये कि इस राशि से विदेशी मुद्रा के उपार्जन में कोई कमी न हो।

निर्यात

1513. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय माल के बहुत से विदेशी खरीदार रुपए के अवमूल्यन के बाद उनके द्वारा अवमूल्यन से पहले किये गये करारों के अन्तर्गत खरीदे गये भारतीय माल पर भी भारतीय निर्यातकों से मूल्य में रियायत मांग रहे हैं जो प्रायः 25 प्रतिशत से अधिक होती है;

(ख) क्या सरकार को भारतीय निर्यातकों से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). निर्यातकों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर, भारत सरकार ने 18 जुलाई, 1966 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें निर्यातकों को सलाह दी गई है कि वे अवमूल्यन से पहले किये गये उन सभी संविदाओं का, जो ऐसे देशों को माल तथा सेवाएं आदि प्रदान करने के लिये किये गये हैं जिनके साथ रुपया में व्यापार करने के करार नहीं हैं और जहां अभी माल भेजना तथा उसके मूल्य का भुगतान लेना शेष है, बीजक मूल्य जो रुपयों में व्यक्त किया गया हो इतना बढ़ा दें कि वह रुपये के वर्तमान मूल्य के बराबर हो जाय ।

मशीनी औजारों का निर्यात

1514. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् भारत में बने मशीनी औजारों के निर्यात की सम्भावना बढ़ गई है अथवा कम हो गई है ; और

(ख) 1966 में अनुमानत: कितने मूल्य के मशीनी औजारों का निर्यात किये जाने की आशा है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). मशीनी औजारों के निर्यात की सम्भावनाएं अधिक उत्पादन तथा बिक्री के बाद की सेवाओं पर निर्भर करेंगी। हम मझोले औजारों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। चालू वर्ष में होने वाले निर्यात की मात्रा का अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है ।

मध्य रेलवे में रेलवे क्रासिंगों पर ऊपरी पुल

1515. **श्री म० ला० जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में नासिक रोड और बम्बई आगरा रोड पर स्थित कल्याण के बीच रेलवे क्रासिंग पर ऊपरी पुल बनाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि ऊपरी पुलों के न होने के कारण सड़क यातायात में विलम्ब होता है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां। महाराष्ट्र सरकार की प्रार्थना पर बम्बई-आगरा रोड पर उम्बरमली, आसन गांव और पादली के वर्तमान समपारों की जगह ऊपरी पुल बनाने के प्रस्ताव को मध्य रेलवे के 1966–67 के निर्माण कार्यक्रम में

शामिल कर लिया गया है। राज्य सरकार के परामर्श से योजना के ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) जी हां।

लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन में पद

1516. **श्री अ० क० गोपालन : श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री कोल्ला वेंकैया : श्री दशरथ देव :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन में उच्च पदों का अनुपात कम रखा गया है ;

(ख) क्या निम्न श्रेणी के कर्मचारियों से उच्च पदों का काम करवाया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं। किसी भी कार्यालय में काम और उसके स्वरूप को देखते हुए भिन्न भिन्न ग्रेडों के पद बनाये जाते हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन में पदोन्नति

1517. **श्री अ० क० गोपालन : श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री दशरथ देव : श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा और इस्पात नियंत्रक के संगठन में पदोन्नति केवल वरिष्ठता के आधार पर ही की जाती है ;

(ख) पदोन्नति करने के मामले में वरिष्ठता का उल्लंघन किये जाने के बारे में क्या सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) नियमों के अनुसार कुछ पदों पर पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है बशर्ते कि वे अयोग्य न हों और कुछ पदों के लिए कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर चुना जाता है। अत: वरिष्ठता का उपयोग उपर्युक्त सीमा तक ही किया जाता है।

(ख) और (ग). सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ये अभ्यावेदन अधिकत: सेलेक्शन पोस्ट पर पदोन्नति के बारे में थे। इन पर ऊपर (क) में लिखित स्थिति को ध्यान में रख कर विचार किया गया था।

लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन के कर्मचारी

1518. **श्री दशरथ देव :** **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन के कितने कर्मचारी अर्द्ध-स्थायी बनने के पात्र हैं।

(ख) कितने कर्मचारियों को अर्द्ध-स्थायी घोषित किया गया है; और

(ग) सभी पात्र कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) 81 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें स्थायी पद देने पर विचार किया जा सकता है।

(ख) 137

(ग) केवल उतने ही अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जा सकता है जितने कि इस संगठन में स्थायी पद हों। स्थायी पद तभी मंजूर किये जाते हैं जबकि स्थायी किस्म के काम के लिए उनकी आवश्यकता होती है। अत: स्थायी कर्मचारियों के स्थायीकरण पर तभी विचार किया जा सकता है जब और जैसे काम को देखते हुए अधिक स्थायी पद मंजूर किये जायें।

लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय की कार्य-पद्धति

1519. **श्री कोल्ला वेंकैया :** **श्री दशरथ देव:**
श्री अ० क० गोपालन: **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अध्ययन दल ने लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये काम की संशोधित पद्धति अपनाई जाने की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकर ने सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ग) इन सिफारिशों के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी बेकार हों जायेंगे; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन्हें किसी अन्य परियोजना में रोजगार देने का है?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क)और(ख). अध्ययन दल ने प्रतिवेदन का प्रथम भाग प्रस्तुत किया है जो देशीय इस्पात के वितरण के बारे में है। सरकार

इस पर विचार कर रही है। प्रतिवेदन का द्वितीय और अन्तिम भाग अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में फालतू कर्मचारी

1520. **श्री दशरथ देव : श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री अ० क० गोपालन : डा० रानेन सेन :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप कलकत्ता स्थित लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी फालतू हो गये हैं;

(ख) अन्य सरकारी कार्यालयों में श्रेणीवार कितने कर्मचारियों को रोजगार दिया गया है; और

(ग) क्या दूसरे कार्यालयों में नौकरी मिलने के बाद उन फालतू कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा देनी पड़ी है ?

लोहा और इस्पात मन्त्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) राज समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप 1-7-65 को निम्नांकित श्रेणियों में कुल मिलाकर 210 कर्मचारियों के फालतू होने का अनुमान था :—

सुप्रिन्टेन्डेन्ट	3
असिस्टेन्ट इंचार्ज	8
असिस्टेन्ट	17
अपर डिविजन क्लर्क	69
लोअर डिविजन क्लर्क	88
दफ्तरी	3
चपरासी	19
जमादार	3
कुल	210

(ख) अब तक निम्नलिखित श्रेणियों के 111 कर्मचारी निकाले गये हैं :—

असिस्टेन्ट इंचार्ज	1
असिस्टेन्ट	1
अपर डिविजन क्लर्क	22
लोअर डिविजन क्लर्क	78
चपरासी	9
कुल	111

लोहा और इस्पात नियंत्रक ने रिपोर्ट दी है कि ऐसे कर्मचारियों को छोड़कर जिनकी मृत्यु हो गई या जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया अधिकांश को दूसरे कार्यालयों में नौकरी दिला दी गई है।

(ग) कुछ सरकारी विभागों ने इन कर्मचारियों को नौकरी में रखने के लिए एक यह शर्त रखी थी कि कुछ कर्मचारियों को निर्दिष्ट अवधि के अन्दर विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। ऐसी परीक्षा से छूट दिलाने के प्रश्न पर आजकल लोहा और इस्पात नियंत्रक दूसरे सम्बन्धित विभागों के साथ परामर्श करके विचार कर रहा है।

टेलीविजन सेटों का निर्माण

1521. **श्री रा० बरुआ :**
श्री द्वारका दास मन्त्री :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् ने टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए कुछ फर्मों को लाइसेंस दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये लाइसेंस किन-किन फर्मों को दिये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से एक फर्म ने कभी भी रेडियो तथा इलेक्ट्रानिक सम्बन्धी निर्माण कार्य नहीं किया है; और

(घ) ये लाइसेंस कानपुर की एक फर्म को किस आधार पर दिये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (घ). जी, नहीं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् निर्माण के लिए लाइसेंस नहीं मंजूर करती क्योंकि लाइसेंस जारी करने का काम इसी मंत्रालय द्वारा किया जाता है फिर भी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् राष्ट्रीय अनुसंधान विकास परिषद् के द्वारा विकसित तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस देती है। टेलीविजन रिसीवर बनाने के लिए जिस ज्ञान का विकास किया गया है वह तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी पार्टियों से प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के पश्चात् उसे दो फर्मों को दिया गया। ये दो फर्में हैं :

(1) मेसर्स जे० क० रेयन्स, कानपुर एक नया कारखाना तथा

(2) मेसर्स टेलर्ड प्रा० लि० बम्बई, एक विद्यमान रेडियो निर्माता।

इन दोनों फर्मों के तकनीकी तथा वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए करार किये गये थे। लाइसेंस देने वाली समिति की सिफारिशों के अनुसार इन दोनों फर्मों को अब आशय पत्र भी जारी कर दिये गये हैं। इस समिति का विचार था कि व्यापारिक स्तर पर टेलीविजन सेट बनाने के लिए देशी जानकारी पर्याप्त है, तथा इसके लिए विदेशी तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक का कांगड़ा घाटी सेक्शन का दौरा

1522. **श्री हेम राज :**

श्री दलजीत सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक ने अपने वार्षिक निरीक्षण हेतु कांगड़ा घाटी सेक्शन का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों ने जनता को महाप्रबन्धक के सामने अपनी शिकायतें पेश करने का अवसर नहीं दिया;

(ग) क्या पीने के पानी की अत्यधिक कमी के बारे में सभी स्टेशनों पर और विशेषकर ज्वालामुखी रोड स्टेशन पर शिकायतें की गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जनता ने कोई शिकायत नहीं की थी। लेकिन, तलाडा और ज्वालामुखी रोड स्टेशनों के कुछ रेल कर्मचारियों ने महाप्रबन्धक का ध्यान इस बात की ओर दिलाया था कि टंकी माल-डिब्बों में पानी लाने और स्थिर टंकियों में उसे रखने की वर्तमान व्यवस्था काफी नहीं है और पानी की सप्लाई बढ़ाना जरूरी है।

(घ) जिन स्टेशनों पर स्थानीय स्रोतों से पानी नहीं प्राप्त किया जा सकता है, वहां नल-कूपों/कुओं की व्यवस्था करने की सम्भावना पर उत्तर रेल प्रशासन विचार कर रहा है।

मद्रास और मैसूर में रेलवे लाइनें

1523. **श्री सिद्धय्या :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास तथा मैसूर की सरकारों ने पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में किन-किन रेलवे लाइनों को शामिल किये जाने की सिफारिश की थी; और

(ख) उनमें से कितनी लाइनों पर अब तक निर्माण-कार्य आरम्भ किया गया और कितनी लाइनें पूरी हो गई हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). एक बयान नत्थी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–6690/66]**

मध्य प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग

1524. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों के पुनर्गठन करने के लिए एक योजना मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंदुल स्टेशन पर रेलगाड़ियों पर हमला

1525. **श्रीमती मैमूना सुल्तान : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव : श्री दिगे :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 जुलाई, 1966 को दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन पर आंदुल स्टेशन पर एक स्थानीय रेलगाड़ी के यात्रियों ने रेलगाड़ियों तथा रेलवे कर्मचारियों पर हमला किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। भीड़ ने न केवल रेल कर्मचारियों पर, बल्कि एक सहायक स्टेशन मास्टर की पत्नी पर भी, हमला किया।

(ख) एस-46 डाउन उलुबेरिया-हावड़ा लोकल गाड़ी आंदुल पर 10.08 बजे अर्थात् एक मिनट देर से पहुंची। यह गाड़ी, समय-सारणी के अनुसार, I डाउन बम्बई-हावड़ा डाकगाड़ी को रास्ता देने के लिए आंदुल रोक रखी गई थी।

(ग) पुलिस ने दो मामले दर्ज किये हैं, एक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/427/341/448 और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 121 के अधीन, जिसमें 41 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। दूसरा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/454/341/325/323 के अधीन जिसमें सात व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। इन मामलों की छानबीन की जा रही है।

रेलों में होने वाली हुल्लड़बाजी पर राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य मन्त्रियों का ध्यान दिलाया गया है और रेलों, यात्रियों और रेल कर्मचारियों की पूरी हिफाजत की व्यवस्था करने के लिए उनसे निवेदन किया गया है।

मध्य प्रदेश में सीमेंट कारखाने

1526. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में चार सीमेंट कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों में; और

(ग) इन कारखानों की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग). 13 मई, 1966 से सीमेंट उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस सम्बन्धी उपबन्धों से छूट दे दी गई है। अतः सीमेंट का उत्पादन औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किये बिना किया जा सकता है। फिर भी मध्य प्रदेश की निम्नलिखित योजनाओं के लिए पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है :—

पार्टी का नाम	**स्थान**	**वार्षिक स्थापित क्षमता**
गैर-सरकारी क्षेत्र		मी० टनों में
1. बिड़ला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०	पथरिया	200,000
2. श्री एम० आर० मोरारका	अकलथरा	200,000
3. इशोसियेटिड सीमेंट कन्स्ट्रक्शन लि०	मेहगांव	600,000
4. अवध शूगर मिल्स लि०	मैहर	200,000
5. श्री दिग्विजय सीमेंट कं० लि०	बनीपथार	200,000
6. श्री दिग्विजय सीमेंट कं० लि०	बस्सेर	200,000
सरकारी क्षेत्र		
1. हिन्दुस्तान स्टीम लि०	भिलाई	600,000
2. सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	जगदलपुर	1,000,000
3. सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	मंधर	2,000,000
4. सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	नीमच	200,000

उड़ीसा के लिये औद्योगिक लाइसेंस

1527. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में उड़ीसा से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इसी अवधि में उनमें से कितने आवेदन पत्र मंजूर किये गये तथा कितने ना मंजूर किये गये ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवैया) :

(क) दो श्रीमान् ।

(ख) दोनों ही आवेदन पत्रों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

ऊनी उद्योग

1528. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊनी उद्योग में छोटे निर्माताओं को इस समय कच्चे माल के अभाव के कारण बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन कारखानों को बन्द होने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति के कारण ऊन उद्योग को अक्तूबर 1965 से सितम्बर 1966 की अवधि के लिये आवंटन में बहुत अधिक कमी कर देनी पड़ी । इससे ऊन उद्योग के लिये जिनमें लघु निर्माता भी शामिल हैं, आयातित कच्चे माल की कमी हो गई । अक्तूबर 1966 से सितम्बर 1967 की अवधि के दौरान स्थिति में सुधार होने की आशा है जब कि लघु निर्माताओं सहित इस उद्योग के लिये कच्चे माल की उपलब्धि अधिक मात्रा में की जायेगी ।

मूल्य स्थिर रखने का आश्वासन

1529. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन प्रतिष्ठापित निर्माताओं ने प्रधान मंत्री को यह आश्वासन दिया है कि वे अवमूल्यन के बावजूद अपने उत्पादों के मूल्य स्थिर रखेंगे ;

(ख) वे इस आश्वासन को कहाँ तक पूरा कर सके हैं ; और

(ग) अवमूल्यन के पहले इन वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य क्या था और इस समय क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) उपभोक्ता वस्तुओं के जिन निर्माताओं ने मूल्यों को स्थिर रखने का सरकार को आश्वासन दिया है, संलग्न सूची (अँग्रेजी) में दिये गये हैं ।

(ख) उपलब्ध जानकारी से ऐसा मालूम होता है कि दिये गये अधिकांश आश्वासनों को निभाया गया है ।

(ग) एक विवरण (अँग्रेजी में) संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०—6691/66]

रेलवे में स्वचालित संकेत व्यवस्था

1530. **श्री दशरथ देव :** **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रेलवे में स्वचालित संकेत व्यवस्था में त्रुटियों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार स्वचालित संकेत व्यवस्था की जांच करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो यह जांच-कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :

(क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

खुले वैगनों में सीमेंट का भेजा जाना

1531. **श्री दशरथ देव :** **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री म० ना० स्वामी :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पौंग बांध के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में रेलवे के खुले वैगनों में हाल में भेजे गये सीमेंट की काफी मात्रा वर्षा के कारण खराब हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस तरह कितना सीमेंट खराब हो गया था और उसकी कीमत कितनी थी ; और

(ग) क्या सरकार इस बर्बादी तथा नुकसान के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) जून, 1966 के महीने में सीमेंट के 17332 बोरे खराब हो गये थे। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि कितनी क्षति हुई और उसका मूल्य क्या है।

(ग) इस मामले की जांच हो रही है और यदि रेल कर्मचारी दोषी पायें गये तो कार्रवाई की जायेगी।

पूर्वोत्तर रेलवे में हैड सिगनलर तथा तार निरीक्षक

1532. **श्री बृजराज सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में इस समय कुल कितने हैड सिगनलर (प्रथम श्रेणी) तथा तार निरीक्षक हैं ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों ने तार विद्या की हायर स्टैंडर्ड की परीक्षा पास की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 250-380 रुपये के वेतन मान में हैड सिगनलर ग्रेड I का कोई पद नहीं है। 250-380 रुपये के वेतन मान में 6 टेलीग्राफ इन्सपेक्टर के पद हैं और 335-425 रुपये के वेतन मान में एक चीफ टेलीग्राफ इन्सपेक्टर का पद है।

(ख) 6 में से 3 टेलीग्राफ इन्सपेक्टरों ने और एक चीफ टेलीग्राफ इन्सपेक्टर ने तार-प्रणाली की उच्च-स्तरीय परीक्षा पास की है।

पूर्वोत्तर रेलवे के तार निरीक्षक तथा हैड सिगनलर

1533. **श्री बृजराज सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में तार निरीक्षकों तथा हैड सिगनलरों के पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रशासन इन पदों को कब तक भर देगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर रेलवे में टेलीग्राफ इन्सपेक्टर के पद पर पदोन्नति

1534. **श्री बृजराज सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में टेलीग्राफ इन्सपेक्टर के पद पर पदोन्नति किस कसौटी के आधार पर की जाती है ; और

(ख) क्या पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने पदोन्नति के मामले में इस कसौटी का पालन किया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) 250-380 रुपये अधिकृत वेतन मान में टेलीग्राफ इन्सपेक्टर के पद पर सिगनलर वर्ग के कर्मचारियों में से, चुनाव के आधार पर, पदोन्नति दी जाती है। 335-425 रुपये अधिकृत वेतन मान में चीफ टेलीग्राफ इन्सपेक्टर के पद को प्रवरता एवं उपयुक्तता के आधार पर भरा जाता है।

(ख) जी हां।

सिगनलरों के पद का ऊंचा किया जाना (अपग्रेडिंग)

1535. **श्री बृजराज सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिगनलरों के केडर संबंधी 1956 के समझौते के अन्तर्गत पूर्वोत्तर रेलवे में पद को ऊँचा उठाने (अपग्रेडिंग) का काम पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या 1956 के समझौते के अन्तर्गत अवकाशार्थ व्यक्ति (लीव रिजर्व) तथा विश्राम रिजर्व (रेस्ट गिवर) कर्मचारियों के पद वर्गोन्नति के लिए शामिल नहीं किये गये हैं ; और

(घ) अवकाशार्थ व्यक्ति तथा विश्राम रिजर्व कर्मचारियों सहित, पद ऊँचा उठाने (अपग्रेडिंग) का प्रश्न पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा कब तक अन्तिम रूप से तय कर दिया जायगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना

1536. **श्री बृजराज सिंह :** **श्री सोनावने :**
श्री बड़े : **श्री यु० द० सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 जुलाई, 1966 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हुई एक रेलवे दुर्घटना के परिणामस्वरूप एक खलासी मारा गया और 12 डब्बों को क्षति पहुंची ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां। इस दुर्घटना में माल गाड़ी का फायरमैन मारा गया, न कि एक खलासी।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

निर्यात

1537. **श्री सेझियान :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य मन्त्रालय के वर्ष 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन के पश्चात् हमारी निर्यात वस्तुओं के स्वरूप में कोई आमूल परिवर्तन किये गये हैं ;

(ख) क्या उन निर्यात वस्तुओं की प्रतिशतता में जिनके मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के बराबर से ही हैं, काफी कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). विशेष सहायता के बिना निर्यात की गयी वस्तुओं का मूल्य, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर, वर्ष 1965 के कुल निर्यात के मूल्य का 79.6 प्रतिशत रहा जब कि जनवरी से मार्च 1966 के दौरान यह दर गिरकर 77.0 प्रतिशत रह गयी।

भारत-यूगोस्लाविया के संयुक्त औद्योगिक उद्यम

1538. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया ने भारत में कुछ संयुक्त औद्योगिक उद्यम आरम्भ करने का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). भारत में सम्मिलित प्रबन्ध में कारखाने स्थापित करने के लिए यूगोस्लाविया से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर भी दोनों देशों की सरकारों द्वारा सम्मिलित कारखाने स्थापित करने के लिए आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए संलेखों का आदान-प्रदान हुआ है।

रूस से ट्रैक्टरों का आयात

1539. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में रूस से कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया ;

(ख) राज्य व्यापार निगम ने तटागत मूल्य (लैंडिड कास्ट) पर कितने रुपयों का तथा कितने प्रतिशत लाभ कमाया है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस शिकायत की जांच की है कि राज्य व्यापार निगम ने ट्रैक्टरों पर सामान्य से अधिक लाभ लिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 1965 में सोवियत रूस से 1935 ट्रैक्टरों के आयात का प्रबन्ध किया गया था ।

(ख) तथा (ग). राज्य व्यापार निगम लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य के $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत का नाम-मात्र सेवा प्रभार लेता है जोकि आयातक एजेन्टों के रूप में काम करने वाली फर्मों को दिये जाने वाले लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य के 20 प्रतिशत के वर्तमान अधिकतम बिक्री-लाभ में शामिल होता है। इन फर्मों के लाभ में व्यापारियों तथा उप-व्यापारियों का कमीशन, बिक्रय-पश्चात् सेवा का खर्च, व्याज, गोदाम में रखने के प्रभार आदि शामिल होते हैं।

आयात लाइसेंस

1540. **श्री जसवन्त मेहता :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदारीकृत आयात नीति के अन्तर्गत कितनी राशि के आयात लाइसेन्स दिये गये हैं ; और

(ख) गत वर्ष की तुलना में ये आंकड़े कैसे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) अवमूल्यन के बाद लगभग 140 करोड़ रु० के आयात लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ख) गत वर्ष की उसी अवधि में कुल मूल्य जिसके लिए लाइसेंस मंजूर किए गए थे, 12 करोड़ रु० से कम था।

निर्यात संवर्धन योजनाएं

1541. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये नई निर्यात संवर्धन योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). निर्यात सहायता के लिये उपाय किये जा रहे हैं और जहां कहीं भी ऐसे उपाय आवश्यक समझे जाते हैं, उनकी वस्तुवार घोषणा की जा रही है।

इस्पात की मांग

1542. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में इस्पात की मांग कम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो मांग को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) फालतू इस्पात का निर्यात करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख). रेलवे तथा कुछ अन्य उपभोक्ताओं के कार्यक्रमों में कटौती हो जाने के कारण इस्पात के कुछ वर्गों की मांग घट गई है। आयात के उदारीकरण तथा दूसरे उपायों के परिणामस्वरूप औद्योगिक गतिविधि बढ़ जाने से जल्दी ही कुछ मांग अधिक हो जाने की संभावना है। इस्पात के उन वर्गों का जिनका उत्पादन मांग से अधिक है निर्यात करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) 1966-67 के वर्ष के लिए 505000 टन इस्पात और 50,000 से 100,000 टन कच्चा लोहा निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। हिन्दुस्तान स्टील लि० ने अफ्रीका और मिडल ईस्ट के देशों की मार्किटों का पर्यवेक्षण करने के लिए पहले ही एक शिष्टमण्डल भेज दिया है। एक इस्पात-निर्यात संघ स्थापित किया गया है जो निर्यातकों के प्रयत्नों का समन्वय करता है और यह सुनिश्चित करता है कि निर्यात किए गए इस्पात का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त किया जाये। इस्पात के निर्यात के लिए एक समिति बनाई गई है जिसका काम निर्यात के लक्ष्यों की प्राप्ति में समय समय पर आने वाली विशेष कठिनाइयों पर ध्यान देना है। सरकार बढ़िया किस्म के इस्पात के निर्यात के लिए विशेष प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है।

रेलवे में नये सुरक्षा यंत्रों का लगाया जाना

1543. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय का विचार रेलवे में जापान से आयातित नये सुरक्षा यंत्रों को लगाने का है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जापान में यह यंत्र प्रयोग में नहीं लाये जाते ; और

(ग) पुराने तरीके के यंत्रों का रेलवे में प्रयोग करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग). यह स्पष्ट नहीं है कि किस सुरक्षा यंत्र से अभिप्राय है क्योंकि उसका नाम नहीं बताया गया है । फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि किसी ऐसे सुरक्षा यंत्र को काम में लाने का विचार नहीं है जो जापान में अप्रचलित हो चुका हो।

चाय, पटसन, कपड़े, खाल, चमड़े तथा हल्के इंजीनियरी माल का निर्यात

1544. **श्री कृ० चं० पन्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवमूल्यन के परिणामस्वरूप चाय, पटसन, कपड़े, खाल, चमड़े तथा हल्के इंजीनियरी माल के निर्यात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ;

(ख) उक्त उद्योगों की वर्त्तमान क्षमता कितनी है ; और

(ग) इन वस्तुओं के उत्पादन में यथा संभव वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) चाय, जूट, कपड़ा, खालें, चमड़ा और हलके इंजीनियरी माल के निर्यात में वृद्धि पर अवमूल्यन के प्रभाव का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें इन उद्योगों की वर्तमान क्षमता दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-6692/66]**

(ग) कच्चे माल, संघटक और फालतू पुर्जों के आयात को उदार कर दिया गया है।

चाय का निर्यात

1545. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवमूल्यन चाय के निर्यात में वृद्धि तथा अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन करने में तब तक सहायक नहीं होगा जब तक रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् लगाया गया दण्ड-स्वरूप निर्यात शुल्क (पीनल एक्सपोर्ट ड्यूटी) में कटौती न की जायगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). चाय का अधिक निर्यात चाय के अधिक उत्पादन पर निर्भर करता है। अवमूल्यन के कारण लगाये गये निर्यात शुल्क से चाय के निर्यात में मन्दी नहीं आती।

पंजाब में हस्तशिल्प उद्योग

1546. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 6 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4916 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में पंजाब राज्य में हस्तशिल्प उद्योग के विकास के लिये केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता की मात्रा के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) अनुदान	----	3,80,000 रु०
ऋण	----	1,88,000 रु०
योग		5,68,000 रु०

Statistical Reports in Diglot Form

1547. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2005 on the 11th March, 1966 and state :

(a) the progress made during the last four months in standardising the headings of the statistical reports in diglot form, that is, in Hindi and English ; and

(b) when the diglot edition of these reports is likely to be made available ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b). Headings of statistical reports published by the Northern and North Eastern Railways have since been standardised in Hindi-English bilingual form. On the Northern Railway, manuscripts of some of the statistical reports with bilingual headings have been sent to the Press and printed copies thereof will be available shortly. On the North Eastern Railway, statistical reports with bilingual headings are expected to be issued from 1967 onwards.

Fatehpur-Kusumkhor-Gavardhani Rail Link

1548. **Dr. Ram Manohar Lohia :**

Shri Ram Sewak Yadav :

Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Railways be** pleased to state :

(a) whether Government feel the necessity of connecting the Railway Station, G. T. Road, Fatehpur to Kusumkhor, Farrukhabad and Gavardhani Devi to Kusumkhor by railway ; and

(b) if so, when and if not the reasons therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) No.

(b) The suggested railway line has not been recommended by the U.P. Government for construction in any of the Five Year Plans. Moreover, with the likely meagre allocation of funds for new constructions in the Fourth Plan this proposal may not merit sufficient priority for consideration therein.

कोयले से गैस और तेल

1550. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कोयले के संसाधनों से गैस और तेल निकालने की संभाव्यताओं पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथा कोयले की शक्ति के बारे में अनुसन्धान तथा परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहन देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) हां, महोदय।

(ख) कोयले की कोक ओवेन गैस अभी भी गर्म करने के लिए ईंधन के रूप में तथा यूरिया के उत्पादन के लिए प्रयोग की जा रही है और इन प्रयोजनों के लिए इसके प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तेल के उत्पादन के उद्देश्य से कोयले के उद्जनन की विधि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विकसित की गई है। शक्यता-अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

Industries in M.P.

1552. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of the Minister of Industry, Madhya Pradesh, published in 'Veer Arjun' dated 22nd July, 1966 in which an allegation has been made against the Centre for ignoring Madhya Pradesh in the matter of establishment of industries and the allotment of foreign exchange; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Industry (Shri Sanjivayya) : (a) & (b). Government are not aware of any such specific allegation having been made by the Minister of Industry, M.P. Government. The importance of the balanced development of industries in the various parts of the country has been stressed in the Industrial Policy Resolution of 1956 and is an aspect specially borne in mind by Government while licensing new industrial units.

लघु उद्योग

1553. **श्री जेधे :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योगों की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है ;

(ख) बड़े तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों पर इस परिवर्तन का कहां तक प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता के बारे में लघु उद्योगों की पूंजी सीमाओं में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जम्मू तथा कश्मीर के एक प्रकाशन में आपत्तिजनक बातें

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar): Mr. Speaker, I call the attention of Minister of Home Affairs to the following matter of urgent Public Importance and request that he may kindly make a statement in regard thereto :—

"Chapter captioned 'Naya Kashmir' in the book 'Hamari Kahani' Part V, 1966, edited and published by the Directorate of Education, Government of Jammu & Kashmir in which the Constitution and territorial integrity of India has been challenged."

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): पूछ-ताछ करने पर मुझे यह बताया गया है कि पुस्तक के पृष्ठ 124 पर कुछ अंश ऐसे हैं जो संविधान तथा भारत की प्रभुसत्ता को आघात पहुंचाते हैं। 1943 में जब जम्मू तथा काश्मीर के महाराजा ने एक सांवैधानिक आयोग नियुक्त किया था तो 'नेशनल कांफ्रेंस' ने आयोग के पास भेजे जाने के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया था जिसमें राज्य की प्रतिरक्षा तथा उसके विदेशी सम्बन्धों के बारे में उल्लेख किया गया था। मूल रूप में यह अध्याय 1948 में बनाई गई पाठ्य-पुस्तक के भाग के रूप में लिखा गया था। उस समय स्वतंत्रता से तुरन्त पहले वाले वर्षों के आन्दोलन तथा विचार-विमर्श 'नेशनल कांफ्रेंस' के कार्य-कर्ताओं के दिलों में ताजा थे।

अब काफी समय बीत चुका है और बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं। राज्य सरकार का विचार है कि पुस्तक के अधिकांश भाग अब बेकार हो चुके हैं। वह चाहती है कि पाठ्य-पुस्तकों का अच्छी तरह पुनरीक्षण किया जाय। राज्य सरकार द्वारा अभी हाल में नियुक्त की गई समिति की सिफारिश के अनुसार उन्होंने कक्षा 1 से 8 तक की सभी कक्षाओं के लिए पाठ्य-क्रम का पुन-रीक्षण कर दिया है। राज्य सरकार ऐसी पाठ्य-पुस्तकें तैयार कराने का प्रबन्ध कर रही है जिनमें गलत तथा आपत्तिजनक सामग्री नहीं होगी। चालू शैक्षणिक वर्ष से 'नया काश्मीर' का अध्याय पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है।

Shri Kashi Ram Gupta: The book has been printed in 1966. Therefore I want to know that on what basis it has been said that the chapter has been deleted when this book bears a print of 1966. Secondly I want to know whether Hon. Minister has any information about Shri Bhim Singh, a student leader, who was arrested Under D. I. R. in connection with student agitation in Kashmir? If not, whether he would find out the position?

Shri Nanda: The said chapter was adopted from the draft constitution.....

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: How and why it was printed? Who is responsible for that?

Shri Nanda: It was prescribed as a historical text but now that has been omitted. I have received letters to that effect. It will not be printed in the next edition.

Shri Madhu Limaye: The book may be laid on the Table. Let Hon. Members see that book and then there may be a discussion.

Mr. Speaker : The fiction under discussion might be a reproduction of historical fact even then it poisons the minds of children. Such things should not happen. I would ask the Home Minister to find out why this book was prescribed for such a long period when it contains objectionable matters ?.......... I allow Hon. Member to lay the book on the Table. *

Mr. Speaker : A question has been asked that a person who protested against such books, has been arrested under D. I. R. and put behind the bars.

Shri Nanda : He has been released.

Shri Prakash Vir Shastri : 'Hamari Kahani' is not one solitary book that has been prescribed for the students, there are many other text-books prescribed for the various classes which contain objectionable matters. Such books are taught in Kashmir to the students of III to VIII classes. It seems to me that it is a planned conspiracy of the Education Minister of Kashmir. Will the Home Minister state that what elements are working behind this move and whether any action would be taken against them. I want your permission to lay these books on the Table of the House.

Mr. Speaker : I allow that the books may be laid on the Table of the House†.

Shri Nanda : This question is engaging the attention of Education Ministry since long. Chief Minister had said in February that he had appointed a committee last year to revise these text-books, but this revision was not upto the mark. Therefore all the syllabus has been revised.

अध्यक्ष महोदय : इस षड्यन्त्र के पीछे कुछ तत्व काम कर रहे हैं। क्या सरकार ने इसकी कोई जांच की है।

Shri Nanda : These books were prepared in the year 1948. So the questions of forces related to that time, Now all these books are bieng withdrawn and they will be replaced by good ones.

श्री हेम बरुआ : पाठ्य-पुस्तक समिति का प्रधान होने के नाते जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री का यह उत्तरदायित्व है कि वह पाठ्य-पुस्तकों में राष्ट्र-विरोधी तत्व न आने दे। यदि ऐसा होता है तो मुख्य मंत्री से जांच की जाये ?

अध्यक्ष महोदय : इस व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। मुझे व्यवस्था के अन्य प्रश्नों को सुनने दीजिये।

---

* श्री काशी राम गुप्त ने निम्नलिखित पुस्तकें सभा पटल पर रखीं :

हमारी कहानी, पांचवा भाग, आठवीं श्रेणी के लिए

Shri Kashi Ram Gupta laid the following books on the table of the House.

Hamari Kahani, Part V, For Eighth class.

† श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने निम्नलिखित पुस्तकें सभा पटल पर रखीं :

Shri Prakash Vir Shastri laid the following books on the table of the House.

(1) Hamari Kahani, Part II, for 4th class. हमारी कहानी, भाग II, चौथी कक्षा के लिये

(2) Hamari Kahani, Part III, for 5th class. हमारी कहानी, भाग III, पांचवीं कक्षा के लिये

(3) Hamari Duniya, Part VI, for 8th class. हमारी दुनिया, भाग VI, आठवीं कक्षा के लिये

(4) Hamari Kahani, Part V, for 8th class. हमारी कहानी, भाग V, आठवीं कक्षा के लिये

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : 'नया काश्मीर' एक गैर-सरकारी दस्तावेज था। 1948 में इसे छपाया गया और एक पाठ्य-पुस्तक में शामिल कर लिया गया। कुछ समय के लिए यह पुस्तक दिखाई नहीं दी किन्तु कुछ समय पश्चात् यह कई रूपों में मिलने लगी। लगता है कि ऐसा घुसपैठ के कारण हुआ है। मैं गृह मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस पूरे मामले की जांच करें।

Shri Ram Sewak Yadav : When decision to with draw this book was taken and why it is still continuing as a text-book ?

अध्यक्ष महोदय : पाठ्यक्रम से यह पुस्तक हटा लेने के निर्णय की निश्चित तिथि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं।

Shri Nanda : The decision has been taken from the date of receipt of letter from Chief Secretary i. e. 28th February. Now Totally new books are being prepared and objectionable matter in the book is being deleted.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या वह पुस्तक मुख्य सचिव के पत्र की तारीख से अथवा ध्यान दिलाने की सूचना के देने के पश्चात हटाई गई है ?

श्री त्यागी : सीधा प्रश्न यह है कि क्या वह पुस्तक अभी तक वास्तव में हटा ली गई है अथवा नहीं ?

श्री नन्दा : पुस्तक को हटा लिया जायेगा। वह अभी तक हटाई नहीं गई है। हम राज्यों को इन पुस्तकों के हटाने के लिए आदेश दे रहे हैं।

Mr. Speaker : The House is of the view that the guilty must be punished.

श्री अ० कु० सेन : गृह-मंत्री कृपया आश्वासन दें कि पुस्तक का वह भाग हटाया ही नहीं जायेगा बल्कि निषिध कर दिया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न पूछे जाने के अतिरिक्त भी गृह-मंत्री ने सूचना को छिपाया और सब प्रश्नों को टाल दिया। उन्होंने जानबूझ कर सभा को विचलित किया है तथा धोखा दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक तथा उचित नहीं है कि कोई मंत्री सभा से किसी तथ्य को छिपा कर रखे और न ही वह सभा को धोखा दे सकता है।

Shri Madhu Limaye : On one hand Director of Education in the Government of Kashmir is allowed to publish books which contain elements of agitation and secession, whereas on the other hand a bill is brought to deal with us. In this context I want to ask the Hon. Minister whether he had no powers to deal with the situation or whether it has flourished due to his carelessness ?

Shri Nanda: The new books will be printed in accordance with the revised syllabus. There is no question of concealing question of secession does not arise here.

Mr. Speaker: Why it continued for such a long time? Had the Government no power to issue directions to the state? Whether the Government was not informed or it happened due to their ignorance?

Shri Nanda: The Minister of Education and the Ministry of Education were taking interest in it.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Don't put it off on others?

Shri Nanda: They are taking steps since the matter was brought before them. The Chinese references have been deleted from this book.

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या सरकार किताबों को हटाने के अतिरिक्त तथ्यों का पता लगायेगी और इसका उत्तरदायित्व नियत करेगी और घुसपैठियों की मौजूदगी का भी पता लगायेगी ?

श्री नन्दा : किताब हटा ली जायेगी और अन्य कार्यवाही अवश्य की जायेगी ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आपने यह प्रश्न किया था कि क्या सरकार को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकारों से कुछ कार्यवाही करने के लिए कहे । सरकार को अनुच्छेद 353 खण्ड (2) के अन्तर्गत यह अधिकार है कि आपात की स्थिति में प्रत्येक राज्य सरकार को निर्देश दे ।

श्री नन्दा : जो भी हिदायतें दी गई हैं, उनका पालन किया जा रहा है ।

श्री शिंकरे (मारमागोओ) : गृह-कार्य मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि इन पाठ्यपुस्तकों के सम्बन्ध में उन्हें 28 फरवरी को एक पत्र प्राप्त हुआ था । उन्होंने अभी तक निदेश क्यों नहीं दिया है ?

Shri Rameshwaranand (Karnal): I would like to know whether the Minister got information regarding this from his own sources.

श्री नन्दा : मुझे अपने साधनों से भी सूचनाएं प्राप्त हुई थीं ।

Shri Bade (Khargon): There is a Conspiracy to keep Kashmir out of Indian Union and this book is an evidence of it. May I know why this book has not been proscribed.

Shri Nanda: We will issue instructions to withdraw this book.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : विरोधी दल की शिकायत केवल एक विशेष पाठ्य-पुस्तक अथवा किसी विशेष कंडिका के सम्बन्ध में नहीं है अपितु इसकी पूरी पुस्तक-माला के सम्बन्ध में है । एक पाठ्य-पुस्तक में यह लिखा हुआ है कि उन्नीसवीं शताब्दी में सिखों द्वारा काश्मीर को भारत के साथ मिलाने से पहले वह विदेशी अबदाली साम्राज्य का भाग था और इस कारण सिखों ने वहां पर आक्रमण किया तथा महाराजा रणजीत सिंह तथा उसके सेनापति हरि सिंह नलवा अत्याचारी तथा आक्रान्ता थे । मैं यह जानना चाहता हूं कि गृह-कार्य मंत्री ने जो आश्वासन दिया है, उसमें यह अंश तथा पाठ्य-पुस्तक भी शामिल है ।

श्री नन्दा : इसमें पूरी पाठ्य-पुस्तक माला शामिल है ।

विशेषाधिकार भंग होने का प्रश्न
QUESTION OF BREACH OF PRIVILEGE

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : श्री मधु लिमये ने यह मामला लोक हित में उठाया है । उन्होंने लोक लेखा समिति के पचासवें प्रतिवेदन में श्री बूथलिंगम के विरुद्ध कुछ टिप्पणियों के सम्बन्ध में मेरे कुछ अभिकथनों के बारे में मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था । श्री मधु लिमये ने इसकी तिथि का उल्लेख नहीं किया है । शायद वह एक ध्यान दिलाने की सूचना के उत्तर में 27 जुलाई, 1966 को कहे गये अभिकथनों का उल्लेख कर रहे थे ।

सदन की कार्यवाही से यह बिलकुल स्पष्ट है कि 27 जुलाई को मैं निरन्तर यही कहता रहा कि श्री बूथलिंगम के सम्बन्ध में कुछ कह सकने से पहले या इस सम्बन्ध में कुछ कर सकने से पहले मुझे उन टिप्पणियों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति को भेजे गये सरकारी वक्तव्य पर लोक लेखा समिति की टिप्पणियों की प्रतीक्षा करनी होगी । मैंने यह बात पहले भी सदन में कही थी और अब भी कहता हूं ।

27 जुलाई को श्री भागवत झा आजाद ने अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न उठाया था । उसके उत्तर में मैंने कहा था कि जब तक प्रतिवेदन सभा-पटल पर न रख दिया जाये, किसी नियुक्ति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । उसके बाद, श्री भागवत झा आजाद ने एक प्रश्न पूछा था और उसके बाद श्री सिंहासन सिंह ने एक प्रश्न पूछा था । माननीय उपाध्यक्ष ने तब कहा था कि मंत्री महोदय इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं । तब श्री उमानाथ, श्री सिद्धेश्वर प्रसाद और श्री क० ना० तिवाड़ी ने प्रश्न पूछे थे । इन सबके मेरे द्वारा दिये गये उत्तरों से स्पष्ट होता है कि मैं लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किये जाने की प्रतीक्षा कर रहा था ।

मेरा निवेदन यह है कि विशेषाधिकार का समूचा प्रश्न सभा की कार्यवाही को ठीक न समझने के कारण है ।

Mr. Speaker: I have heard both Shri Madhu Limaye and the Hon. Minister. I will announce my decision next week.

श्री हरि विष्णु कामत : मैं आपका ध्यान "प्रक्रिया नियमों" के बीसवें अध्याय की ओर दिलाना चाहता हूं । नियम 225 में यह दर्ज है कि यदि अध्यक्ष महोदय नियम 222 के अन्तर्गत सम्मति दें तो वह सम्बन्धित सदस्य को बुलायेंगे और वह संक्षिप्त वक्तव्य देगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सम्मति नहीं दी है । किसी मामले के उचित होने का निर्णय करने से पहले सदस्य इस बात पर आग्रह करते हैं कि उन्हें सुना जाये । उससे पहले मैं इस सम्बन्ध में निर्णय कैसे दे सकता हूं । इसीलिये, मैंने सदस्य को विस्तार में आ जाने के लिए कहा था ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या आप इसके बारे में सम्मति बाद में देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

Shri Madhu Limaye : I will make a few points regarding the question of Privilege raised by me. It is a matter which concerns the prestige of the Public Accounts Committee and of the whole House.

Mr. Speaker : I have not held this matter in order. I allowed the Hon. Finance Minister to speak on it. I will now see whether this motion is in order. Before I grant leave, the matter should not be discussed.

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE. QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि 29 जुलाई, 1966 को संसद सदस्य, श्री उमानाथ से विशेषाधिकार के प्रश्न की एक सूचना मद्रास के तामिल दैनिक "नवशक्ति" के विरुद्ध प्राप्त हुई थी। उस पत्र के दिनांक 26 जुलाई, 1966 के अंक में लोक-सभा के प्रथम दिवस की कार्यवाही का समाचार प्रकाशित करते हुये लोक-सभा में विरोधी दलों के सदस्यों को "राउडीज" तथा "गुण्डाज" कहा गया था।

मैंने समाचार पत्र के सम्पादक से स्पष्टीकरण मांगा था। उन्होंने उत्तर दिया है कि समाचार पत्र में जो कुछ प्रकाशित किया गया है वह प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के समाचार का अनुवाद था परन्तु कर्मचारियों ने उसका अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करते समय कुछ गलतियां कर दी थीं। उन्होंने यही विश्वास दिलाया है कि उनका समाचार पत्र संसद के प्रति बड़े आदर और सम्मान की भावना रखता है और उनका यह विचार कभी नहीं था कि किसी संसद-सदस्य के प्रति कोई अशिष्टता दिखाई जाये।

सम्पादक द्वारा प्रकट किये गये खेद को देखते हुए मामला समाप्त किया जाये।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत के क्षेत्रफल के बारे में वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6665/66]

निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम तथा भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) कृमिनाशी पदार्थों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 जो दिनांक 19 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2149 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रबड़ के दस्तानों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 जो दिनांक 19 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2154 में प्रकाशित हुए थे।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**–6666/66]

(2) भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 की धारा 4–क के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2316 की एक प्रति जो दिनांक 2 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में कतिपय संशोधन किये गये। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**–6667/66]

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम तथा भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :–

(1) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) खनिज रियायत (पहला संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 9 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2030 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जी० एस० आर० संख्या 992 जो दिनांक 25 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में एक संशोधन किया गया।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**–6668/66]

(2) (क) भारत प्रतिरक्षा नियम, 1962 के नियम, 125 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दुर्लभ औद्योगिक सामग्री (नियंत्रण) (चौथा संशोधन) आदेश, 1965 जो दिनांक 25 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3972 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) दुर्लभ औद्योगिक सामग्री (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 28 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 355 में प्रकाशित हुआ था।

(ख) ऊपर की अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**–6669/66]

तकनीकी विकास महानिदेशालय सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

सम्भरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया) : मैं तकनीकी विकास महानिदेशालय सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन (भाग 2) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-6670/66]

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में—जारी

RE : QUESTION OF PRIVILEGE—Contd.

श्री उमानाथ (पुद्दुकोट्टै) : श्रीमान जी पी० टी० आई० के समाचार में प्रतिपक्ष वालों को हुल्लड़बाज नहीं कहा गया है। उस में कहीं 'गुण्डागर्दी' का शब्द भी नहीं है। अतः यह कहना कि यह अनुवादक की भूल है ठीक नहीं है। यह जानबूझ कर किया गया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से सदन के प्रतिपक्षी सदस्यों के विशेषाधिकारों को भंग करने का मामला है। उन्होंने जो कारण बताया है वह ठीक नहीं है। मैं मांग करता हूं कि यह विषय विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।

श्री कपूर सिंह : श्रीमान यहां पर पहले यह प्रथा है कि जब कोई सम्पादक क्षमा याचना करता है और अपनी भूल स्वीकार करता है तो मामले को समाप्त समझा जाता है परन्तु आज कुछ नया तरीका अपनाया जा रहा है।

इस प्रकार प्रतिपक्ष वालों के अधिकारों का संरक्षण नहीं हो रहा है।

Shri Bade : I want to know whether the Hon. Speaker should not place such privilege motion before the House ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जो कुछ हुआ है वह खेद की बात है। यह केवल "नवशक्ति" का ही प्रश्न नहीं है। हम अपना कार्य करते हैं। हमें देश की जनता की भावनाओं को व्यक्त करना होता है। यह समाचार कांग्रेस के बड़े नेताओं का है। मैंने पी० टी० आई० के समाचार को देखा है। उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। मेरा आप से निवेदन है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजें। कई बार आपके द्वारा कही गई बातों का कई समाचार पत्रों ने अनुचित लाभ उठाया है।

श्री कपूर सिंह : जिस तरीके से आपने इस विषय को समाप्त किया है उससे आप को समाचार की प्रशंसा मिल सकती है परन्तु आप इससे प्रतिपक्ष के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कभी समाचारपत्रों या अन्य किसी की प्रशंसा पाने की बात पर ध्यान नहीं दिया है। क्या मैंने ऐसा कभी किया है ?

श्री कपूर सिंह : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : यह अध्यक्ष पर एक गम्भीर आक्षेप है।

श्री कपूर सिंह : आप मुझे बताने की आज्ञा दें।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने शब्द वापिस लें। आपने कहा है कि मैंने समाचारपत्रों की प्रशंसा पाने के लिये ये किया है और कहा है।

श्री कपूर सिंह : मैंने यह नहीं कहा है। मैं कभी आपका अपमान नहीं करना चाहता । मैंने तो केवल यही कहा है कि जिस तरीके से आपने इस विषय पर निर्णय किया है कि इससे कुछ परिणाम निकलेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमान जी, मद्रास के समाचार पत्र ने खेद प्रकट किया है और क्षमा याचना की है परन्तु उसने प्रतिपक्ष वालों पर बहुत बड़ा आक्षेप किया है । उस पत्र को अपना खेद तीन दिन तक प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम नहीं है कि यह समाचार पत्र किसी राजनैतिक दल का है या नहीं। मैं इस बारे में उठाई गई आपत्ति और उस बारे में मिला उत्तर सभा के समक्ष रखता हूं। हां मैं सम्पादक से कहूंगा कि इस खेद को अपने समाचार पत्र के पहले पृष्ठ पर प्रकाशित करें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE—Contd.

पशुओं के प्रति निर्दयता अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत अधिसूचना

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : मैं ये पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

1. पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम , 1960 की धारा 38 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण (नाल-बन्दों को लाइसेंस देना) संशोधन नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 19 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 837 में प्रकाशित हुए थे।

2. ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6671/66]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान जी, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है :

कि राज्य-सभा ने अपनी 3 अगस्त, 1966 की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया है कि मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक 1965 दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें राज्य-सभा के 15 सदस्य अर्थात् :—

(1) श्री संजीव रेड्डी

(2) मौलाना अब्दुल शकूर

(3) डा० बी० एन० अंटनी

(4) श्री एम०वी० भद्रम

(5) श्री महाबीर प्रसाद भार्गव

(6) श्री टी० एम० दास गुप्ता

(7) श्री महाबीर दास

(8) श्री एम० एम० धारिया

(9) श्रीमती ललिता राजगोपालन

(10) श्री एम० गोविन्द रेड्डी

(11) श्री राम सहाय

(12) श्रीमती सरला भदौरिया

(13) श्री सी० एल० वर्मा

(14) श्री निरंजन वर्मा

(15) श्री सी० एम० पुनाचा

तथा लोक-सभा के 30 सदस्य हों और सिफारिश की कि लोक-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा उक्त संयुक्त समिति के लिए लोक-सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम उस सभा को सूचित करे ।

लोक लेखा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
FIFTY-FIFTH REPORT

श्री मुरारका (झुंझुनू) : श्रीमान जी, मैं लोक लेखा समिति तीसरी लोक सभा के पचासवें प्रतिवेदन के पैरा 4.128 के सम्बन्ध में 18 मई, 1966 को खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में लोक लेखा समिति का पचपनवां प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं।

नियम 355 के अन्तर्गत प्रश्न

QUESTION UNDER RULE 355

लोक-लेखा समिति के समक्ष खाद्य मंत्री का साक्ष्य

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I want to put a question under rule 355.

Will the **Chairman, Public Accounts Committee** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the P. A. C. had finalised in the first week of this session its report on the then Steel Minister and the present Food Minister, Mr. Subramaniam's statement in the Lok Sabha on 17th May, 1966, about his responsibility in the matter of black listing and of suspension of dealings with the firms mentioned in the 50th Report ;

(b) whether it is a fact that the P. A. C. had not received any request from the said Minister that he should be heard till after the report had been finalised by the P.A.C.

(c) whether it is a fact that the Minister came to know somehow—I do not wish to make any charge against anybody—of the P.A.C's final report about ministerial responsibility in the matter of blacklisting and that it was only after that that a request came from him that he be heard:

(d) that the hearing given him by the P.A.C. was most unusual and certainly not on its own initiative ; and

(e) whether this extraordinary request of Mr. Subramaniam together with Mr. Sachindra Chaudhury's deplorable traversing of the P. A. C. findings contrary to the well-settled principles and established practice of the House do not constitute a most undesirable form of pressure on the P. A. C. and therefore, a serious contempt of the P. A. C. and Parliament ?

श्री मुरारका : श्रीमान् जी, प्रश्न के भाग (क) और (ख) का उत्तर अभी रखे गये प्रतिवेदन में है। (ग) के उत्तर में मुझे कहना है कि मंत्री महोदय को कैसे जानकारी हुई, मैं कुछ नहीं जानता। (घ) यह एक असाधारण बात है कि मंत्री महोदय लोक लेखा समिति के समक्ष पेश हों। जब उन्होंने सभा में कहा कि उन्हें समिति के समक्ष नहीं जाने दिया गया तो हमने उचित समझा कि उन्हें समिति के समक्ष अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। (ङ) के बारे में माननीय सदस्य जानते हैं कि समिति किसी के दबाव में नहीं आती है और समिति पर दबाव द्वारा किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मंत्री महोदय कभी भी समिति के समक्ष नहीं जाते, यह प्रथा है। मेरे विचार में यह ठीक भी है। मैं समझती हूं कि भविष्य में भी किसी मंत्री महोदय को समिति के समक्ष आने को नहीं कहा जायेगा।

श्री मुरारका : मैं स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। माननीय मंत्री की प्रार्थना पर यह किया गया है। उन्होंने स्वयं उपस्थित होने की मांग की थी। और हमने उसे स्वीकार कर लिया।

Shri Madhu Limaye : Sir, I want to thank you for allowing me to raise this question. Now you please allow me to raise the question of breach of privilege against Shri Subramaniam. I will not make a speech on this.

Mr. Speaker : He has given answers to your question.

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा): सोमवार 8 अगस्त, 1966 से शुरू होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित कार्य लिया जायेगा :—

(1) निर्यात शुल्कों के बारे में वाणिज्य मंत्री द्वारा पेश किये जाने वाले संकल्प पर विचार।

(2) आर्थिक स्थिति के बारे में आगे विचार ।

(3) संविधान (20वां संशोधन) विधेयक, 1966 पर विचार करना तथा उसे पास करना, जो प्रश्नों के निबटाये जाने के तुरन्त पश्चात् बुधवार, 10 अगस्त, 1966 को लिया जायेगा।

(4) आज के आर्डर पेपर के किसी मद की अपूर्ण चर्चा पर आगे विचार ।

(5) विचार तथा पास करना दण्ड विधि संशोधन (संशोधी) विधेयक, 1966

जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्ध को हाथ में लेना) विधेयक,1966

(6) शुक्रवार, 12 अगस्त, 1966 को प्रश्नों के निबटाये जाने के पश्चात् डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी तथा अन्य सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर हाल ही की रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी विवरण, जो 25 जुलाई, 1966 को सभा पटल पर रखा था, पर चर्चा ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): सतर्कता आयोग के चेयरमैन ने हाल में मद्रास में अपने एक भाषण में कहा है कि मंत्रियों में भ्रष्टाचार के प्रचलित होने के कारण सतर्कता के काम में बाधा होती है। इसको देखते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पर इस सभा में पूरी तरह चर्चा की जानी चाहिये ।

पिछले सत्र में कुछ मंत्रालयों की मांगों को शीघ्रता में पास कर दिया गया था, इसलिए उन पर भी चर्चा के लिए कुछ समय मिलना चाहिये ।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोट्टै): 1964 में सलाहकार श्रम समिति में यह आश्वासन दिया गया था कि बिड़ी और सिगार श्रमिकों (शर्तें) विधेयक को कानून का रूप दिया जायगा । परन्तु अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। इस पार्लियामेंट में इसको पास करने के बारे में आश्वासन दिया जाना चाहिए ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The Committee of the Private Members Resolution and Bill has given preference to the statement of Defence Minister in regard to the concentration of Pakistani troops on our borders. But the Hon. Minister concerned has given preference to Railway accidents and this point has not been taken into consideration.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): एकाधिकार जांच आयोग के प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते, स्वर्ण नियन्त्रण नियम तथा अवैध गतिविधियों (निरोधक) विधेयक, 1966 के बारे में चर्चा की जाये अथवा कम से कम सम्बन्धित मंत्री इन पर वक्तव्य दें।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to know whether the Minister of Home Affairs would make any statement regarding 'Bihar Bandh' Discussion on the division of Punjab into Hariana and Punjabi Subha & India's area should also be taken up.

Shri Tulsidas Jadhav (Nander) : Discussion on the report of the Backward Classes Commission should also be taken as some discussion has already been done on it.

Shri Satya Narain Sinha : I cannot reply all the questions that have been put. But I will consult the concerned Ministers.

चाय जिलों से उत्प्रवासी श्रमिक (निरसन) विधेयक

TEA DISTRICTS EMIGRANT LABOUR (REPEAL) BILL

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे चाय जिला उत्प्रवासी श्रमिक विधेयक, 1932 तथा तत्सम्बन्धी विषयों का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि चाय जिलों से उत्प्रवासी श्रमिक विधेयक, 1932 तथा तत्सम्बन्धी विषयों का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री शाहनवाज खां : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक

ADVOCATES (AMENDMENT) BILL

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): मैं प्रस्ताव करता हूं "कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

16 अगस्त 1961 को धारा 3 और 54 के लागू होने के पश्चात् विभिन्न राज्यों में विभिन्न तिथियों को राज्य बार परिषदों का गठन हुआ था।

अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत पहली बार के लिए गठित की गई राज्य बार परिषद् के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि परिषद् की बैठक शुरू होने से लेकर दो वर्ष के लिए थी। पंजाब तथा कुछ अन्य बार परिषदों के मामले में यद्यपि निर्वाचित सदस्यों की पदावधि समाप्त हो चुकी थी परन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण पुनः चुनाव नहीं हो सके। इन्हीं कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए धारा 59 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने अधिवक्ता (कठिनाइयां हटाये,) 1963 के आदेश संख्या 2 को जारी किया था। 4 नवम्बर 1963 को सर्वप्रथम मद्रास में राज्य बार परिषद् का पुनर्गठन हुआ था। इसके पश्चात् और भी विभिन्न राज्य बार परिषदों का पुनर्गठन हो चुका है। अधिनियम की धारा 8 में पुनर्गठित राज्य बार परिषद् को निर्वाचित सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष दी हुई है। इसमें यह भी दिया हुआ है कि जहां तक सम्भव हो पहले निर्वाचित सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य दूसरे वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जायें और इस प्रकार खाली होने वाले स्थानों को नये सदस्यों के निर्वाचन से भरा जायेगा। अब यह पता लगा है कि उक्त दो वर्ष की, मद्रास, मैसूर, उत्तर प्रदेश, आसाम, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान,

मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा गुजरात की राज्य बार परिषदों की कालावधि पहले ही समाप्त हो गई है। पश्चिमी बंगाल, पंजाब, बिहार तथा अन्य स्थानों के बारे में भी उक्त कालावधि जल्दी ही समाप्त होने वाली है। केरल के बारे में ठीक सूचना उपलब्ध नहीं हुई है।

इसी बीच बारकौंसिल आफ इंडिया तथा कुछ अन्य बार कौंसिलों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि अधिनियम की धारा 8 में जो व्यवस्था है कि निर्वाचित सदस्यों में से एक तिहाई दूसरे वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हों तथा उन स्थानों को भरने के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन हों। उससे बार कौंसिल के कार्य में वृद्धि होने के अतिरिक्त काफी व्यय होगा। इसलिए यह अधिक लाभकारी होगा कि सारे निर्वाचित सदस्यों की कालावधि ही चार वर्ष कर दी जाये। अन्ततः यह स्वीकार कर लिया गया कि धारा 8 में संशोधन किया जा सकता है जिससे दो वर्ष की समाप्ति पर एक तिहाई सदस्यों की निवृत्ति के स्थान पर प्रत्येक तीन वर्ष बाद आधे सदस्यों को निवृत्त किया जा सके। इसलिए अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 1965 के खण्ड 4 द्वारा अधिनियम की धारा 8 का भूतलक्षी प्रभाव के रूप में संशोधन किया जाना है जिससे दो वर्ष की अवधि पर निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को एक और वर्ष अपने पद पर रहने की अनुमति मिल जायेगी।

ऐसे बार कौंसिल में जिनकी दो वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है उनको 25 मार्च, 1966 को चुनाव कराने को कहा गया है।

10 जनवरी, 1966 को अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत अधिवक्ता (कठिनाइयों को हटाना) आदेश, 1966 लागू किया गया था जिससे उन कठिनाइयों को दूर किया जा सके जो कि राज्य बार कौंसिलों ने बार कौंसिल नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही न करने के कारण उत्पन्न हो गई थी। इसको अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1965 के अनुसार पास किया गया था ताकि राज्य बार कौंसिलें अपना कार्य जारी रख सकें। यद्यपि इस विधेयक को राज्य सभा द्वारा पिछले सत्र में ही पास कर दिया गया तथापि समय के अभाव के कारण उसको लोक सभा द्वारा पास नहीं किया जा सका।

8 अप्रैल, 1966 को मद्रास उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि केन्द्रीय सरकार धारा 59 के अन्तर्गत 10 जनवरी, 1966 को दिये गये आदेश को नहीं दे सकती थी। उच्च न्यायालय ने 8 जुलाई, 1966 को चुनाव कराने का निदेश भी दिया था। मद्रास न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात् पंजाब उच्च न्यायालय के दिल्ली के सर्कट बेंच में इसी प्रकार की एक लेख याचिका दी गई थी।

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से उत्पन्न होने वाली स्थिति को ठीक करने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि राष्ट्रपति का एक अध्यादेश जारी किया जाये। पूरी तरह विचार करने के पश्चात् यह महसूस किया है कि अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों का वास्तव में कोई लाभ नहीं है और इनके स्थान पर एक सरल उपबन्ध बना दिया जाय जिससे सभी निर्वाचित सदस्यों की अवधि समान अर्थात् 4 वर्ष कर दी जाये। इसका विधि मंत्री द्वारा नियुक्त

की गई अधिवक्ता अधिनियम पुनरीक्षण समिति तथा महान्यायवादी ने भी समर्थन किया है। तदनुसार 14 जून, 1966 को अधिवक्ता (संशोधन) अध्यादेश, 1966 जारी किया गया था।

संविधान के अनुच्छेद 132 (दो) (एक) के अनुसार छः सप्ताह के अन्दर-अन्दर इस अध्यादेश के स्थान पर अधिनियम बनाया जाना है।

नई धारा 8 बिल्कुल सरल है। इसमें राज्य बार कौंसिलों के सभी निर्वाचित सदस्यों के चार वर्ष की समान अवधि निर्धारित की गई है। धारा 8 के अन्तर्गत कुछ सदस्य पहले ही निवृत्त हो चुके हैं। इसलिए नई धारा 8 को भूतलक्षी प्रभाव से जारी किया गया है ताकि निवृत्त हुए सदस्य भी पदारूढ़ रह सकें और राज्य बार परिषद् या उसकी किसी कार्यवाही को जिसमें कुछ सदस्यों ने सेवा निवृत्ति के पश्चात् भाग लिया हो, मान्यता दी जा सके।

इन मामलों के लिए अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1966 के खंड 4 में सम्बन्धित उपबन्ध बनाये गये हैं। ऐसी परिषद् के न होने पर नामांकन अथवा अनुशासनहीनता के मामलों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए अध्यादेश जारी किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत हुआ "कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 पर आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मंत्री महोदय ने मूल अधिनियम की जिन मुख्य उपबन्धों का उल्लेख किया है वे बहुत ही सरल हैं और मुझे आश्चर्य है कि उनसे इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसका माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है। धारा 8 भी बहुत सरल है तथा उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रति दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर एक तिहाई पहले आने वाले सदस्य निवृत्त होंगे तथा उन द्वारा रिक्त किये जाने वाले स्थानों को नये सदस्यों के चुनाव से भरा जायेगा। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस जैसी सरल धारा को भी कार्यान्वित नहीं किया जा सका है।

यही लोग हैं जो अधिवक्ताओं के लिए नामांकन प्रक्रिया, प्रशिक्षण का स्तर और प्रशिक्षकों के लिए अनिवार्य योग्यताओं को निर्धारित करते हैं। प्रश्न यह है कि क्या ये व्यक्ति सक्षम हैं ? मंत्री महोदय ने शायद यह कहा है कि वे बिल्कुल भी सक्षम नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय को इस संगठन की कायापलट करने पर विचार करना चाहिए था। शासपत्रित लेखापाल संस्था जैसी ही एक संस्था अधिवक्ताओं की बनाई जानी चाहिए। शासपत्रित लेखपालों की संस्था ने बहुत अच्छा कार्य किया है तथा कर रही है। यह एक बहुत ही असाधारण प्रस्ताव है कि सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को सेवा-निवृत्त नहीं समझा जायेगा परन्तु मैं नहीं समझ सका कि जो व्यक्ति सेवा-निवृत्ति की तिथि तथा विधेयक के पास होने की तिथि के बीच मर गया हो, उसका क्या होगा ?

मेरे विचार में विधि मंत्रालय को इस सारे मामले पर पुनः विचार करना चाहिए जिससे

इस सारे कार्य को ठीक ढंग से चलाने के लिए एक ही निकाय स्थापित किया जा सके। अन्यथा ऐसी बातें होती रहेंगी।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): I welcome the bill. But I whould also like to say that the Hon. Minister should bring forward a comprehensive Bill so that there might not be much difference between the All India Bar Association and State Bar Council, advocate could easily become members, and also the work could be carried on smoothly. There is very little difference in the old and new section 8 of the Act. In the new Bill the term has been reduced from six to four years. I welcome this change because it will save lot of expenditure.

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : 40 वर्ष पूर्व 1926 में जब प्रथम बार कौंसिल का गठन किया गया था तो मैं भी उसका सदस्य बना था इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे माननीय मित्र श्री नारायण दांडेकर ने इस विधेयक पर जो आक्षेप किये हैं अधिकांशत: वे अनुचित हैं।

हम एक सी बार बनाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। परन्तु विभिन्न परम्पराओं के कारण उसमें विभिन्न कठिनाइयां उत्पन्न होती रही हैं।

सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण आयोग नियुक्त किया था। एस० आर० दास समिति ने भी कुछ सिफारिशें की थीं। उन्हीं सिफारिशों के आधार पर अधिवक्ता अधिनियम बनाया गया था।

अब उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश की बार कौंसिलों ने बार कौंसिल आफ इण्डिया को अभ्यावेदन दिये हैं कि यदि दो वर्ष बाद चुनाव कराने की बात पर जोर दिया गया तो उनको इस पर बहुत अधिक व्यय करना पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने अपनी कठिनाइयां व्यक्त की हैं। इसमें जैसा कि श्री दांडेकर ने कहा अधिवक्ताओं द्वारा चुनाव कराने में असफल रहने का प्रश्न नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री ने जो कुछ किया है अथवा कर रहे हैं उसमें कुछ भी अनुचित नहीं है।

अधिनियम की धारा 8 में यह दिया गया है कि राज्य बार कौंसिल के निर्वाचित सदस्यों की कालावधि छ: वर्ष होगी और कि पहले आने वाले एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष बाद निवृत्त हो जायेंगे तथा उनके द्वारा रिक्त किये गये स्थानों को भरने के लिए चुनाव कराये जायें। बार कौंसिल के सचिव से मेरी बातचीत हुई थी। उसने मुझे बताया था कि सभी राज्य बार कौंसिलें यह चाहती हैं कि इस पद्धति को समाप्त किया जाये तथा छ: वर्ष की अवधि के स्थान पर कालावधि चार वर्ष कर दी जाये। इसलिए राज्य बार कौंसिलों तथा इस व्यवसाय के हित के लिए ही मंत्री महोदय ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

इस उद्देश्य हेतु जारी किये गये अध्यादेश को मद्रास उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। इसलिए मंत्री महोदय के पास विधेयक को प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं था। उनकी इस कार्यवाही का बार कौंसिल आफ इण्डिया तथा महान्यायवादी ने भी अनुमोदन किया है। इसको प्रत्येक राज्य का भी अनुमोदन प्राप्त है। इससे कम से कम खर्च में तो बहुत बचत होगी। इससे जूनियर अधिवक्ताओं को भी राहत मिलेगी क्योंकि अभी भी उनको काफी शुल्क देना पड़ता है।

आवश्यक प्रशिक्षण के लिए लाभदायक प्रथा स्थापित करने के लिए अभी कुछ समय लगेगा।

श्री कु० कृ० वर्मा (सुलतानपुर) : विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में यह बताया गया है कि द्विवार्षिक चुनाव इसलिए नहीं हो सके, क्योंकि उन पर बहुत-सा खर्च हो जाने की सम्भावना थी। विधि विशारदों की परिषदों का भी परामर्श लिया गया था और उनका भी यही कहना था कि इन द्विवार्षिक चुनावों पर बेकार इतना खर्च किया जा रहा है। उन लोगों का यह सुझाव था कि इस दिशा में थोड़ी बचत की भावना रहनी चाहिए और यदि किसी अन्य सम्भव उपाय से राष्ट्रीय धन के अपव्यय को बचाया जा सकता है तो इसे बचाया जाना चाहिए। और यह तब ही हो सकता है कि सदस्यों को एक निश्चित अवधि के बाद बदलने की व्यवस्था कर दी जाय। अतः यह कहना कि वकील लोग ठीक तरह काम नहीं करते और अपना काम करने में अयोग्य हैं, ठीक नहीं है। इस प्रकार अनुचित आरोपों को न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। मेरे विचार में माननीय सदस्यों को उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि ये लोग पूरी क्षमता से काम करते हैं और राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखते हैं।

यह बात मैं स्वीकार करता हूं कि विधेयक देर से आया है। यह बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। इसे वकीलों की परिषदों तथा महाअधिवक्ता का भी समर्थन प्राप्त है। खण्ड 4 के मामले में भी मैं श्री दांडेकर से सहमत हूं कि यहां एक कमी है। इसमें यह कहा गया है कि एक राज्य बार काउंसिल का जो सदस्य मूल अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत सेवा-निवृत्त हुआ है, वह कभी भी सेवा-निवृत्त नहीं समझा जायेगा। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी हो उस पर यह किस प्रकार लागू किया जा सकता है ? इस कमी को दूर किया जाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उन्हें इस दिशा में किसी प्रकार का कोई संशोधन प्रस्तुत करना चाहिए। यदि उनका अपना विचार इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत करने का न हो तो उन्हें हमें अनुमति देनी चाहिए कि हम ऐसा कर सकें।

श्री हिम्मत सिंहका (गोड्डा) : यह विधेयक बड़ा ही सरल है। इसमें केवल चुनाव का तरीका बदल देने की बात है। पहले दो वर्ष के बाद कुछ सदस्यों के चुनाव होते थे। अब सारी परिषद् का चुनाव चार वर्ष के बाद हुआ करेगा। चुनावों में जो फजूल खर्च होता था उसको समाप्त करने के लिए यह विधेयक लाना पड़ा है। इससे परिषद् के सदस्यों की सदस्यता चार वर्ष के लिए हो जायेगी। विधेयक की आलोचना निराधार है।

खण्ड 4 के बारे में भी कोई कठिनाई नहीं है। इस खण्ड में बताया गया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति सदस्य बना रहेगा चाहे उसका स्वर्गवास हो गया हो। यह बड़ा सरल मामला है। ऐसे सदस्य के स्थान को खाली समझा जा सकता है। इन शब्दों से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Bade (Khargone) : It is a very simple Bill. I don't think that the allegation put forward by Shri Dandekar are correct. I think this is a well known fact that the members of legal profession are maintaining very high standard. I think that this Bill aimedat eliminating unnecessary expenditure being incurred on holding biennial elections to the Bar Councils. I am of the opinion that this Bill should be accepted.

Let me also point out that every state Government have set apart certain amount of money for helping the adivasis. The Government pleaders or police prosecutors are appointed to help them. The Bar Council should be given the right to appoint a lawyer for them, I want to stress that free legal aid should be provided to the poor. Some arrangement should be made for that.

There is another thing which deserves attention. Lawyers, who get themselves registered in a particular State should be allowed to practise in any State they like to do so. This provision should be made in this Bill. It should not be like the saying of Goldsmith that laws grind the poor and rich **men** rule the law. I think this state of affairs, we find in Hindusthan.

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : जो कुछ मंत्री महोदय ने राज्य सभा में कहा था, उससे यह आशा बनती थी कि इस विधेयक में और संशोधन किये जायेंगे और इस विधेयक को काफी व्यापक रूप दे दिया जायेगा । परन्तु ऐसा किया नहीं गया है । यह तो आशा की जा रही थी कि कलकत्ता और बम्बई के उच्च न्यायालयों में जो 'इण्डियन बार' और 'इण्डियन बार' में अब भी भेद-भाव किया जाता है, उसे दूर कर दिया जायेगा । इस भेद-भाव से लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है । कलकत्ता में यह आंदोलन भी चल रहा है कि इस भेद-भाव को दूर किया जाय ।

इस भेद-भाव से वकीलों में भी भेद-भाव है । जो लोग वकालत कर सकते हैं और काम भी कम कर सकते हैं । परन्तु अन्य दिशा में वे वकील जो वकालत तो कर सकते हैं परन्तु काम नहीं कर सकते । इस तरह के भेद-भावों को समाप्त किया जाना चाहिए ।

इस बात को तो सारे ही स्वीकार करते हैं कि द्विवार्षिक चुनावों में काफी खर्च होता है । मेरा निवेदन है कि इस बात का अहसास तो उसी समय हो जाना चाहिए था जब कि मूल अधिनियम को पारित किया जाना चाहिए था ।

श्री शिकरे (मारमागोआ) : कोई भी व्यक्ति इस विधेयक का विरोध नहीं कर सकता । 'स्टेट बार कौंसिल' के एक तिहाई सदस्यों को प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर आवश्यक रूप से सेवानिवृत्त करने की और उनके स्थान पर चुनाव के आधार पर नये सदस्य चुनने की व्यवस्था पर होने वाले खर्च को जो व्यक्ति बचाना चाहता है, वह ही इसका समर्थन करेगा । अतः इसमें विरोध करने वाली कोई बात ही नहीं है ।

इस दिशा में मेरा निवेदन यह है कि हमारे यहां अनेक अधिनियम हैं । और इसके बाद उनमें किये गये अनेकों संशोधन हैं । कोई बहुत ही सफल वकील भी किसी विशेष विधि के बारे में

यह दावा नहीं कर सकता कि उस विशिष्ट कानून के बारे में उसे कितना ज्ञान है होना यह चाहिए कि एक बार में केवल एक ही संशोधन हो और प्रत्येक कानून के लिए जो भी सम्भव संशोधन हो उसे मांगने और प्राप्त करने की अवधि भी निर्धारित करनी चाहिए। और उस सब पर ठीक ढंग से विचार करके एक व्यापक संशोधन प्रस्तुत करना चाहिए। मुझे आशा है कि मैंने जो विचार व्यक्त किये हैं मंत्री महोदय उस पर विचार करेंगे।

श्री कृ० ल० मोरे (हितकंगले) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। यह बड़ा सीधा और सरल विधेयक है। केवल इसके द्वारा राज्य बार काउंसिलों (विधिज्ञ परिषदों) के सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए चार वर्ष की एक प्रकार की अवधि निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। मुझे इस बात का हर्ष है कि माननीय मंत्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि एक अन्य व्यापक विधेयक की अपेक्षा है। हमें आशा है कि निकट भविष्य में शीघ्र ही ऐसा एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रयास मंत्री महोदय करेंगे। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में जो कुछ श्री दांडेकर ने कहा है, उसे मैं उचित नहीं समझता। उन्हें सारे मामले पर विचार करके इस बारे में अपनी राय देनी चाहिए थी। इन शब्दों से मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री दी० च० शर्मा (गुरदासपुर) : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस विधेयक के बारे में श्री दांडेकर ने इस प्रकार की बातें कही हैं, जो कि उन्हें नहीं कहनी चाहिए। इस संदर्भ में मेरा कहना यह है कि विधि सम्बन्धी शिक्षा बड़े व्यापक आधार पर होनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय विधि का भी लोगों को ध्यान होना चाहिए। जब हमने हेग अदालत में पुर्त्तगाली मामला लड़ा तो हमें बाहर के विधि-विशारदों की सहायता लेनी पड़ी। हमारे यहां तो केवल दीवानी और फौज-दारी कानून ही सामान्य लोगों तक पहुंचता रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून तो जैसे हम भूल ही चुके हैं।

यह अच्छा है कि एक ही अवधि का चुनाव एक समय हो जायेगा। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों की अवधि चार वर्ष कर दी जायेगी। मेरे विचार में यह अवधि थोड़ी और बढ़ा दी जाय तो अच्छा रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रख सकेंगे।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 91वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE-NINETY-FIRST REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

श्री अ० शं० आल्वा (मंगलौर): मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 91वें प्रतिवेदन से, जो 3 अगस्त, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 91वें प्रतिवेदन से, जो 3 अगस्त, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

भारत संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिष्ठान सम्बन्धी प्रस्ताव—जारी

RESOLUTION RE. INDO-U.S. FOUNDATION—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 6 मई 1966 को श्री ही० ना० मुकर्जी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे:—

"यह सभा एक भारत-संयुक्त राज्य अमरीका प्रतिष्ठान (फांउडेशन) की प्रस्तावित परियोजना का निरनुमोदन करती है और भारत सरकार से अनुरोध करती है कि वह इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही न करे।"

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : भारत-अमरीकी प्रतिष्ठान एक ऐसी परियोजना है, जिसे किसी भी अच्छी सरकार को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये। यह अच्छी बात है कि देश के शिक्षा विशारदों ने इस प्रस्तावित प्रतिष्ठान के विरुद्ध अपना मत व्यक्त किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 54 विख्यात विद्वानों ने भी इस दिशा में देश को नेतृत्व प्रदान किया है। भारत के विभिन्न भागों से हजारों शिक्षा विशारदों ने इस प्रस्तावित प्रतिष्ठान के विरुद्ध अपना मत व्यक्त किया है। हमें यह समझना चाहिए कि राष्ट्रपति जानसन हमें किसी प्रकार का उपहार नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में बहुत पहले ही फैसला हो चुका था।

हमें 2100 करोड़ रुपया मिल रहा है। और कहा गया है कि यह राशि शिक्षा के विकास के लिए दी जा रही है। आश्चर्य की बात है कि इस मतलब के लिए शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों चुना गया है। हमारे शिक्षा विशारदों को यह डर है कि प्रस्तावित प्रतिष्ठान द्वारा हमारी उच्चतर शिक्षा पद्धति का गला घोंट दिया जायेगा और सम्भवत: वह संयुक्त राज्य अमरीका के लिए लाभदायक हो परन्तु हमारे हित में नहीं हो सकता। यदि यह चला तो हालात ऐसे होंगे कि हमारे विश्वविद्यालय मुख्यत: अमरीका के कुछ लोगों के अधीन आ जायेंगे। जो लोग यह समझते हैं कि इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है वह सारी स्थिति को समझने के योग्य नहीं है। यह सब कुछ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के आवरण में किया जा रहा है।

भारत को अपने जाल में फंसाने के लिए काफी प्रतिष्ठान बनाये हैं। आज ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है जब कि अमरीकी दूतावास और उसके अभिकरण शैक्षणिक आश्रय के वास्तविक

स्रोत और केन्द्र बन गये हैं। अब वे यहां स्थिर हो गये हैं। और जमने के बाद वह उसी प्रकार के विध्वंसक कार्य करेंगे जैसे अमरीका की सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी करती है। परिणाम यह होगा कि शिक्षा की आड़ में इस एजेन्सी के विध्वंसात्मक कार्य और अधिक प्रभावी हो जायेंगे क्योंकि अब उन्हें कानून का आश्रय भी मिल जायेगा।

पी०एल० 480 के अन्तर्गत काफी अमरीकी पाठ्य पुस्तकों को यहां पुन: प्रकाशित करने की योजना है। यही बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के आयोजन एकक को इस दिशा में कुछ चिन्ता हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय में ऐसी घटना हो चुकी है जब कि कलकत्ता विश्वविद्यालय को अमरीका की ओर से कुछ छापने के लिए कहा गया था। और इस तरह वहां के अनुसंधान कार्यक्रम पर प्राय: उनका ही कब्जा हो गया था। आज अमरीका का दूतावास और उसके अन्य अधिकरण हमारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले बने हुए हैं। यदि अमरीका से छात्रवृत्ति पाकर कुछ लोग अमरीका जायें, तो इसमें कुछ हर्ज की बात नहीं, अच्छी बात है। हमारे लोग बाहर जायेंगे और अमरीका जैसे देश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। परन्तु वास्तविक बात यह है कि वहां का गुप्तचर विभाग जो कुछ कर रहा है उससे कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। शिक्षा की आड़ में इस एजेन्सी ने बहुत कुछ किया है। इसके बारे में मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह 1965 में प्रकाशित 'इनविजिबल गवर्नमेन्ट' नाम की पुस्तक पढ़ें। मुझे आशा है कि इस एजेन्सी द्वारा बताये गये रहस्यों के बारे में जो कि प्रसिद्ध अखबार 'न्यूयार्क टाइम्स' में प्रकाशित हुए थे और जिन्हें इस देश में भी काफी विस्तार से छापा गया था, वह पढ़ चुके होंगे। उस पृष्ठ भूमि में सन्देह का होना बहुत ही स्पष्ट है।

इस संदर्भ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस एजेन्सी को उन क्षेत्रों की जानकारी में रुचि है जिन्हें अमरीकी संवेदनशील क्षेत्रों का नाम देते हैं। वे कहते हैं कि इनकी सहायता इस लिए की जा रही है ताकि वह साम्यवाद का मुकाबला कर सके। भारत को भी उसी सूची में रखा जा रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में इससे पूर्व ही कम से कम एक संगठन ऐसा है कि जो कि सभी दिशाओं से जानकारी एकत्रित करता रहता है। और फिर यह सारी संकलित जानकारी अमरीका को भेज देता है। और इस तरह विश्वविद्यालयों को इस कृत्य के लिए भारत में और अमरीका में प्रयोग किया जाता है।

अमरीकी गुप्तचर अभिकरण हमारी शिक्षा संस्थाओं को भ्रष्ट कर रहे हैं। ये कई प्रकार का सारहीन साहित्य भी छाप कर बांटते हैं। कई बार इस प्रकार के प्रचार साहित्य से ही संसार के कई भागों में सरकारें बदल जाती हैं। और भी अमरीकी कई प्रकार से भारतीय जीवन के विविध अंगों में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। अमरीकी नियन्त्रण में कुछ ऐसी भारतीय संस्थायें भी चलती हैं। इन्हें अमरीकी सहायता उपलब्ध होती है। ये संस्थायें वह काम तो कम करती हैं जो इन्हें करना है परन्तु इनका ध्यान कुछ दूसरे ही कामों की ओर रहता है। हमारे शैक्षणिक जगत में और शिक्षित क्षेत्र में अमरीका का प्रभाव शनै: बढ़ रहा है, यह बहुत ही भयंकर बात है। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है जिसकी ओर कि हमारे देश कि जनता का ध्यान जाना ही

चाहिए। अखबारों ने भी लिखा है कि हमारी सरकार को इस प्रकार के उपहार स्वीकार नहीं करने चाहिए।

मेरा निवेदन यह है कि यह ठीक है कि हमें सहायता की आवश्यकता है। हमें सहायता लेनी चाहिए। परन्तु इस दिशा में जागरूक रहना चाहिए कि सहायता के नाम पर हमें किसी अन्य जाल में नहीं फंसाया जाना चाहिए। भारत अमरीकी प्रतिष्ठान मेरी राय में एक सोने का जाल है जिसमें हम फंसने जा रहे हैं।

हमें संसार की राजनीति को समझना चाहिए। हमें इस बात की जानकारी रखनी चाहिए कि संसार के इस भाग में अमरीकी नीतियां किस प्रकार काम कर रही हैं। किस प्रकार ये लोग अपने राजनीतिक प्रभाव को बनाने के लिए कई प्रकार की कार्यवाहियां कर रहे हैं। अतः हमें किसी प्रकार के झांसे में नहीं आना चाहिए।

[**श्री सोनावने पीठासीन हुए**
Shri Sonavane in the Chair]

विद्वता और ज्ञान के प्रसार और विकास के लिए हमें अन्य महत्वपूर्ण रास्ते अपनाने चाहिए। हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम अपने पांवों खड़े हों। इन शब्दों से मैं यह संकल्प सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री यशपाल सिंह : श्रीमान् जी, मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री श्रीनारायण दास : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री व० ब० गांधी : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Sidheshwar Prasad (Nalanda). Indo-American Foundation has become a subject of heated controversy today in the whole of this country. It is not the members of the parliament alone who have expressed their opinion regarding this, but many people connected with the educational institutions and Universities have also expressed their opinion on it. Everybody have said that we should be vigilant about the intentions of the American people lying behind this gift of Foundation. I think the anexiety expressed by them is based upon realistic thinking. Whatever Shri Mukerjee has said regarding this while moving the resolution are very solid and cannot be set asside very easily.

We know very well that the field of education is very vast and no patriotic person desires that this field should in anyway become the main target of a foreign power. We do not want any foundation in this country, which is managed or controlled by the foreigners. With thing in view I want that some minor changes may be done in the main resolution. I am of the opinion that this Foundation is going to have a very bad impact on the education of our country. This is going to effect the very fundamentals of our national existance.

श्री कमल नयन बजाज (वर्धा) : यह जो राशि पी० एल० 480 के अन्तर्गत आती है यह हमारे हाथ में नहीं है, इसका नियन्त्रण अमरीका के पास है। यह तो निर्णय करना है कि इसे किस प्रकार और कहां खर्च किया जाना है। क्या इस बारे में कि कहां और कैसे इस राशि को खर्च किया जाय, भारतीय लोक सभा की राय का कोई महत्व है ? अतः इस प्रकार का कोई संशोधन करना इस विषय के बाहर की बात है।

श्रीमती रेणुका राय (मालदा) : हम सुझाव दे सकते हैं। श्री सिद्धेश्वर प्रसाद जी का सुझाव है कि इस धनराशि को सिंचाई पर खर्च किया जाय। यह हमारी राय होगी, यदि हमारे अमरीकी दोस्त उसे पसन्द नहीं करेंगे तो उनकी मर्जी।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू और काश्मीर) : अमरीकी सरकार ने कुछ भी निर्णय क्यों न किया हो, जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम अपना मत व्यक्त कर सकते हैं और संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। हम अपना मत व्यक्त कर सकते हैं और भारत सरकार इस बारे में जो निर्णय लेना चाहे ले सकती है।

शिक्षा मंत्री (श्री मु०क०चागला) : ठीक है कोई भी संशोधन आ सकते हैं। परन्तु यह ठीक ढंग से प्रारूपित नहीं लगता। जिस ढंग से इसे माननीय सदस्य प्रस्तुत कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है।

Shri Sidheshwar Prasad : I am very sorry that my amendment has not been rightly understood by several Honourable Members including the Minister. What I want to say is that no money in India will be spent against the wishes of her people. Nothing should be done which may raise the indignation of the people here in this country. Also I feel surprised why the Government have not clearly told the House the terms and conditions under which the foundation will be established in this country.

American Embassy has a right to spend some percentage of the money from the P. L. 480 fund. American Government wish to spend this money in India in such a way that the good wishes abont America may increase here. Americans never like that the susceptibilities and sentiments of the people here should be injured. We should try to prevail upon the American Government that it will be really appreciable for the Americans to spend this amount on irrigation and power projects and construct the tube wells. Americans have repeatedly asked us to increase our agricultural production. And this help will be towards this cherished aim. They should have no objection to this proposal and Indian will also highly appreciate it. I am of the opinion if our Government put their full pressure towards this direction they can make the American Government agree with this proposal. With this object in view I am hereby putting my substitute motion. I think the matter of this can be reconsidered by the House.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्र पाड़ा) : मैं इस चर्चा का स्वागत करता हूँ और जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, इससे पूर्णतः सहमत हूँ। इससे सभा को इस महत्व पूर्ण मामले में अपना मत व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो जायेगा। मेरे विचार में इस मामले को लेकर सरकार एक आंख मिचौली खेल रही है। शायद मंत्री महोदय को ठीक तरह से यह पता नहीं कि प्रतिष्ठान का

लक्ष्य क्या है। और इसका देश में क्या प्रभाव होने वाला है। सरकार से इस मामले पर 27 जुलाई से लेकर आज तक कई एक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मेरा आग्रह यह है कि सरकार को सारी स्थिति को स्पष्ट रूप में देश के सामने रखनी चाहिए। क्या सरकार ने इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है? अथवा इसे कुछ शर्तों के साथ मानने का निश्चय किया है। 1965 में जिस रूप में श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसे स्वीकार करना माना था, उसकी सूचना अमरीका को दे दी गयी थी।

देश को इस बात की चिन्ता नहीं है कि यह कोई नई चीज हमारे समक्ष आई है। सैन्ट्रल इंटैलिजेंस एजेंसी की बात सामने आई है। वैसे तो इस प्रकार की एजेन्सियां लगभग सभी देशों की काम कर रही हैं। परन्तु "न्यूयार्क टाइम्स" के अनुसार अमरीका की एजेन्सी का कार्यकलाप बिलकुल भिन्न है। परन्तु हमें इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि हमें अपने जीवन के सभी अंगों में अमरीका को नहीं लाना चाहिए। डर यह है कि आने वाले समय में कहीं भारतीय जीवन के प्रत्येक अंग अमरीकी विचारधारा से प्रभावित न हो जायें।

श्री चागला का कहना है कि यह उन लोगों की राशि है और यह वह ही जानते हैं कि इसे किस प्रकार प्रयोग किया जाना है। इसलिए मेरा कहना है कि बात स्पष्ट होनी चाहिए कि यह उपहार है अथवा इसका रूप कुछ और है? यदि यह उपहार के रूप में दिया गया है तो निधि का नियन्त्रण, प्रबन्ध तथा निर्देशन हमारे हाथों में होना चाहिए। यह बात भी बड़ी स्पष्ट है कि यदि हम यह राशि अपने देश की शिक्षा के विकास के लिए चाहते हैं, तो हमें उसे लेने के लिए कुछ शर्तें तो स्वीकार करनी होंगी। उस हालत में आप इसे उपहार नहीं कह सकते। कितनी धन राशि कम हो जायेगी, वास्तविक प्रश्न यह नहीं है, महत्वपूर्ण बात इस दिशा में यह है कि यह उपलब्ध होने वाली धन राशि किस ढंग से, किस कार्य के लिए खर्च होगी। यह भी है कि इसका एक शिक्षा विशारदों का बोर्ड होगा जिसमें 18 शिक्षा विशारद लिये जायेंगे। इस बोर्ड का सभापति भारतीय होगा और कार्यपालिक अधिकारी अमरीकी होगा। मेरा कहना है कि इस सारे बोर्ड में ही भारतीय क्यों नहीं लिये जाते।

फिर यह भी प्रश्न है कि यदि यह शिक्षा के लिए ही राशि है तो यह बात क्यों नहीं मान ली जाती कि सारा धन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दे दिया जाय। वह जैसे समझे इसका वितरण करदे। यह बात तो बहुत अधिक आपत्तिजनक नहीं कही जा सकती। मैं यह बात सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव अमरीका के समक्ष रखा गया था। इस तरह का प्रस्ताव कि हम जिस प्रकार चाहें अधिक से अधिक लाभदायक ढंग से इस राशि का प्रयोग कर सकें।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि शिक्षा के कार्य में रुपया लगाना वास्तव में देश के भविष्य के लिए रुपया लगाना है। अतः हमें यह निगरानी रखनी चाहिए कि कम से कम हमारा इस क्षेत्र पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी देश का प्रभाव नहीं पड़ता। और हमारा

भारतीय स्वरूप भारतीय ढंग का बना रहे । इस दिशा में मेरा यह भी मत है कि अब हम इस स्थिति में पहुंच गये हैं कि सरकार को शिक्षा के लिए जो भी धन राशि विदेशों से प्राप्त होती है, उसको बड़े मजबूत इरादे से प्राप्त करना चाहिए । वह कैसे खर्च होगी इसके बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में नीति निर्धारित कर लेनी चाहिए । सहायता यदि उपलब्ध होती हो तो लेनी चाहिए परन्तु अपनी शर्तों पर । अतः मेरा श्री चागला से बड़ा स्पष्ट अनुरोध है कि वह उन सब बातों का बड़ा स्पष्ट उत्तर दें, जिन्हें मैंने प्रस्तुत किया है ।

श्री खाडिलकर (खेड): मैं इस चर्चा का स्वागत करता हूं । मैं श्री द्विवेदी से इस बात के लिए सहमत हूं कि यह उपहार नहीं है । यदि यह उपहार होता तो यह सब शर्तें उस पर न लगाई जातीं जो कि लगाई जा रही हैं । प्रश्न यह है कि इसे स्वीकार करना हमारी राष्ट्रीय एकता और हितों में है ? सरकारको यह बताना चाहिए कि इस परियोजना को स्वीकार करने से पूर्व शिक्षा मंत्रालय का परामर्श लिया गया था । आज हमारे देश की राष्ट्रीय एकताको जो खतरा है उस संदर्भ में इस उपहार के बारे में सन्देह हो जाना स्वाभाविक है । मेरा निवेदन यह है कि सरकार को इस बारे में सावधान रहना चाहिए । यह सरकार का कर्तव्य है कि इस प्रकार के उपहारों को, शिक्षा के लिए विशेषकर स्वीकार करते हुए जागरूकता से काम ले । शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही नाजुक है । इसमें कोई भी राष्ट्र सरलता से शिकार बनाया जा सकता है । मैं यह नहीं समझ सका कि हमारी सरकार ने इस बारे में स्थिति को बिलकुल स्पष्ट क्यों नहीं किया । इस बारे में सरकार द्वारा सभी स्पष्टीकरण अस्पष्ट हैं । हमारे शिक्षा मंत्री को यह स्पष्ट कहना चाहिए कि कुछ भी हो हम इस बात की अनुमति नहीं देंगे कि देश में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण और नाजुक क्षेत्र में विदेशी प्रभाव स्थापित हो जाय ।

मैं इस सारी समस्या पर निष्पक्ष रूप में और सिद्धांत की दृष्टि से विचार करना चाहता हूं । इस बारे में भारतीय विद्वानों ने जो मत व्यक्त किया है वह उनकी ईमानदारी की भावनाओं पर आधारित है । इस प्रकार के उपहारों का बहुत से अफ्रीकी और एशियाई देशों को अनुभव है ।

क्या वे देश के युवकों को एक विशेष विचारधारा के अनुयायी बनाना चाहते हैं । हम किसी विशेष देश या विचारधारा से प्रभावित होकर अपने उदार विचारों को बदल नहीं सकते । हमारे देश के स्वतन्त्रता संग्राम के नेताओं ने हमें ये विचार दिये थे । हमें इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए ।

अमरीका में भी बहुत सीमा तक लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता है । एक भूतपूर्व राजदूत ने अमरीका की वियतनाम सम्बन्धी नीति की कड़ी आलोचना की है । हम गांधीजी को राष्ट्रपिता मानते हैं । उन्होंने हमें निर्भीकता की शिक्षा दी थी । हमें उसे नहीं भूलना चाहिए ।

सरकार को अमरीका से उपहार बहुत सावधानी से स्वीकार करने चाहिए । हमें देखना चाहिए कि क्या इससे देश का हित होगा । शिक्षा का विषय बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है । फिर

अमरीका का जो धन हमारे देश में है उसे उचित ढंग से प्रयोग में लाया जाना चाहिए। शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना के सम्बन्ध में पहले सरकार को अच्छी तरह पर ध्यान कर लेना चाहिए। इसका प्रबन्ध भारतीय हाथों में होना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी संस्था को इसके कार्य संचालन की देखरेख करनी चाहिए और इस बारे में वह संसद के प्रति जिम्मेदार होनी चाहिए। इससे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि मैं अमरीका विरोधी हूं। मैं तो केवल भारत के हित को सर्वोपरि मानता हूं। हमें विदेशों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। जब इस प्रकार के प्रतिष्ठान नहीं थे उस समय भी हमारे देश में बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए हैं।

हमें अपने देश की प्राचीन परम्पराओं को भूल नहीं जाना चाहिए। हमारी सभ्यता और आध्यात्मिकता बहुत महान् है। मुझे भय है कि यदि हम अन्य देशों पर अधिकाधिक निर्भर करते रहे तो हमारे देश का अपना विकास रुक जायेगा। सरकार को इस बारे में एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए और एक योजना बनानी चाहिए।

Shri Yashpal Singh (Kairana): Sir, I congratulate the mover of this motion. Government has decided devaluation without consulting Parliament. It is not proper. Regarding the American Education Foundation I want to say that all details about this should first be approved by Parliament. The policy of this Government during the last 18 years has proved a failure. We have been going to all countries—big and small— with begging bowl for all types of aid. We should not be dependent on foreign aid. It is not consistent with our dignity and honour.

Government should change its Policy. This foundation will not be in the best interests of our country. We are a great nation. It is not proper for us to depend on others. I would request Shri Chagla that this proposal should be dropped. No doubt we have to import foodgrains from America, but it is under compelling circumstances that we are doing this. In the matter of education we should not do this. It will have a very adverse effect on young students. It is a pity that we are accepting aid from small countries like Denmark and Belgium. It is a matter of shame for this country of 50 crore persons.

We should make every endeavour to be self-reliant. We should be an honourable nation. If we continue to depend on other our independence will be in danger. We should be very careful in this regard. I prefer death to an undignified life. We should be prepared for all kinds of sacrifices for the sake of honour of our country. We should improve the standard of our education.

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा): पी० एल० 480 से लगभग 700 करोड़ रुपया एकत्र हो गया है। भारत के लिए यह एक समस्या है। हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री इसे भारत के हितार्थ किसी प्रयोजन में लगाना चाहते थे।

मैं शिक्षा की प्रगति की बहुत समर्थक हूं। परन्तु जिस तरीके से इस प्रतिष्ठान की स्थापना की जा रही है उसे मैं भारत के हित में नहीं समझती। मैं किसी देश के विरुद्ध नहीं हूं। इस प्रकार का प्रतिष्ठान भारत के हित में नहीं होगा क्योंकि इसके प्रबन्ध में एक अन्य देश का बड़ा हाथ होगा। इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकती।

यह अच्छी बात होगी यदि इस धन राशि को शिक्षा मंत्रालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने पास रखे और अपनी इच्छा से जैसे उचित समझे इसे व्यय करे।

यहां पर इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर नाम की एक गैर-सरकारी संस्था है। इसका खर्चा अमरीका द्वारा चलाया जा रहा है परन्तु उसका गठन इस प्रकार है कि इसमें किसी भी पद पर कोई अमरीकन नहीं है। मैं समझती हूं कि इसी प्रकार की एक संस्था स्थापित की जाये। इस बारे में संसद सदस्यों की एक समिति बनाई जानी चाहिए जो इस पर विचार करे और उसके बाद निर्णय किया जाये। इस धन को सिंचाई के कामों में प्रयोग में लाना चाहिए। जब तक निर्णय नहीं होता इस राशि को रख दिया जाना चाहिए।

श्री व० ब० गांधी (बम्बई-केन्द्र-दक्षिण) : इस प्रतिष्ठान को मैं एक मित्र देश का उपहार समझता हूं। इससे इस देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने और अनुसंधान कार्य में सहायता मिलेगी। इसलिए मैं इस प्रतिष्ठान का समर्थन करता हूं।

सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारत के हितों का ठीक प्रकार से संरक्षण हो।

इस प्रतिष्ठान के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय के 54 प्रोफेसरों ने विचार व्यक्त किये थे। और इसके बारे में अपनी असहमति प्रकट की है। परन्तु उन्होंने अपने विचार प्रकट करने में बहुत जल्दी की थी और इस बारे में ब्यौरे से अध्ययन नहीं किया था। इस प्रतिष्ठान के बारे में शर्तों आदि का अभी निर्णय होना है। मुझे आशा है कि इस बारे में जो भ्रम हैं वे दूर हो जायेंगे। शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें अन्य देशों की सहायता लेना हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इसमें अमरीकी सहायता लेने से हमें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। आजकल भी तो हमारे बहुत से विद्यार्थी अमरीका में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे देश के महान नेताओं ने विदेशों में शिक्षा पाई थी। इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय ने भी तो विदेश में शिक्षा प्राप्त की है।

यहां पर यह भी कहा गया है इस राशि को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की देखरेख में रख दिया जाये। इस बारे में धन देने वाला देश चाहेगा कि इसका उचित प्रयोग हो। इसके लिए दोनों देशों का एक संयुक्त निदेशक बोर्ड बनाया जायेगा जो निर्णय करेगा।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): जो शंकाएं व्यक्त की गई हैं उन पर मुझे बहुत हैरानी हुई है। आज हम लगभग सभी देशों से सहायता प्राप्त कर रहे हैं। यह सहायता करोड़ों रुपये की है। मैं नहीं समझता कि इस प्रतिष्ठान की स्थापना से हमारे देश की सभ्यता या संस्कृति पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अंग्रेजों ने हमारे देश पर 150 वर्षों तक राज किया और उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति यहां पर लागू की परन्तु फिर भी हमने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर बाध्य कर दिया। कुछ लोगों को सन्देह है कि इस प्रतिष्ठान से हमारे देश में अमरीकी प्रचार फैलेगा और हमारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं नहीं मानता कि यह प्रतिष्ठान हमारे राजनैतिक मामलों में हस्तक्षेप

करेगा । यह सन्देह करना व्यर्थ है । शिक्षा के विषय में हमें विदेशों से अधिकाधिक सहायता प्राप्त करनी चाहिए ।

अभी तो प्रतिष्ठान की स्थापना होनी है । उससे पहले ही शंकाएं व्यक्त करना उचित नहीं है । यदि यह देखा गया कि इससे कोई गड़बड़ होती है तो इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है ।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki): The present Resolution re. Indo-U. S. Foundation is purely a political matter; scholars and academicians are not concerned with this. Decision on this matter should be taken from political point of view. The Government should take a definite decision on it immediately and it should not be put in cold storage.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

As is the law of nature, time and place have an impact on education also. Democracy and languages of a country are closely related. With the development of language, the population of a country can take active part in the political life of the country. So the proposed Foundation will provide incentive to English language at the cost of Indian languages and this position will not be beneficial to the Country. The Foundation will not only adversely effect our sociology but it will effect science and other fields also. This is amply proved by the fact that we need irrigation for agriculture as first priority but fertilizer is being given first placc as is the practice in U. S. A. It is therefore desirable that this Education Foundation should be viewed in this context. In the light of what I have said I think that Foundation will be harmful for our Country, therefore I oppose it.

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : भारत-अमरीकी प्रतिष्ठान की स्थापना के बारे में सदस्यों ने आक्षेप किये हैं । इस सम्बन्ध में यह बताना आवश्यक है कि हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है जब कि अमरीका की संस्कृति केवल कुछ सौ वर्ष पुरानी है । हमें अपने देश, अपने देशवासियों तथा अपनी संस्कृति में पूर्ण विश्वास है और हमें इस बात का कोई भय नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका हमारी संस्कृति में मिलावट कर देगा ।

इस प्रतिष्ठान के इतिहास को जान लेना आवश्यक है । अप्रैल, 1964 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की विनियोग समिति की उप-समिति ने स्थानीय मुद्रा के उपयोग के बारे में विचार-विमर्श के दौरान यह प्रस्थापना की थी कि जो फालतू अमरीकी मुद्रा भारतीय मुद्रा में है उसका भारत में शिक्षा तथा विज्ञान के विकास के लिए एक द्वि-राष्ट्रीय प्रतिष्ठान स्थापित करके उपयोग किया जाय । विचार-विमर्श के पश्चात् प्रतिष्ठान का सिद्धान्त मंत्रिमण्डल ने 1965 में स्वीकार कर लिया था जिस समय स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मंत्री थे । अतः हमने अमरीका से यह नहीं कहा है कि वह हमें उपहार दें । उन्होंने ही यह सुझाव दिया था कि उनके पास कुछ धन है जो वे एक न्यास में रखना चाहते हैं । यह अमरीका द्वारा दिया हुआ उपहार नहीं है बल्कि यह धन सम्बन्धी एक न्यास है जो पूर्णतया संयुक्त राष्ट्र अमरीका के अधीन है ।

इस संदर्भ में पी० एल० 480 योजना को जान लेना आवश्यक है। पी० एल० 480 प्रतिरूप निधि का 80 प्रतिशत प्रायोजनाओं तथा कार्यक्रमों के विकास के लिए भारत सरकार को मिल जाता है। 7 प्रतिशत भारत के उन उद्योगों को ऋण के रूप में दिया जाता है जिनमें अमरीकी पूंजी शामिल होती है। इस निधि का 13 प्रतिशत अमरीकी सरकार की इच्छा के अनुसार खर्च किया जा सकता है। यह 13 प्रतिशत 200 करोड़ रुपये से अधिक आता है। उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अतः यदि हम उस 200 करोड़ रुपये को सरकारी ऋण पत्रों में लगवा दें तो उस सीमा तक हम उतनी रकम को गतिहीन कर सकते हैं। सुझाव दिया जाता है कि इस रकम के ब्याज के कारण अमरीका की जासूसी कार्यवाहियां भारत में बढ़ जायेंगी। इस समस्या का समाधान यह है कि 200 करोड़ रकम से अमरीका का नियन्त्रण न रहे और उन्हें केवल 5 अथवा 6 करोड़ रुपये ब्याज ही दिया जाय। इस रकम से अमरीका सरकार भारत में न्यास स्थापित करना चाहती है। प्रश्न यह है कि क्या न्यास हमारे हितों के अनुकूल है अथवा उनके विपरीत है। यदि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि न्यास हमारे हितों के विपरीत है तो हमें अवश्य ही उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। यदि इसमें देश का हित है—शिक्षा, विज्ञान तथा गवेषणा आदि के हित में है तो इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार विचारार्थ विषयों को सभा से छिपा नहीं रही है। अभी तक विचारार्थ विषयों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। वे अभी भी अदल-बदल की अवस्था में हैं। मुझे महाराष्ट्र के शिक्षा-विशारदों द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र मिला है जिसमें वे इस प्रतिष्ठान का पूर्ण समर्थन करते हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि राष्ट्रीय मत इसके विरुद्ध है।

जब यह प्रतिष्ठान स्थापित हो जायगा तो भारतीय मत का ही बाहुल्य होगा। प्रतिष्ठान को कोई ऐसी नीति बनाने अथवा उसे लागू करने नहीं दिया जायगा जो हमारी राष्ट्रीय नीति के विपरीत हो और न ही हम अपनी संस्कृति तथा अपने जीवन के ढंग में अमरीकी प्रभाव को आने देंगे।

यह पूछा जा सकता है कि क्या हम 5 करोड़ रुपये के करीब रकम प्राप्त नहीं कर सकते थे। निस्संदेह हम 5 करोड़ रुपये कमा सकते थे परन्तु 200 करोड़ रुपये का गतिहीन करना अधिक महत्वपूर्ण था तथा हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुकूल था। अमेरिका की केन्द्रीय गुप्तचर्या अभिकरण की गतिविधियों के बारे में भी कहा गया है। हमें उनकी गतिविधियां पसन्द नहीं हैं। यदि हम चाहते हैं कि छिपे हुए अमरीकी प्रभाव को रोका जाय तो क्या हम उन्हें 200 करोड़ रुपये का प्रयोग करने दें अथवा केवल 5 या 6 करोड़ रुपये का प्रयोग करने दिया जाय।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : बोर्ड की बनावट कैसे की जायगी ?

श्री मु० क० चागला : बोर्ड एक भारतीय स्वायत्त संस्था होगी। वह भारतीय कानून के अधीन होगी तथा प्रतिष्ठान द्वारा नीति निर्धारण के मामले में भारतीय मत का बाहुल्य होगा।

विज्ञान तथा टैक्नोलौजी न भारतीय, न अमरीकी और न रूसी सम्पत्ति हैं बल्कि वे अन्तर्राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं। उनका संस्कृति से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि हमारी शिक्षा

में ऐसी कई नाजुक बातें हैं जिन पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। शर्तों का प्रारूप तैयार करते समय हम यह ध्यान रखेंगे कि प्रतिष्ठान का रुपया शिक्षा के किसी ऐसे क्षेत्र में नहीं लगाया जायगा जो नाजुक हैं तथा कमजोर हैं। प्रतिष्ठान केवल विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए स्थापित किया जायगा।

शिकायत की जाती है कि प्रतिष्ठान की स्थापना से हमारी शिक्षा तथा समाज पर प्रभाव पड़ेगा। यह कहना उचित नहीं है। बहुत से शिक्षा-विशारद तथा वैज्ञानिक विदेशी देशों से शिक्षा प्राप्त करके आये हैं और अब भी 5000 भारतीय विद्यार्थी अमरीका में पढ़ रहे हैं। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने से देशभक्ति कम नहीं हो जाती। हमारी बहुत-सी प्रयोगशालाओं में ऐसे लोग कार्य कर रहे हैं जो अमेरिका से शिक्षा प्राप्त कर आये हैं। इसलिए हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हम पर कोई अमरीकी प्रभाव पड़ा है। इससे हमारी हीनता की भावना का पता चलता है। हमें इतना संकुचित दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए।

यदि हमें अपने आपमें तथा अपनी संस्कृति में विश्वास है तो संसार का कोई भी देश, चाहे वह कितना ही धनी क्यों न हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकता जिसमें हम अपने भूत को तथा अपने जीवन के ढंग को भूल जायें।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यदि हमें एफ्रो-एशियाई देशों तथा लैटिन अमरीका में अमरीकी उद्देश्यों का ज्ञान है तो हमें पता चलेगा कि अमरीका ने हमारे लिए जाल बिछाया है जिसमें हम फंस गये हैं। भारत-अमरीकी प्रतिष्ठान की तुलना दिल्ली के 'रश्यन स्टडीज़ स्कूल' तथा बम्बई के 'इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेकनोलौजी' से नहीं की जा सकती। हमने अमरीका, ब्रिटेन, रूस तथा जर्मनी द्वारा—टैकनोलौजी संस्थायें स्थापित करने के लिए कभी आपत्ति नहीं की है। परन्तु यह एक सम्पूर्ण प्रतिष्ठान की बात है।

पी० एल० 480 के विनियोग में से, जो हमारे देश के लिए खतरा है, अधिकांश 'कुली प्लान' के भारतीय उद्योग के उस क्षेत्र में चला गया है जिसका अमरीका नियंत्रण कर सकता है। भारत-अमरीकी प्रतिष्ठान द्वारा भारत सरकार अपने आपको 'कुली प्लान' में फंसा रही है। इसी कारण हमने उसके लिए आपत्ति प्रकट की है। यह एक ऐसी संस्था है जो जाहिरा तौर से देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है और जिसके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अधिक धन होगा। क्या अमरीका इस सारी रकम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अथवा उस जैसी किसी अन्य संस्था को नहीं सौंप सकता? क्या हम उस रुपये को प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते?

हम यह बुरा नहीं समझते कि कोई व्यक्ति शिक्षा के लिए अमरीका, ब्रिटेन, रूस अथवा जर्मनी जाये। हमारे नवयुवकों का विदेशों में जाकर उत्तम शिक्षा लेकर वापस आना अमरीका द्वारा अन्य देशों में नवयुवकों को प्रभावित करने के उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम से भिन्न है। मंत्री महोदय इस कार्यवाही की उलझनों को नहीं समझ सके हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि संसद

सदस्य की समिति पूरी स्थिति का निरीक्षण करे। इस समय मंत्री महोदय श्री श्रीनारायण दास के ऐसे संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो हम लोग इस मामले पर सहमत हो सकते हैं।

श्री यशपाल सिंह का संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment of Mr. Yashpal Singh was put and negatived

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद का संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment of Mr. Sidheshwar Prasad was put and negatived

श्री मु० क० चागला : विधेयक के सम्बन्ध में संसद-सदस्यों तथा शिक्षा-विशारदों ने जो कुछ कहा है उस पर विचार किया जायेगा। जनता की राय के बारे में भी सूचना प्राप्त की जायेगी। किन्तु एक अन्तर्राष्ट्रीय करार की जांच के लिए एक संसद की समिति नहीं बनाई जा सकती। प्रत्येक संसद-सदस्य को परामर्श देने की स्वतंत्रता है और हम उस पर उचित ध्यान देंगे।

श्री श्रीनारायण दास का संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The amendment of Shri Shree Narayan Das was, by leave, withdrawn

श्री वि० बा० गांधी का संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The amendment of Shri V. B. Gandhi was, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा एक भारत-संयुक्त राज्य अमरीका प्रतिष्ठान (फाउंडेशन) की प्रस्तावित परियोजना का निरनुमोदन करती है और भारत सरकार से अनुरोध करती है कि वह इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही न करे।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

विदेशी सरकारों आदि द्वारा हथक़रघा कपड़े की मान्यता और समर्थन के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : RECOGNITION AND SUPPORT TO HANDLOOM FABRICS BY FOREIGN GOVERNMENTS, ETC.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हेम राज से एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने अपने नाम के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए श्री श्यामलाल सर्राफ को प्राधिकृत किया है। श्री सर्राफ प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री श्यामलाल सर्राफ : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"इस सभा की राय है कि "ब्लीडिंग मद्रास", "इंडिया मद्रास" और "मद्रास" के व्यापार नामों से बेचे जाने वाले हथकरघा कपड़े के लिए भारत के विशिष्ट एवं एकमात्र उत्पाद के रूप में सभी विदेशी सरकारों और वहां की अन्य एजेन्सियों तथा व्यापारियों की मान्यता और समर्थन प्राप्त करने हेतु सरकार आवश्यक कदम उठाये और जहां कहीं आवश्यक हो इस प्रयोजन से उचित कार्यवाही की जाये कि उक्त व्यापार नामों का किन्हीं अन्य उत्पादों के लिए ऐसी रीति से प्रयोग

न किया जा सके जिससे भारत में उपरोक्त कपड़े के उत्पादकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।"

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण अगले दिन जारी रखेंगे।

आधे घण्टे की चर्चा

छोटी कार का निर्माण

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Manufacture of Small Cars

श्री लिंग रेड्डी (चिकवलापुर) : हमारे देश में छोटी मोटर गाड़ी के निर्माण की मांग उस दिन से की जा रही है जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ । जहाज, रेलवे इन्जिन आदि औद्योगिक क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है किन्तु छोटी मोटर गाड़ी के निर्माण में अभी काफी पीछे हैं।

छोटी कार के निर्माण के लिए कई बार मांग की गई थी। 1959 में एक समिति भी बनाई गयी थी जिसके अध्यक्ष वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव थे । उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि छोटी कार की इस प्रायोजना को तत्काल ही हाथ में लिया जाये। संसद तथा जनता को आश्वासन देने के पश्चात भी सरकार इस काम को पूरा नहीं कर सकी। यह बात नहीं है कि इस सम्बन्ध में सरकार को निश्चित प्रस्ताव नहीं भेजे गये हैं। ऐसी गाड़ियों को विदेशी सहयोग से बनाने के लिये सरकार के पास पहले ही कम से कम छ: सुझाव आ चुके हैं । हाल ही में मैसूर के मुख्य मंत्री ने बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान एयरो नौटिक्स में बनाई गई छोटी मोटर गाड़ी के नमूने पर छोटी मोटर गाड़ियों के बनाने के बारे में निश्चित सुझाव सरकार को दिये थे। उनका मत है कि गाड़ी का निर्माण 5000 रुपये और 600 रुपये के अन्दर हो सकता है।

यह समझ में नहीं आता कि सरकार ऐसी गाड़ियों को सरकारी, गैर-सरकारी अथवा राज्य क्षेत्र में बनाने का निश्चय क्यों नहीं करती। मैसूर के मुख्य मंत्री इस परियोजना को लेने के लिए बड़े इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित बात है कि केन्द्रीय सरकार मैसूर सरकार को इस परियोजना को आरम्भ करने की अनुमति न देने का रवैया अपनाये हुए है। छोटी मोटर गाड़ियों के निर्माण करने वाली जापानी मस्दा फर्म छोटी मोटर गाड़ी परियोजना पर मैसूर सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। वह इस योजना के लिए तकनीकी तथा पूंजीगत दोनों प्रकार का सहयोग देने के लिए तैयार है। इन परिस्थितियों में इस परियोजना के सम्बन्ध में देर करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। यदि केन्द्रीय सरकार इस परियोजना को सरकारी क्षेत्र में लेने की स्थिति में नहीं है तो इसे राज्य क्षेत्र को दे देना चाहिये। मैसूर सरकार इसे ले लेने के लिए तैयार है ।

बड़ी कारों की कीमतें बहुत बढ़ गयी हैं और लोग इन कारों को नहीं खरीद सकते। छोटी कारों की देश में बहुत भारी मांग है । आखिरकार मोटर गाड़ी यहां विलास की वस्तु नहीं अपितु आवश्यक वस्तु है। यह बहुत आवश्यक है कि मध्य वर्ग के लोगों के पास यह कारें हों ।

इस मामले में देर होने के कारण सरकार को यह धारणा नहीं उत्पन्न करनी चाहिए कि इसके रास्ते में कुछ निहित स्वार्थ आ रहा है । उसे इसमें शीघ्र निर्णय लेना चाहिए तथा यह नहीं कहना चाहिए कि मामला योजना आयोग आदि को सौंप दिया गया है । या तो सरकार इसे सरकारी क्षेत्र में ले अन्यथा मैसूर राज्य की सरकार को छोटी कार बनाने की अनुमति दे ताकि वह इसे लगभग 7,000 रुपये से 10,000 रुपये तक के मूल्य पर आसानी से बना सके ।

श्री जोकिम आल्वा (कानारा): उद्योग मंत्री को बताना चाहिए कि वह इस विलक्षण परिणाम पर कैसे पहुंचे कि कार का उत्पादन किसी गैर-सरकारी दल को दिया जाये । जो सुझाव मैसूर सरकार ने दिये, उनके बारे में सरकार ने क्या किया । मंत्री महोदय यह भी बतायें कि इस परियोजना के लिए धन की व्यवस्था कैसे की जायेगी । क्या सरकार जानती है कि पिछले दिनों में मैसूर सरकार ने हवाई-जहाज उत्पन्न किये हैं ? उनके प्रयत्नों पर अधिकारियों ने पानी डाल दिया है जिन पर मोटर के व्यापारियों का दबाव पड़ा था ।

श्री सोनावने (पेंढरपुर): क्या सरकार इन गैर-सरकारी कार उत्पादकों के एकाधिकार को समाप्त करना चाहती है जो उपभोक्ताओं की चमड़ी उतार रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): सदन को पता है कि पांडे समिति ने 1961 में एक सक्रिय सिफारिश की थी कि तकनीकी तथा आर्थिक कारणों के आधार पर काफी कम मूल्यों की कार बनाने का एक कारखाना खोलना संभव है । सदन को यह भी पता है कि उस समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद क्या हुआ और अन्त में जिसके बारे में इस सदन में एक वक्तव्य दिया गया कि उस समय की विदेशी मुद्रा की स्थिति के कारण यह निर्णय कर दिया गया कि जब तक परिस्थितियां अधिक अनुकूल न हों, इस परियोजना को कार्यान्वित करना स्थगित कर दिया जाये । यह निर्णय चीन के आक्रमण से कुछ पूर्व किया गया था । उसके पश्चात् परिस्थितियां और अधिक कठिन हो गई हैं । फिर भी सरकार इस बात पर आगे विचार कर रही है कि वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत जिसमें मूल्य और किस्म के बारे में जनता की आशाओं का ध्यान रखते हुए, इस कार की बढ़ती हुई मांग का कैसे मुकाबला किया जाये ? मौजूदा उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग करना तथा पूंजी और रख रखाव सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए विदेशी मुद्रा का संतोषजनक प्रबन्ध करना स्वाभाविक तौर पर आवश्यक समझा गया । एक पहले कदम के तौर पर सरकार ने वर्तमान निर्मित वस्तुओं का उत्पादन इस प्रकार बढ़ाने की सम्भावना का पता लगाया जिससे उत्पादन लागत में अधिकतम बचत हो सके । दो वैकल्पिक प्रस्ताव निर्माताओं के सामने रखे गये और उस पर उनके साथ बातचीत की गई । इनमें से एक वैकल्प यह था कि प्रस्तुत कार निर्माण की सुविधाओं को एकान्वित कर दिया जाये जिससे एक या दो प्रकार की कारों का निर्माण किया जाये और बहुत ही बचतशील ढंग से विस्तार की व्यवस्था की जाये । दूसरा सुझाव यह था कि विदेशी मुद्रा के लिए व्यवस्था और मूल्य में कमी के आधार पर एक निर्माता को काफी विस्तार के लिए चुन लिया जाये । एक उद्यम में संकेन्द्ररण का सन्तुलन रखने के लिए सरकार का उद्यम में दखल देना भी उचित समझा गया । निर्माता इनमें से किसी सुझाव पर सहमत नहीं हुए । इसके विरुद्ध निर्माताओं ने एक नया 'माडल' बनाने का सुझाव दिया जिसका मूल्य बहुत कम नहीं था, इसलिए यह कार्य पूरा न हो सका ।

इसी बीच भारत की मोटर गाड़ी परियोजना में दिलचस्पी रखने वाले विदेशों की कई पार्टियों से सरकार को सुझाव प्राप्त हुये हैं। कार का उत्पादन करने के बारे में मैसूर के मुख्य मंत्री से भी एक सुझाव प्राप्त हुआ था जिसका नमूना हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स ने तैयार किया था। इससे पहले कि हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लिमिटेड को यह विश्वास हो जाये कि उनका नमूना वाणिज्यिक उत्पादन के लिए स्वीकार कर लिया जायेगा, उसे चार या पांच नमूने और बनाने होंगे। दो और दलों ने देशी सामग्री और साज-सामान से कारों का संयोजन किया है। उनका दावा है कि वे ऐसी सस्ती कारें बना सकते हैं जिनमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बहुत कम होगी।

जैसा कि सदन को मालूम है छोटी मोटर गाड़ी परियोजना को अधिक अच्छे समय तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। यह नहीं कहा जा सकता कि तब से स्थिति में कुछ सुधार आ गया है। इसके विपरीत, आज स्थिति, विशेष तौर से, विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में अधिक खराब हो गई है। इस समय हम चौथी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना को प्राथमिकता देने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। हमें परिवहन उपकरण की विभिन्न मदों में परस्पर प्राथमिकतायें निश्चित् करनी हैं। यद्यपि इस विषय पर अभी हाल में सर्वोच्च स्तर पर पुनः विचार किया गया फिर भी अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका। चौथी योजना के अन्तिम रूप के बारे में स्थूल संकेतों की जानकारी अगले कुछ महीनों में प्राप्त होगी। आशा है कि उस समय सरकार सभा को यह बता सकेगी कि कम लागत वाली कार परियोजना को चौथी योजना की अवधि में आरम्भ किया जायेगा या नहीं।

इस बीच हम आगे इस बात की भी जांच करेंगे कि गैर-सरकारी क्षेत्र में देशी क्षमता को स्थापित करना सम्भव है या नहीं, इस आधार पर कि आयात अथवा विदेशी मुद्रा का कोई व्यय नहीं किया जायेगा। यदि केन्द्रीय क्षेत्र में हम ऐसा नहीं कर सकते तो मैसूर के मामले पर हम अवश्य विचार करेंगे और उसके बाद गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में विचार करेंगे।

श्री वासुदेवन नायर : उनका उत्तर संतोषजनक नहीं है। इस विषय पर हम अढ़ाई-घंटे की चर्चा करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि ऐसी सूचना किसी ने दी तो उस पर विचार किया जायेगा।

इसके पश्चात् सभा सोमवार, 8 अगस्त, 1966/ 17 श्रावण, 1888 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 8, 1966/Sravana 17, 1888 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow—12-1-68—565.

P.L.S. 48. LVII. 10..66. (N)
565

© 1966 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
व्यवस्थापक, तेज कुमार प्रेस, लखनऊ द्वारा मुद्रित ।

© 1966 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, TEJ KUMAR PRESS, LUCKNOW.